

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] No. 53] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 8, 2018/माघ 19, 1939

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 8, 2018/MAGHA 19, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2018

सं. 12/01/2010/प्रशासन-एफ.एस.एस.ए.आई.—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई), केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (2) की अपेक्षा के अनुसार प्रकाशित किया जाता हैं जिनके उससे प्रभावित होने कि संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से, जिसको उस राजपत्र की प्रतिया, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित कि जाती है जनता को उपलब्ध करा दी जाती है तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफ.डी.ए. भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को या estt@fssai.gov.in के ई-मेल पते पर भेजे जा सकते हैं।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारुप विनियम

अध्याय 1

प्रस्तावना

- 1. **संक्षिप्त नाम एवं आरंभ** –(क) इन विनियमों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (भर्ती एवं नियुक्ति) विनियम, 2018 के नाम से जाना जाएगा।
 - (ख) ये विनियम राजकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रवृत्त होंगे।

735 GI/2018 (1)

- (ग) यह विनियम इन विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 2. परिभाषाएं- इन नियमों में जब तक कि अन्यथा संदर्भ की आवश्यकता नहीं हो, -
- क- "अधिनियम" का अर्थ है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34)।
- ख- "केन्द्र सरकार" का अर्थ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से है;
- ग- "आयु" से अर्थ अनुसूची में वर्णित उच्चतम आयु सीमा से है।
- घ- "नियोक्ता एवं अनुशासकीय प्राधिकारी" खाद्य प्राधिकरण के तहत किसी भी पद के संदर्भ में अर्थ है,-
 - सभी समूह "क" स्तर 14 एवं उच्चतर(144200-218200) के पदों के संबंध में अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, परन्तु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को छोड़कर।
 - ii. सभी समूह "क" स्तर 14 (144200-218200) से कम के पदों के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण।
 - iii. सभी समूह "ख" के पदों के संबंध में कार्यपालक निदेशक (पूर्व में, मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी); और
 - iv. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्यालय अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा प्रयोगशलाओं में समूह "ग" में आने वाले एवं समकक्ष सभी स्वीकृत पदों के संबंध में मुख्यालय अथवा क्षेत्रीय कार्यालय अथवा प्रयोगशालाओं में स्थित स्थापना अनुभाग के प्रभारी निदेशक।
- (ड) "अध्यक्ष" से अर्थ है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष;
- (च) ''मुख्य कार्यकारी अधिकारी'' से अर्थ है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी;
- (छ) ''उम्मीदवार'' से अर्थ उस व्यक्ति से है जो कि इन विनियमों के अन्तर्गत वर्णित अनुसूची में किसी पद पर विचार करने के लिए पात्र है;
- (ज) ''अनुबंध कर्मचारी'' से अर्थ उस कर्मचारी से है जिसका सेवायोजन निर्धारित समयावधि के लिए अनुबंध पर आधारित है;
- (झ) "सिमिति"से अर्थ है इन विनियम के तहत अनुसूची या विशिष्ट प्रावधानों में निर्दिष्ट खोज और चयन सिमिति, विभागीय पदोन्नति सिमिति, स्क्रीनिंग या विशेषज्ञ सिमिति या आकलन बोर्ड सिहत से हैं;
- (ञ) "सीधी भर्ती" से अर्थ प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नियमों के प्रावधानों के अनुसार अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा या अनुबंध के आधार पर द्वारा की गई किसी नियुक्ति के अलावा नियुक्ति से है।
- (ट)"प्रतिनियुक्ति" से अर्थ उस नियुक्ति प्रक्रिया से है जिस के तहत केन्द्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों या राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों या उपक्रमों के अधिकारियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में पद(ओं) पर नियुक्त किया जाता है।
- (ठ) "खाद्य प्राधिकरण" से अर्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 4 की उपधारा 1 के तहत स्थापित निकाय भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से है और संक्षिप्त में 'प्राधिकरण' है।
- (ड) "परिवीक्षा"से अर्थ है कि किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति अनुसूची में उल्लेखित निर्धारित अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा।
- (ढ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शैक्षिक बोर्ड" का अर्थ है कि भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के किसी भी कानून के तहत स्थापित किया गया कोई भी विश्वविद्यालय या बोर्ड और / या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त या इस के उद्देश्य के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत कोई संस्था से है;
- (ण) "लघु अवधि के अनुबंध" का अर्थ है किसी भी गैर सरकारी संस्था, जैसे विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों की प्राधिकरण में एक विशिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति।
- (त) इन विनियमों में प्रयुक्त जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग हुआ है परन्तु परिभाषित नहीं किया गया है, उनका अर्थ क्रमश: भारत सरकार द्वारा जारी नियमों / विनियमों के अनुसार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (क्रमशः 2006का 34) के अनुसार सामान्य नियम अधिनियम, 1897 (1897का 10) और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)में निहित अर्थ से होगा।

अध्याय-2

पदों का वर्गीकरण

- 3. प्रारंभिक गठन वे सभी व्यक्ति जिनकी नियुक्ति खाद्य प्राधिकरण मे इन विनियमों से पूर्व नियमित आधार पर की जा चुकी है, उन सभी की नियुक्ति इन विनियमों के तहत मानी जाएगी एवं उनके द्वारा की गई सेवा को पदोन्न्ती एवं अन्य सेवा शर्तों के लाभ के लिए माना जाएगा।
- 4. पदों का वर्गीकरण-खाद्य प्राधिकरण में पदों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है: -

क्र.सं	वर्गीकरण	पदों का वर्गीकरण
1	वेतन स्तर 10 और उस से उच्च पद	समूह "क"
2	वेतन स्तर 6 से 9 तक के पद	समूह "ख"
3	वेतन स्तर 1 से 5 तक के पद	समूह "ग"

- 5. पद, संवर्ग, वर्गीकरण एवं वेतन मान-
 - (क) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में तीन संवर्ग होंगे, अर्थात्, वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग; प्रशासनिक एवं वित्तीय संवर्ग और सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य विशेषीकृत सेवाओं का संवर्गः
 - (ख) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एवं लिखित में कारण दर्ज करने के पश्चात्,आवश्यकता एवं योग्य उम्मीदवारों के उपलब्धता के आधार पर पद स्तर 11 से 13 को सभी सवंर्ग और स्तर के पदों का सामान्य समुच्चयन बनाया जा सकता है।
 - (ग) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में समूह "क" एवं समूह "ख" के सभी पदों का संवर्ग प्रबंधन का कार्य केन्द्रिय रुप से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्यालय में किया जाएगा।
 - (घ) समूह "ग" के पदों का संवर्ग प्रबंधन मुख्यालय द्वारा ही किया जाएगा जब तक कि उक्त पदों के संबंध में यह कार्य क्षेत्रीय मुख्यालयों और प्रयोगशालाओं के संबंधित क्षेत्राधिकार प्रत्यायोजित नहीं कर दिया जाता है।
 - (ड.) पदों का वर्गीकरण एवं वेतन मान का विवरण इस विनियम के साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित है।

(6) पदों का सृजन:

- (क) खाद्य प्राधिकरण समय-समय पर प्राधिकरण की सेवा में प्रत्येक वर्णित पदों की संख्याओं को निर्धारित करेगा।
- (ख) निम्न सारणी के अनुसार स्तंभ (क)में निर्दिष्ट प्राधिकारियों को स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट विवरण के प्राधिकरण में नए या अतिरिक्त पदों का निर्माण करने का अधिकार होगा।

सारणी

प्राधिकारी	वर्ग
क	ख
केन्द्र सरकार	वेतन स्तर 10 एवं उच्चतर पद
खाद्य प्राधिकरण	वेतन स्तर 1 से 9 तक के सभी पद

(ग) इन विनियमों में निहित कुछ भी प्रावधान होने के बावजूद, जब एक नये पद का सृजन किया जाएगा तो प्राधिकारी के द्वारा ऐसे पदों का सृजन करते समय विशेष रुप से पद का वेतन मान (जो कि प्राधिकरण के द्वारा अपनाए गये मानक वेतनमान से भिन्न नहीं होगा), नियुक्ति करने का तरीका और योग्यता एवं आयु-सीमा का उल्लेख यदि लागू हो तो निर्दिष्ट किया जाएगा। इस के बाद ही इन पदों को उनके उपयुक्त वर्ग की सारणी में शामिल किया जाएगा।

7.खाद्य प्राधिकरण में नियुक्ति की सामान्य शर्तें- उप विनियम "क" से "च" तक की सामान्य शर्तें खाद्य प्राधिकरण में होने वाली सभी नियुक्तिओं पर समान रुप से लागू होंगी।

- (क) खाद्य प्राधिकरण नियुक्ति एंव पदोन्नती की प्रक्रिया को निर्धारित करेगा।
- (ख) इन विनियमों में कोई प्रावधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को केन्द्र सरकार के समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार प्राप्त होने वाली आरक्षण, आयु-सीमा में रियायत एवं अन्य सुविधाओं को प्रभावित नहीं करेगा;
- (ग) कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है खाद्य प्राधिकरण में नियुक्ति प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। विभागीय उम्मीदवारों के लिये सीधी भर्ती में किसी भी पद के लिए अनुसूची में निर्दिष्ट अधिकतम आयू सीमा लागू नहीं होगी;
- (घ) कोई भी व्यक्ति खाद्य प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए तब ही पात्र होगा जब कि वह,-
- (i) वह भारत का नागरिक हो।
- (ii) केंद्र सरकार द्वारा सरकार के अधीन सेवा के लिए नियुक्ति के लिए पात्र अधिसूचित नागरिकता के किसी भी अन्य श्रेणी से हो:

किसी व्यक्ति को नागरिकता के अन्य वर्ग के रूप में तभी माना जाएगा जब भारत सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में पात्रता का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो।

- (ङ) ऐसे किसी भी व्यक्ति को खाद्य प्राधिकरण में नियुक्ति नहीं दी जाएगी यदि वह निम्न आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है:
 - (i) वह एक अच्छा नैतिक चरित्र वाला व्यक्ति है और किसी भी अपराध के लिए पूर्व में दोषी नहीं ठहराया गया है।
 - (ii) उसे किसी भी सरकारी या सार्वजनिक उद्यम या निजी नौकरी या किसी अन्य संगठन से नैतिक अधर्म या गलत तरीके से दुर्व्यवहार के आधार पर पदच्युत या निष्काषित या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त या अन्यथा न किया गया हो।
- (च) (i)कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि, -
- (i) जिसने एक पति या पत्नी के रहने वाले व्यक्ति के साथ शादी कर ली हो या अनुबंध विवाह किया हो; या
- (ii) जिसने अपने पित या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी या अनुबंध विवाह कर लिया हो;
- (iii) प्रत्येक वृयक्ति को नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में शादी से संबाधित उदद्योषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा:

बशर्ते सक्षम प्राधिकारी सहमत हों कि इस तरह के विवाह को ऐसे व्यक्ति और विवाह में दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, इस विनियम के संचालन से किसी भी व्यक्ति को छूट दी जा सकती है।

- 8.नियुक्ति में छूट– इन विनियमों में किसी प्रावधान के बावजूद, सक्षम प्राधिकारी प्रतिनियुक्ति/अल्पावधि अनुबंध/ अनुबंध के माध्यम से नियुक्ति को अनुमोदित कर सकते हैं जब तक कि फीडर ग्रेड में पदोन्नति के लिए योग्य अधिकारी पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होते हैं।
- 9 भर्ती नियम-
- (क) पदों, वेतन मान, आयु-सीमा, योग्यता और इसके साथ जुड़े अन्य मामलों में अनुसूची में निर्दिष्ट भर्ती की विधि प्रावधानों के अनुसार होंगे।
- (ख) भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चंबा जिले के पंगी उप डिवीजन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं) विज्ञापित की गई पदों की ऊपरी आयु-सीमा निर्धारित करने की तिथि होगी।

- (ग) उम्मीदवारों की चयन सूची चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकार्यता से उम्मीदवारों की एक चयन सूची जिसमें एकमेरिट सूची और एक आरक्षित सूची होगी, तैयार की जाएगी। यह एक वर्ष की अविध के लिए वैध रहेगी या सक्षम प्राधिकारी इन सुचियों को विस्तारित अविध के लिए निर्दिष्ट कर सकते हैं।
- (घ) उम्मीदवारों का चयन-
 - (क) नियुक्ति प्रस्तावपत्र चयनित उम्मीदवारों को चयन सूची में दिखाए गए योग्यता के क्रम में जारी किया जाएगा जिसमें उम्मीदवार को पद भार ग्रहण करने की समय सीमा निर्दिष्ट होगी, इस समय सीमा को सक्षम प्राधिकारी के विवेक से बढ़ाया जा सकता है;
 - (ख) नियुक्ति प्रस्तावपत्र में चयनित उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति से पहले पूरी की जाने वाली शर्तों का विवरण दिया जाएगा;
 - (ग) यदि चयनित उम्मीदवार नियुक्ति पत्र से पहले निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है या उम्मीदवार निर्दिष्ट अवधि के भीतर पद भार ग्रहण करने में विफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा नियुक्ति प्रस्तावपत्र को रद्द किया जा सकता है;
 - (घ) सीधी भर्ती द्वारा सभी नियुक्तियां चरित्र और पूर्ववर्तियों के सत्यापन के अधीन होंगी;
 - (**ङ**) यदि उपर्युक्त खंड (ग) में निर्धारित तरीके से नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया हो, तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से चयन सूची में योग्यता के क्रम में नीचे दिए गए उम्मीदवार को नियुक्ति का प्रस्तावपत्र जारी कर सकता है।
 - (च) नियुक्त कर्मचारी भारत या विदेश में कहीं भी सेवा के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (छ) प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नियुक्ति से पहले आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) के तहत शपथ लेनी होगी।
 10. सीधी भर्ती-
- (क) (i) जिन पदों को भरा जाना है उनको सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यापक रूप से विज्ञापित किया जाएगा;
 - (ii) विज्ञापन में उल्लेखित आखिरी तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों या ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन जो कि निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अंतिम रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा:

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढाया जा सकता है।

- (ख) वे अभ्यर्थी जो कि इन नियमों के तहत अनुसूची और अन्य प्रावधानों के अनुसार शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हैं वे चयन प्रक्रिया के माध्यम से सीधे भर्ती के लिए पात्र होंगे। सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से, जहां कहीं भी उचित समझते हैं, यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों को चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए।
- (ग) सक्षम प्राधिकारी, अपने विवेक से, चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों का एक पैनल बना सकते हैं। ऐसे किसी भी तैयार पैनल की वैद्यता उसके अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (घ) यदि कोई विभागीय उम्मीदवार सीधे भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए चुना जाता है, तो पद को सीधे भर्ती से भरा माना जाएगा।
- (ङ) खाद्य प्राधिकरण के अनुमोदन से, इन भर्ती नियमों की अधिसूचना की तारीख में खाद्य प्राधिकरण की सेवाओं में अनुबंध पर कार्यरत सभी व्यक्तियों को सीधे भर्ती में निर्दिष्ट ऊपरी आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है और उन्हें प्राधिकरण के कार्य में लगे होने के कारण चयन में महत्व दिया जा सकता है।

11. आमेलन-

- (क) केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी नियंत्रित या वित्त पोषित मान्यता प्राप्त अनुसंधान संगठनों या संस्थानों के उम्मीदवारों को आमेलन के आधार पर नियुक्त निम्न शर्तों के पूरा होने पर किया जा सकता है।
- (i) उम्मीदवार के पास अनुसूचि में निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए; तथा
- (ii) उम्मीदवार ने जिस पद के लिए आवेदन दिया है उस पद के समतुल्य पद धारित करता हो
- (ख) सक्षम प्राधिकारी, समय-समय पर उपयुक्त आदेश द्वारा, स्थायी रूप से खाद्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति को आमेलित कर सकते हैं:

बशर्ते कि कोई व्यक्ति खाद्य प्राधिकरण में आमेलित तब ही किया जाएगा, जब कि वह व्यक्ति,-

- (i) खाद्य प्राधिकरण में समामेलित होने के प्रस्ताव दिये जाने पर खाद्य प्राधिकरण में स्थायी रूप से आमेलित होने के अपने विकल्प को लिखित में दे और
- (ii) इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो और खाद्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कम से कम दो वर्ष पूरे कर चुका हो।
- (ग) सक्षम प्राधिकारी उप-नियम (क) और (ख) उपरोक्त में निर्दिष्ट व्यक्तियों के आमेलन के लिए विचार कर सकते हैं,-
 - (i) चयन समिति की सिफारिश पर और खाद्य प्राधिकरण में ऐसे व्यक्ति की उपयुक्तता और आवश्यकता होने पर; और
 - (ii) ऐसे व्यक्ति के मूल कार्यालय के साथ परामर्श से;
 - (iii) ऐसे व्यक्ति को अपने मूल पद से इस्तीफा देने और उसके मूल संगठन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद प्राधिकरण में समामेलित किया जाएगा
 - (iv) आमेलन की कोई भी ऐसी संभावना विज्ञापन में दर्शायी जाएगी।

12. प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)-

- (क) इन नियमों के तहत खाद्य प्राधिकरण में अल्पावधि अनुबंध सिहत बाहृ विभाग सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति पर की गई सभी नियुक्तियां पहली बार में तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक एवं उनके द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार के प्रदर्शन, मूल्यांकन और मूल विभाग के साथ परामर्श के आधार पर सरकार के नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।प्राधिकरण में अनुसूची में निर्दिष्ट पदों पर प्रतिनियुक्ति को तत्काल आमेलन के नियम से छूट दी गई है।
- (ख) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय और विभागों, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित मान्यता प्राप्त अनुसंधान संगठनों या संस्थानों के उम्मीदवारों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है, बशर्ते कि वे इन नियमों और विषयों की निम्नलिखित शर्तों को पुरा करते हों, अर्थात:-
 - (i) अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों, और
 - (ii) जिस पद के लिए आवेदन किया गया है उस पद के समतुल्य पद धारित करते हों या उक्त पद से नीचे के पद पर प्रतिनियुक्ति पद या उसके समतुल्य पद पर पदोन्नती के लिए आवश्यक सेवा काल पूरा किया हो।
- (ग) विभागीय उम्मीदवार जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, वे अन्य संवर्ग के पदों जिसके लिए वे फीडर ग्रेड अधिकारी नहीं हैं,को छोड़कर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (घ) यदि कोई कर्मचारी किसी भी विभाग या संगठन में प्रतिनियुक्ति पर जाता है, तो ऐसे कर्मचारी की सेवा की शर्तें और नियम मौजूदा सरकार के नियमों के तहत शासित होंगे।

13 पदोन्नती के द्वारा नियक्ति -

- (क) पदोन्नति द्वारा नियमित रूप से कर्मचारियों की नियुक्ति जो विभिन्न श्रेणी के अनुसूची में निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, निम्न या फीडर ग्रेड से उनके वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नति की सीधी पंक्ति में अगले उच्च पद तक रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी। इस विषय पर सरकार के मौजूदा निर्देशों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जाएगा।
- (ख) वरिष्ठता- वरिष्ठता का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के सामान्य निर्देशों या सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा और स्थानांतरीकी वरिष्ठता का निर्धारण, तथापि, ऐसे आमेलन की तारीख से पहले किए गए अगले उच्च ग्रेड में किसी भी नियमित पदोन्नति को प्रभावित नहीं करेगा;

14. अनुबंध नियुक्ति –

(क) सक्षम प्राधिकारी एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध पर कर्मचारियों को सामान्य माध्यम से रिक्त पदों को भरने में विफलता से उत्पन्न अंतरिम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, प्रवेश योग्यता पर, समकक्ष स्वीकृत पदों और नियमों और शर्तों के अनुरुप के साथ अपेक्षित आवश्यकता के अनुसार प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियुक्त कर सकता है।

बशर्ते इस तरह की नियुक्तियों की कुल संख्या स्वीकृत पदों के भीतर हो और स्वीकृत पदों की कुल संख्या में से पांच प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

- (ख) प्राधिकरण, खाद्य प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों और कर्तव्यों से संबंधित,प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से और शर्तों के अनुसार,अन्य विषयों के लिए खुले बाजार से ऐसे सलाहकारों की सेवाएं ले सकता है,जो कि भर्ती विनियमों में शामिल नहीं हैं और जहां ऐसे कार्यों में विशेष कौशल और दक्षता आवश्यक हैं। इस तरह की नियुक्तियां स्वीकृत पदों से अधिक और ऊपर होंगी, लेकिन कुल स्वीकृत पदों के किसी भी समय पांच प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती हैं।
- (ग) उपरोक्त उप-नियमन (क) और (ख) के तहत सलाहकारों की नियुक्ति की अवधि 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी और इसके बाद स्थायी नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकता है।
- (घ) अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के चयन के लिए प्रक्रिया और मानदंड (उप-नियमन (क) और (ख) में) मोटे तौर पर इन नियमों के साथ संरेखित किया जाएगा और इस तरह के प्रत्येक मामले में प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगाः।
- (ड)अनुबंध के आधार पर नियुक्त अधिकारियों को उस पद के खिलाफ धारणाधिकार का कोई प्रावधान नहीं होगा ।

15. चयन -

- (क) पदों के लिए नियुक्ति अनुसूची में विनिर्दिष्ट चयन समितियों के माध्यम से की जाएगी।
- (ख) चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल एक वर्ष के लिए वैध होगा। यदि एक वर्ष की अविध के भीतर पैनल से कोई चयन नहीं किया जाता है, तो एक नया पैनल तैयार करने के लिए एक नई समिति का गठन किया जाएगा।यह समिति पूर्व पैनल में शामिल नामों पर भी विचार कर सकती है।
- (ग) इस प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अनुभव का उल्लेख अनुसूची में किया जाएगा, लेकिन विशेष विषयों में उच्च विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम अवधि का अनुभव में रियायत दी जा सकती है, बशर्ते वह चयन समिति द्वारा लिखित में दर्ज किया गया हो। रियायत के प्रावधान रिक्ति परिपत्र या विज्ञापन में शामिल किए जाएंगे।
- 16. छूट की शक्ति -इन भर्ती नियमों के प्रावधान में छूट की शक्ति केंद्र सरकार के साथ समाहित होगी।
- 17. व्याख्या-यदि इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न उठता है, तो इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की	पद का	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद अथवा	सीधी भर्ती के	सीधी भर्ती के लिए	क्या सीधी भर्ती के लिए
	संख्या	वर्गीकरण	स्तर	गैर-चयन पद	लिए आयु	अपेक्षित शैक्षिक	विहित आयु एवं शैक्षिक
					सीमा	एवं अन्य योग्यताएँ	योग्यताएँ पदोन्नति के
							लिए लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7	8
कार्य	*21	सामान्य	वेतन स्तर 14	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कारी	(2017)	केंद्रीय	(হ.1,44,200-				
निदेशक	,	सेवा,	2,18,200)				
		समूह	,				
		क					

¹कार्यकारी निदेशक के 02 पद, जिनमें से एक पद मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी के एक स्वीकृत पद की जगह समान वेतन स्तर में केवल पदनाम में परिवर्तन करके होगा और एक पद वेतन स्तर 13क में वैज्ञानिक समूह-IV(5) के स्वीकृत पद की जगह होगा।

परिवीक्षा	<u>भर्ती की पद्धति</u> सीधी भर्ती	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	विभागीय पदोन्नति समिति होने पर	वे स्थितियाँ जिनमें
अवधि, यदि	द्वारा अथवा पदोन्नति	स्थानांतरण द्वारा भर्ती की स्थिति में	उसका गठन	भर्ती के लिए संघ लोक
कोई हो	द्वारा अथवा	ग्रेड जिससे		सेवा आयोग से परामर्श
	प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण		किया जाएगा
	द्वारा तथा विभिन्न	होगा		
	पद्धतियों से भरी जाने			
	वाली रिक्तियों का प्रतिशत			
9	10	11	12	13
लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ	खोज-सह-चयन समिति में	लागू नहीं
		शासित क्षेत्रों की	निम्नलिखित होंगे:-	
		सरकारों/विश्वविद्यालय/मान्यता-	(i) अध्यक्ष, एफएसएसए आई-	
		प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक	अध्यक्ष	
		क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध सरकारी,	 (ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,	
		संवैधानिक अथवा स्वायतशासी		
		संगठनों के वे अधिकारी:-	एफएसएसएआई – सदस्य	
		(i) जो मूल संवर्ग/विभाग में	(iii) स्वास्थ्य एवं परिवार् कल्याण	
		्र समतुल्य पद पर नियमित	मंत्रालय द्वारा नामित एक	
		आधार पर कार्यरत हों; अथवा	प्रतिनिधि –सदस्य	
			(iv)अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त	
		(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में	स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ –	
		वेतन स्तर 13 अथवा मूल	सदस्य	
		संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद	संपस्य	
		पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में पाँच		
		वर्ष की नियमित सेवा की हो;		
		और		
		(iii) जिन्हें प्रशासन, वित्त अथवा/		
		और सतर्कता का 10 वर्ष का		
		अनुभव हो।		

1	2	3	4	5	6	7	8
सलाहकार	*42	सामान्य	वेतन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(2017)	केंद्रीय	स्तर				
	(2017)	सेवा,समूह	14				
		क,गैर-अनु-	(1,44,200-				
		सचिवीय	2,18,200)				

9	10	11	12	13
लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति	केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/ विश्वविद्यालयों/ मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक अथवा स्वायतशासी संगठनों के वे अधिकारी:- (i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/ विभाग में वेतन स्तर 13 अथवा मूल संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (iii) जो किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव	खोज-सह-चयन सिमिति में निम्निलिखित होंगे:- (i)अध्यक्ष, एफएसएसए आई-अध्यक्ष (ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई- सदस्य (iii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि – सदस्य (v) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं

²समान वेतन स्तर में मुख्य पी.ए.क्यू.ए अधिकारी और मुख्य प्रवर्तन अधिकारी के 02 स्वीकृत पदों, वेतन स्तर 15 में मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के 01 स्वीकृत पद और वेतन स्तर 13क में वैज्ञानिक समूह-IV(5) के 01 स्वीकृत पद की जगह पदनामों में परिवर्तन करके सलाहकार के 04 पद।

रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल
प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेयरी
प्रैद्योगिकी/कृषि विज्ञान/पशु विज्ञान/जैव
प्रौद्योगिकी/पोषण/आविष विज्ञान/नैनो
प्रौद्योगिकी/फल और सब्जी प्रौद्योगिकी/खाद्य
सुरक्षा और गुणता आश्वासन/जीवन
विज्ञान/जन स्वास्थ्य/औषध अथवा किसी
अन्य सम्बद्ध क्षेत्र में परा-स्नातक अथवा
समकक्ष हो तथाजिन्हें खाद्य
विज्ञान/मानक/सुरक्षा के क्षेत्र में
प्रयोगशालाओं/अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक
संगठनोंमें अनुसंधान एवं विकास कार्य का 18
वर्षों का अनुभव हो। इन 18 वर्षों में से कम से
कम 9 वर्ष का अनुभव पर्यवेक्षण के पद पर
हो;अथवा उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय
में डॉक्टरेट की उपाधि तथा इस पैरा में ऊपर
उल्लिखित क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं/ अनुसंधान
संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में कार्य का 15
वर्षों का अनुभव हो तथा इन 15 वर्षों में से
कम से कम 8 वर्ष का अनुभव किसी पर्यवेक्षण
पद पर हो; और
(iv)संबंधित क्षेत्र में उच्च स्तर का प्रकाशित
अनुसंधान साहित्य।
Adami autom

1	2	3	4	5	6	7	8
मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी	1 (नया पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह क, गैर- अनु- सचिवीय	वेतन स्तर 13 (1,23, 100- 2,15, 900) अथवा अनुभव के वर्षों के आधार पर रु. (160000- 258300) की रेंज में समेकित पारिश्रमिक	लागू नहीं	50 वर्ष	(i) किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से इंजीनियरी के किसी क्षेत्र में स्नातक/ स्नातकोत्तर की उपाधि (ii) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम से कम 16 वर्षों के कार्य का अनुभव बड़े एप्लीकेशन के विकास में हो, (iii) सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुस्चित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित	लागू नहीं

		रिक्तियों को भरने के	
		लिए इन समुदायों के	
		अपेक्षित अनुभव रखने	
		वाले उम्मीदवारों की	
		पर्याप्त संख्या उपलब्ध	
		होने की संभावना नहीं	
		है,तो सक्षम प्राधिकारी	
		इन समुदायों के	
		उम्मीदवारों के लिए	
		अनुभव संबंधी	
		योग्यताओं में अपने	
		विवेकानुसार छूट दे	
		सकता है।	

9	10	11	12	13
1 वर्ष	100% सीधी भर्ती	लागू नहीं	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं
			(i) अध्यक्ष, एफएसएसए आई-	
			अध्यक्ष	
			(ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,	
			एफएसएसएआई – सदस्य	
			(iii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
			मंत्रालय द्वारा नामित एक	
			प्रतिनिधि – सदस्य	
			(iv)अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त	
			स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ –	
			सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7	8
निदेशक	*16 ³ (2017)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह क, गैर- अनु- सचिवीय	वेतन स्तर 13 (1,23, 100- 2,15, 900)	चयन	50 वर्ष	(क)(i)मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक की उपाधि; और (ii)पद की अपेक्षानुसार प्रशासन, वित्त, मानव संसाधन विकास अथवा/ और सतर्कता का कार्य देखने का 15 वर्षों का अनुभव। वांछनीय: मान्यता- प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से विधि की उपाधि अथवा एम.बी.ए की उपाधि अथवा समतुल्य योग्यता। अथवा (ख)(i) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल	नहीं

³समान वेतन स्तर 13 में पदनाम में आंशिक परिवर्तन करके निदेशकों के 11 स्वीकृत पदों, वित्तीय सलाहकार के 01 पद और वैज्ञानिक ।V(4) के 04 पदों की जगह।

 1	ı	ı		
			प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव	
			विज्ञान/डेयरी	
			प्रौद्योगिकी/ कृषि	
			विज्ञान/पशु विज्ञान/ जैव	
			विशामापर्यु विशामा जप	
			प्रौद्योगिकी/पोषण/	
			आविष विज्ञान/नैनो	
			प्रौद्योगिकी/फल और	
			सब्जी प्रौद्योगिकी/खाद्य	
			सुरक्षा और गुणता	
			आवश्वासन/जीवन	
			(
			स्वास्थ्य/औषध अथवा	
			किसी अन्य सम्बद्ध क्षेत्र	
			में स्नातकोत्तर अथवा	
			समकक्ष तथा खाद्य	
			विज्ञान/मानक/ सुरक्षा के	
			प्रयोगशालाओं/अनुसंधान	
			संस्थाओं/ वैज्ञानिक	
			संगठनों में अनुसंधान	
			एवं विकास कार्य का 15	
			वर्षों का अनुभव। इन 15	
			वर्षों में से कम से कम 5	
			वर्ष का अनुभव ग्रुप	
			लीडर अथवा पर्यवेक्षण	
			पद पर हो तथा खाद्य	
			विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों	
			से संबंधित कार्य किया	
			हो, जिसमें आयोजना,	
			विकास और समन्वयन	
			का कार्य शामिल हो।	
			अथवा	
			(ग)(i) उपर्युक्त विषयों	
			में से किसी विषय में	
			डॉक्टरेट की उपाधि तथा	
			खाद्य	
			विज्ञान/मानक/सुरक्षा के	
			क्षेत्रों में	
			प्रयोगशालाओं/अनुसंधान	
			संस्थाओं/वैज्ञानिक	
			संगठनों में कार्य का 12	
			वर्षों का अनुभव तथा	
			इन 12 वर्षों में से कम से	
			कम 5 वर्षों का अनुभव	
			ग्रुप लीडर अथवा	
			पर्यवेक्षण पद पर हो और	
			खाद्य विज्ञान संबंधी	
			कार्यक्रमों से संबंधित	
			कार्य किया हो, जिसमें	
			आयोजना, विकास और	
			समन्वयन का कार्य	
			शामिल हो; और	
			ज्ञानल हा, जार	
			(ग)(ii) संबंधित क्षेत्र में	
			प्रकाशित अनुसंधान	
			साहित्य।	
			टिप्पणी 1: अन्यथा	

	सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।
	िष्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति/जन
	जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की
	पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए
	अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त
	शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका
	उल्लेख विज्ञापन में हर बार किया जाएगा।

9	10	11	12	13
1 वर्ष	(i) पदोन्नति द्वारा 60%,	(क) पदोन्नति के लिए:	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं
	ऐसा न हो सकने पर	स्तर 12 (रु. 78,800-2,09,200) में	(i) अध्यक्ष, एफएसएसएआई	
	प्रतिनियुक्ति	संयुक्त निदेशक, ग्रेड में नियमित	- अध्यक्ष	
	(अल्पकालिक अनुबंध	- आधार पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की	(ii) कार्यकारी निदेशक,	
	सहित)/आमेलन द्वारा।	सेवा।	एफएसएसएआई – सदस्य	
	(ii) 40% सीधी भर्ती	(ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक	 (iii) सलाहकार, एफएसएसएआई –	
	द्वारा	अनुबंध सहित)/आमेलन के लिए:	सदस्य	
		केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/ संघ	(iv) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	
		शासित क्षेत्रों की सरकारों/	मंत्रालय द्वारा नामित एक	
		विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्रदत्त	प्रतिनिधि – सदस्य	
		अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र	(v) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त	
		के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक	स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ	
		अथवा स्वायतशासी संगठनों के वे	– सदस्य	
		अधिकारी:-		
		(क)(i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में		
		समतुल्य पद पर नियमित आधार		
		पर कार्यरत हों; अथवा		
		(i) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में		
		वेतन स्तर 12 अथवा मूल		

संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य	
पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में	i
पाँच वर्ष की नियमित सेवा की	i e
हो; और	
(ख) जो कॉलम 7 में सीधी भर्ती के	i
लिए विहित शैक्षिक योग्यताएँ और	
अनुभव रखते हों।	l

1	2	3	4	5	6	7	8
संयुक्त	*184(2017)	सामान्य	वेतन स्तर	चयन	50 वर्ष	(क)(i) किसी मान्यता-	नहीं नहीं
निदेशक	22	केंद्रीय	12 (रु.			प्रदत्त	
		सेवा,	78,800-			विश्वविद्यालय/संस्था से	
	(नए पद)	समूह	2,09,			स्नातक उपाधि; और	
		क,	200)			(ii)पद की अपेक्षानुसार	
		गैर- अनु-	,			प्रशासन, वित्त, मानव	
		सचिवीय				संसाधन विकास अथवा/	
						और सतर्कता का कार्य	
						देखने का 12 वर्षों का	
						अनुभव।	
						वांछनीय: मान्यता-प्रदत्त	
						विश्वविद्यालय/ संस्था से	
						एम.बी.ए की उपाधि	
						अथवा समतुल्य योग्यता। अथवा	
						(ख)मान्यता-प्रदत्त	
						विश्वविद्यालय अथवा	
						संस्था से विधि के क्षेत्र में	
						स्नातक की पूर्णकालिक	
						उपाधि तथा विधिक	
						मामले देखने का 12 वर्षी	
						का अनुभव अथवा किसी प्रतिष्ठित सरकारी/स्वायत	
						शासी/अनुसंधान संस्थान/	
						विश्वविद्यालय/सार्वजनिक	
						क्षेत्र के उपक्रमों/विधिक	
						कंपनी में विधि अधिकारी	
						के रूप में कार्य का	
						अनुभव। अथवा	
						(ग) मान्यता-प्रदत्त	
						विश्वविद्यालय अथवा	
						संस्था से रासायनिकी/	
						जैव रासायनिकी/खाद्य	
						प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल	
						प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेयरी प्रैद्योगिकी/	
						कृषि विज्ञान/पशु विज्ञान/	
						जैव प्रौद्योगिकी/पोषण/	
						आविष विज्ञान/नैनो	
						प्रौद्योगिकी/फल और	
						सब्जी प्रौद्योगिकी/खाद्य	
						सुरक्षा और गुणता	

_

⁴संयुक्त निदेशक के 12 और वैज्ञानिक ।V(3) के 06 स्वीकृत पदों की जगह समान वेतन स्तर 12 में पदनाम में आंशिक परिवर्तन करके संयुक्त निदेशक के 18 पद।

 T	T	1	1		,
				आवश्वासन/जीवन	
				विज्ञान/ जन	
				स्वास्थ्य/औषध अथवा	
				किसी अन्य सम्बद्ध क्षेत्र में	
				स्नातकोत्तर अथवा	
				समकक्ष तथा खाद्य	
				विज्ञान/मानक/ सुरक्षा के	
				क्षेत्र में	
				प्रयोगशालाओं/अनुसंधान	
				संस्थाओं/ वैज्ञानिक	
				संगठनों में अनुसंधान एवं	
				विकास कार्य का 12 वर्षों	
				का अनुभव। इन 12 वर्षों	
				में से कम से कम 5 वर्ष का	
				अनुभव ग्रुप लीडर अथवा	
				पर्यवेक्षण पद पर हो तथा	
				खाद्य विज्ञान संबंधी	
				कार्यक्रमों से संबंधित कार्य	
				किया हो, जिसमें	
				-	
				आयोजना, विकास और	
				समन्वयन का कार्य	
				शामिल हो।	
				अथवा	
				(घ)(i) उपर्युक्त विषयों में	
				से किसी विषय में	
				डॉक्टरेट की उपाधि तथा	
				खाद्य विज्ञान/	
				मानक/सुरक्षा के क्षेत्रों में	
				माग्यमधुरदा य दात्रा म	
				प्रयोगशालाओं/अनुसंधान	
				संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों	
				में कार्य का 9 वर्षों का	
				अनुभव तथा इन 9वर्षों में	
				से कम से कम 5 वर्षों का	
				अनुभव ग्रुप लीडर अथवा	
				पर्यवेक्षण पद पर हो और	
				खाद्य विज्ञान संबंधी	
				कार्यक्रमों से संबंधित कार्य	
				किया हो, जिसमें	
				आयोजना, विकास और	
				_	
				समन्वयन का कार्य	
				शामिल हो; और	
				(ii) संबंधित क्षेत्र में	
				प्रकाशित अनुसंधान	
				साहित्य।	
				टिप्पणी 1 : अन्यथा	
				सुयोग्य उम्मीदवारों के	
				मामले में योग्यताओं में	
				सक्षम प्राधिकारी के	
				विवेकानुसार छूट दी जा	
				ायपकानुसार छूट दा जा सकती है।	
				यकता है।	
				टिप्पणी 2: चयन के किसी	
				स्तर पर सक्षम प्राधिकारी	
				को यह विश्वास हो जाने	
				पर कि अनुसूचित	
				पर ।क अनुसूचित ————————————————————————————————————	
				जाति/जन जाति के लिए	

		आरक्षित रिक्तियों को
		भरने के लिए इन
		समुदायों के अपेक्षित
		अनुभव रखने वाले
		उम्मीदवारों की पर्याप्त
		संख्या उपलब्ध होने की
		संभावना नहीं है, तो
		सक्षम प्राधिकारी इन
		समुदायों के उम्मीदवारों
		के लिए अनुभव संबंधी
		योग्यताओं में अपने
		विवेकानुसार छूट दे
		सकता है।
		टिप्पणी 3: उपर्युक्त
		शैक्षिक योग्यताओं एवं
		अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक
		आवश्यकता के अनुसार
		लिया जाएगा, जिसका
		उल्लेख विज्ञापन में हर
		बार किया जाएगा।
	l	

9	10	11	12	13
1 वर्ष	(i) पदोन्नित द्वारा 60%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन द्वारा। (ii) 40% सीधी भर्ती द्वारा	(क) पदोन्नित के लिए: स्तर11 (रु. 67,700-2,08,700) में उप निदेशक, ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा। (ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक अनुबंध सहित)/ आमेलन के लिए: केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक अथवा स्वायतशासी संगठनों के वे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परकार्यरत हों; अथवा (i) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 11 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएँ और अनुभव रखते हों।	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:- (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई - अध्यक्ष (ii) कार्यकारी निदेशक, एफएसएसएआई - सदस्य (iii) सलाहकार, एफएसएसएआई - सदस्य (iv) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य	लागू नहीं

1 2 3 4 5 6 7 7 8 उप निदेशक *44 (2017) 8 (तए पद) समाज्य वेतन स्तर चयन 40 वर्ष (क)(i) किसी मानवता नहीं विश्व विद्यालयामंस्था से स्नाह 2,08, क, तिर अनु सचिवीय सिवीय	
8 (तए पव) सेवा, समूह क. गैर. अनु- सचिवीय त्रिवीय त्रिवीचीतिकी/व्राव्य त्रिवीय त्रिवीय त्रिवीय त्रिवीचितिकीय त्रिवीचीतिकीय त्रिवीय त्रिवी	
समा, वर, ००० विश्वविद्यालय/सन्या से स्नाह २,००० (।) प्राप्त की अपेक्षानुसार कर प्राप्ति हों से स्नाह उपाधि हो से स्नाह वर्षाधि हो से स्नाह वर्षाधि हो से स्नाह सिविय (।) प्राप्त की अपेक्षानुसार प्राप्त हो सित सानव संसाधन विकास अथवा/ और सतर्कता का कार्य देखने का 10 वर्षों का अवृत्तव। वाद्धतिशः सान्यता- प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.बी.ए की उपाधि अथवा समृतृत्य योग्यता। अथवा (ख)मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था में विधि स्नाहक की पूर्णकाविक उपाधि तथा विधिक मामले देखने का 6 वर्षों का अनुभव अथवा किसी प्रतिद्वित सरकारी/ स्वायतशासी/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्ववितिक केपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का उपक्रमा/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अथवा संस्थान/ सार्ववितिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अथवा संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्ववितिक अथवा संस्थान से रूप में कार्य का अथवा संस्थान से रूप में कार्य का अथवा संस्थान से रूप में रूप से रूप से रूप में सार्य केपनी अथवा संस्थान से रूप में सार्य निकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/बाद्य रोष्ट्रोगिकी/बाद्य रोष्	
क, गैर- अनु- सचिवीय ((()) पद की अपेक्षानुसार प्रशासन, विस्त, मानव समाधन विकास अववा। और सतर्कता का कार्य देखने का 10 वर्षों का अनुमव। बांद्धनीय: मान्यता- प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.वी.ए की उपाधि अथवा समुद्र्य योग्यता। अथवा (ख)मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से विधि स्नातक की पूर्णकालिक उपाधि तथा विधिक मानक देखने का 6 वर्षों का अनुभव अथवा किसी प्रतिष्ठित सरकारी। स्वायता/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विधिक के के उपक्रम/विधिक के के उपक्रम/विधिक के के उपक्रम/विधिक के के प्रकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (वा) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से स्वारता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/कीय प्राथानिकी/खाद्य जेल प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल विश्वविद्यालय प्रौद्यागिकी/खाद्य तेल विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय प्रौद्यागिकी/खाद्य तेल विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय प्रौद्यागिकी/खाद्य तेल विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विद्यालय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/खाद्य तेल विश्वविद्यालय विष	
क. (ii)पद की अपेक्षानुसार प्रशासन, वित्त, मानव संसाधन विकास अथवा/ और सतर्कता का कार्य देखने का 10 वर्षों का अनुभव। वांद्रतीयः मान्यता- प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.वी.ए. की उपाधि अथवा समतुत्य योग्यता। अश्वा सम्लाम से विधि स्तातक की पूर्णकालिक उपाधि तथा विधिक सामले देखने का 6 वर्षों का अनुभव अथवा किसी प्रविधित सरकारी/ स्वायतामीशनुत्रधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्थकानिक केव प्राप्ति। स्वायतामीशनुत्रधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्थकानिक केव के उपकार/विश्वविद्यालय/ सार्थकानिक केव के उपकार/विश्वविद्यालय/ सार्थकानिक केवा के उपकार/विश्वविद्यालय/ सार्थकानिक केवा के उपकार/विश्वविद्यालय/ सार्थकानिक केवा के उपकार/विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायतिकी/खाद्य अथवा संस्था से रासायतिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/खुत्य तेल प्रौद्योगिकी/खुत्य तेल प्रौद्योगिकी/खुत्य तेल प्रौद्योगिकी/खुत्य तेल प्रौद्योगिकी/खुत्य सेव विवान/देश्यरी	
संविदीय संविदीय संविदीय संविदीय संविदीय वैद्याने का 10 वर्षों का अनुमव। वांद्यनीय: मान्यता- प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.बी.ए की उपाधि अथवा (अमान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से विधि स्नातक की पूर्णकाविक उपाधि तथा विश्वक सामले देखने का 6 वर्षों का अनुभव अथवा संस्था से विधि स्नातक की पूर्णकाविक उपाधि तथा विश्वक सामले देखने का 6 वर्षों का अनुभव अथवा किसी प्रतिश्चित सरकारी/ स्वायत्यासी/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्विक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अपुगव। अथवा (ग्) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायतिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य	
ससाधन विकास अथवा/ और सतर्कता का कार्य देवने का 10 वर्षों का अनुभव। बांछनीय: मान्यता- प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था में एम.बी.ए की उपाधि अथवा समतुल्य बोग्यता। अथवा (ख)मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था विधि स्नातक की एर्णकालिक उपाधि तथा विधिक सामले देवाने का 6 वर्षों का अनुभव अथवा अभ्वा अनुभव अथवा किसी प्रतिष्ठित सरकारी/ स्वायतशासी/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक केष्र उपक्रम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था प्रवाचित्र सरकारी/ स्वायतशासी/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक केष्र उपक्रम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था संस्था रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य	
देखने का 10 वर्षों का अनुभव। वांछनीय: मान्यता- प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.वी.ए की उपाधि अथवा समतुल्य योग्यता। अथवा (ख)मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से विधि स्नातक की पूर्णकालिक उपाधि तथा विधिक मामले देखने का 6 वर्षों का अनुभव अथवा किसी प्रतिष्ठित सरकारी/ स्वायतशासी/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य	
अनुभव। वांद्वतीयः मान्यता- प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.वी.ए की उपधि अथवा समतुल्य योग्यता। अथवा (ख)मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से विधि स्नातक की पूर्णकालिक उपाधि तथा विधिक मामले देखने का 6 वर्षों का अनुभव अथवा किसी प्रतिष्ठित सरकारी/ स्वायतशासी/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/आद्य प्रौद्योगिकी/सुव्य प्रौद्योगिकी/सुव्य प्रौद्योगिकी/सुव्य प्रौद्योगिकी/सुव्य प्रौद्योगिकी/सुव्य प्रौद्योगिकी/सुव्य	
बांद्धनीय: मान्यता- प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.बी.ए की उपाधि अथवा समतुल्य योग्यता। अथवा (ख)मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से विधि स्नातक की पूर्णकालिक उपाधि तथा विधिक मामले देखने का 6 वर्षों का अनुभव अथवा किसी प्रतिष्ठित सरकारी/ स्वायतथासी/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था में रासायनिकी/जैव रासायनिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सृक्ष्म जीव	
प्रदल्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.वी.ए की उपाधि अथवा समतुल्य योग्यता। अथवा (ख)मान्यता-प्रदल्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से विधि स्नातक की पूर्णकालिक उपाधि तथा विधिक मामले देखने का 6 वर्षों का अनुभव अथवा किसी प्रतिद्वित सरकारी/ स्वायतथासी/अनुभंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमी/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदल्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था में रासायनिकी/जीव रासायनिकी/जीव रासायनिकी/जीव रासायनिकी/जीव विज्ञान/डेयरी	
विश्वविद्यालय/संस्था से एम.वी.ए की उपाधि अथवा समतुल्य योग्यता। अथवा (ख)मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से विधि स्नातक की पूर्णकालिक उपाधि तथा विधिक मामले देखने का 6 वर्षों का अनुमब अथवा किसी प्रतिष्ठित सरकारी/ स्वायतणासी/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुमव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य रोष्योगिकी/खाद्य रोष्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/खाद्य रोष्योगिकी/खाद्य तेल	
एस.बी.ए की उपाधि अथवा समतुल्य योग्यता। अथवा (ख)मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से विधि स्नातक की पूर्णकालिक उपाधि तथा विधिक मामले देखने का 6 वर्षों का अनुभव अथवा किसी प्रतिष्ठित सरकारी/ स्वायतशासी/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जीव रासायनिकी/जीव रासायनिकी/जीव	
अथवा समतुल्य योग्यता। अथवा (ख)मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से विधि स्नातक की पूर्णकालिक उपाधि तथा विधिक मामले देखने का 6 वर्षो का अनुभव अथवा किसी प्रतिष्ठित सरकारी/ स्वायतशासी/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जीव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव	
अथवा (ख)मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से विधि स्नातक की पूर्णकालिक उपाधि तथा विधिक मामले देखने का 6 वर्षों का अनुभव अथवा किसी प्रतिष्ठित सरकारी/ स्वायतशासी/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/सुक्ष्म जीव	
(ख)मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से विधि स्नातक की पूर्णकालिक उपधि तथा विधिक मामले देखेन का 6 वर्षों का अनुभव अथवा किसी प्रतिष्ठित सरकारी/ स्वायतशासी/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव रासायनिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/सूक्म जीव	
विश्वविद्यालय अथवा संस्था से विधि स्नातक की पूर्णकालिक उपाधि तथा विधिक मामले देखने का 6 वर्षों का अनुभव अथवा किसी प्रतिष्ठित सरकारी/ स्वायतशासी/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/औव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव	
संस्था से विधि स्नातक की पूर्णकालिक उपाधि तथा विधिक मामले देखने का 6 वर्षों का अनुभव अथवा किसी प्रतिष्ठित सरकारी/ स्वायतशासी/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव रासायनिकी/जीव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेयरी	
की पूर्णकालिक उपाधि तथा विधिक मामले देखने का 6 वर्षों का अनुभव अथवा किसी प्रतिष्ठित सरकारी/ स्वायतशासी/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव	
देखने का 6 वर्षों का अनुभव अथवा किसी प्रतिष्ठित सरकारी/ स्वायतशासी/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेयरी	
अनुभव अथवा किसी प्रतिष्ठित सरकारी/ स्वायतशासी/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव	
प्रतिष्ठित सरकारी/ स्वायतशासी/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सुक्ष्म जीव विज्ञान/डेयरी	
स्वायतशासी/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव	
संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव	
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव	
विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव	
में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायिनिकी/जैव रासायिनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेयरी	
अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेयरी	
(ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेयरी	
विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेयरी	
रासायनिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेयरी	
रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेयरी	
प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेयरी	
प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेयरी	
विज्ञान/डेयरी	
प्रैद्योगिकी/ कृषि	
विज्ञान/पशु विज्ञान/ जैव	
प्रौद्योगिकी/पोषण/ आविष विज्ञान/नैनो	
प्रौद्योगिकी/फल और	
सब्जी प्रौद्योगिकी/खाद्य	
सुरक्षा और गुणता	
आवश्वासन/जीवन	
विज्ञान/ जन स्वास्थ्य/औषध अथवा	
किसी अन्य सम्बद्ध क्षेत्र	
में स्नातकोत्तर अथवा	

⁵समान वेतन स्तर 11 में उप निदेशक के 30, मुख्य तकनीकी अधिकारी के 03, सूक्ष्म जैव विज्ञानी के 05 और वैज्ञानिक Ⅳ(2) के 06 स्वीकृत पदों की जगह उप निदेशक के 44 पद।

विज्ञान/मानक सुरका के क्षेत्र प्रयोदकालां/अवनृत्तेश्वल संस्वालं/ वेशानिक संस्वालं/ वेशानिक संस्वालं/ वेशानिक संस्वालं/ वेशानिक संस्वालं/ अनुत्तेश्वल एवं विश्वास कार्य का 10 वर्षों के अनुकत पूर्व एवं विश्व व्यवस्था प्रत 10 वर्षों के में के कार्य के व्यवस्था प्रत प्रत के कार्य कर्या कर्य कर्य कर्य कर्य कर्य कर्य कर्य कर्य		T	1		,
शेव भी प्रतिप्ताला श्रीश्रम्वाणा संख्यां श्री के क्षा किया स्था की किया किया किया किया किया किया किया किया					
शेव भी प्रतिप्ताला श्रीश्रम्वाणा संख्यां श्री के क्षा किया स्था की किया किया किया किया किया किया किया किया				विज्ञान/मानक/ सुरक्षा के	
प्रणेगणालाओं अनुमाना संग्रहाणीं वे आनुसंग्रास एवं विकास कार्य का 10 वर्षों का अनुस्व इत 10 वर्षों में से कार्स में का 4 वर्ष का अनुस्व दुर्ग सीटर अथवा पर्देशका पद पर हो तथा खाद्य विज्ञान कार्यों का कार्यका विज्ञान कार्यों कार्यका में संविशित कार्य किया हो, जिससे आयोजदा, विकास और समस्यदन का कार्य शासिल हो, अथवा (व)(1) उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में डॉक्टर के वे उपिति कार्या सानकार्यका के की में प्रमेशणालाओं अनुमाना सानकार्यका के की में प्रमेशणालाओं अनुमाना सम्बद्धां अनुमाना हक्त सर्था के कार्य प्रमानकार कार्य सम्बद्धाः सम्वद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धा					
संस्थाओं है कहासिक संगठनों में अनुमास एवं विकास कार्य का 10 वर्षों के अनुस्था इन 10 वर्षों में के क्य से क					
संकरों में अनुमान एवं विकास कार्य का 10 वर्षों का अनुभव पूर लीवत कार्य का 10 वर्षों का अनुभव पूर लीवत अनुभव पूर पर हो तथा खळ विज्ञान कंकी कार्यक्रमा में संविध्य कार्य किया हो. जिससे अर्थाक्रमा हो. जिससे अर्थाक्रमा हो। अर्था (कां) उपलेख विषयों में से विक्री विषय में इंक्टरेट की उपशि तथा खाद विज्ञान मानकसूर्या के लेवों में प्रतीमात्रालां भी के विक्रान मानकसूर्या के लेवों में प्रतीमात्रालां भी के विक्रान मानकसूर्या के लेवों में प्रतीमात्रालां भी कार्य का 7 वर्षों का अनुभव तथा इन वर्षों में के कम में					
एवं विकास कार्यं का 10 वर्षों का अनुप्रवा इन 10 वर्षों में कम से कम 4 वर्ष का जनुप्रवा पूर्व सीहर अथवा परवेदेवाण पद पर हो तथा खाख्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से सर्वदित कार्य किया है, जिससे आर्था कार्यक्रमों से सर्वदित कार्य किया है, जिससे आर्था कार्यक्रमों से सर्वदित कार्य किया है, जिससे आर्था कार्यक्रमों से सर्वदित कार्य विचया (अ)() उपकृत्य विषयों में में सिलती विषय से हेक्टरेट की उपधित तथा खाख विज्ञान/ सानकपुरका से क्षेत्रों से प्रयोगआवाओं/अनुस्थावन संस्थाओं/अवालीं के क्षेत्र से प्रयोगआवाओं/अनुस्थावन संस्थाओं/अवालीं कि कार्यकर्या देन वर्षों से कार्य कार्य हर वर्षों से से कार्य कार्य हर वर्षों से से कार्य कार्यकर्या परवेदेवाण पद पर हो और खाख विज्ञान संवर्धी कार्यक्रमों से सर्वदित कार्य विचार से संविदित कार्य विचार हो, जिससे आसीवता, विकास और समस्वयन का कार्य शामिल हो, जैर शामिल हो, जैर शामिल हो, जैर शामिल हो, जैर शामिल हो, जैर					
सपों में ते कम ते कम 4 वर्ष का अनुभवा पुण सिंदर अवका पर्यवेक्षण पद पर हो तक्ष वा स्वार्थ विज्ञान सर्वेक्षण पद पर हो तक्ष विश्वा हो, जिसमें आयोजना, विकास और सम्वयदन का कार्य लागिक हो। अथवा (भ)() उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में को कोर्युरेट विषयों में से किसी विषय में को कोर्युरेट ही उपाधि तथा खाछ विज्ञान मासकम्मुख्या के क्षेत्रों में प्रयोगभावाओं/अनुसंधान मस्त्राओं/विज्ञानिक स्वार्थों का अनुभव तथा हन तथा में से कार्य न स्वार्यों में कार्य का 7 वर्षों का अनुभव तथा हन तथा में में कार्य का 7 वर्षों का अनुभव तथा हन तथा में में कार्य का अनुभव सुण सीहर व्यव्या पर्यव्याण पर हो और याज विज्ञान सर्वेधी कार्यकर्मों में सर्वेधित कार्य केवा हो, विभमें आयोजना, विकास और ममस्वयन का कार्य आपित हो; और (प)मंबिश्त केव में अनुसंधान साहित्य फक्तानिक करवा हो। हिल्लामी : क्ष्य स्वार्थान करवा हो। हिल्लामी : क्ष्य स्वार्थान करवा हो। हिल्लामी : स्वार्थान माहित्य फक्तानिक करवा हो।					
वर्षों में से कम से कम 4 वर्ष का अनुसव पूर्ण तीहर अवश्वा पूर्ण की तथा वाच्या विज्ञान संवर्षीय कार्यक्रमों से संविधित कार्य किया हो, तिक्या की तथा हो, तिक्या की तथा हो, तिक्या की तथा हो, तिक्या और समन्वयन का कार्य व्याप्तित हो। अथवा (भा) अपूर्णकर विषयमों में से किसी विषय में हॉक्टरेट की उपाधि तथा खाद्य विज्ञानः सारकस्तुआ के क्षेत्रों में प्रयोगभावाओंआनिक सारकस्तुआ के क्षेत्रों में प्रयोगभावाओंआनिक सारकस्तुआ के को 7 वर्षों के अनुभव तथा हन वर्षों में कार्य का अनुभव तथा हन वर्षों में में कम से कम 4 वर्षों का अनुभव तथा हन वर्षों में में कम से कम 4 वर्षों का अनुभव सुप्त कीट अध्यवा पर्यवेधन कर पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों में संबंधी कार्यक्रमों कार्यक्रमों कार्यक्रमों कार्यक्रमों के साम्रक्रम की किया हो, जिसमों आवीवना, विकास और साम्रक्रम कार्यक्रमीय प्राचित्र के मामल में योग्यताओं में साम्रक्रम प्राधिकरी के विवेकतनमार हुट थी वा सकरी है।				एवं विकास कार्य का 10	
वर्षों में से कम से कम 4 वर्ष का अनुसव पूर्ण तीहर अवश्वा पूर्ण की तथा वाच्या विज्ञान संवर्षीय कार्यक्रमों से संविधित कार्य किया हो, तिक्या की तथा हो, तिक्या की तथा हो, तिक्या की तथा हो, तिक्या और समन्वयन का कार्य व्याप्तित हो। अथवा (भा) अपूर्णकर विषयमों में से किसी विषय में हॉक्टरेट की उपाधि तथा खाद्य विज्ञानः सारकस्तुआ के क्षेत्रों में प्रयोगभावाओंआनिक सारकस्तुआ के क्षेत्रों में प्रयोगभावाओंआनिक सारकस्तुआ के को 7 वर्षों के अनुभव तथा हन वर्षों में कार्य का अनुभव तथा हन वर्षों में में कम से कम 4 वर्षों का अनुभव तथा हन वर्षों में में कम से कम 4 वर्षों का अनुभव सुप्त कीट अध्यवा पर्यवेधन कर पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों में संबंधी कार्यक्रमों कार्यक्रमों कार्यक्रमों कार्यक्रमों के साम्रक्रम की किया हो, जिसमों आवीवना, विकास और साम्रक्रम कार्यक्रमीय प्राचित्र के मामल में योग्यताओं में साम्रक्रम प्राधिकरी के विवेकतनमार हुट थी वा सकरी है।				ਰੂਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰਤਾਰ। ਵਰ 10	
वर्ष का अनुमत पुण लीहर अथवा पर्ववस्थाण पद पर हो तथा खाख विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्यक्रमां हो। अथवा (अ)() उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में डॉक्टरेट की उपाधित तथा खाद्य विज्ञान सामक्त्रमुखा के क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं/अनुसंधान सम्बज्जी/विज्ञानिक संप्यजी/विज्ञानिक संप्यजी/विज्ञानिक संप्यजी/विज्ञानिक संप्रकृति के कार्य के स्वतं में क्षेत्र में कार्यका पृत्वकृत्य अथवा पृत्वकृत्य के क्षित्य संवच्या स्वच्या स्वच्य				=	
जीहर अथवा पर्यक्षेत्रण पर पर हो तथा खाछ विज्ञान संवर्धी कार्यक्रमों से नवंधित कार्य लिया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समस्वयन का कार्य शामिल हो। अव्यवा (प)() उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में डॉक्टरेंट की उपाधि तथा खाछ विज्ञान से प्रयोगणालाओं अनुसंधान संबंधों में से किसी विषय में डॉक्टरेंट की उपाधि तथा खाछ विज्ञान से प्रयोगणालाओं अनुसंधान सम्बाओं जीजनिक संगठनों में क्या में प्रयोगणालाओं अनुसंधान सम्बाओं जीजनिक संगठनों में क्या के अनुसव तथा इन वर्षों में से कम से कम से कम से वर्षों का 7 वर्षों का अनुसव तथा इन वर्षों में से कम से कम से वर्षों का अनुसव तुप लीहर अथवा प्रवेशवण पर पर हो और खाछ विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संविद्यत कार्य की कार्यक्रमों से संविद्यत कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समस्वया कार कार्य शामिल हो, और (ए)संविध्यत क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकारित करार्य हो हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुसोग्य उम्मीदवारों के सामले में योगखताओं में साक्षम प्राक्रिकारों में साक्षम प्राक्रिकारों के विवेशवानुगर हृद दी जा सकती है। टिप्पणी 2 चयन के किसी स्वर पर सथम प्राक्रिकारों ने यह विश्ववा हो जाने पर कि				वर्षों में से कम से कम 4	
जीहर अथवा पर्यक्षेत्रण पर पर हो तथा खाछ विज्ञान संवर्धी कार्यक्रमों से नवंधित कार्य लिया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समस्वयन का कार्य शामिल हो। अव्यवा (प)() उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में डॉक्टरेंट की उपाधि तथा खाछ विज्ञान से प्रयोगणालाओं अनुसंधान संबंधों में से किसी विषय में डॉक्टरेंट की उपाधि तथा खाछ विज्ञान से प्रयोगणालाओं अनुसंधान सम्बाओं जीजनिक संगठनों में क्या में प्रयोगणालाओं अनुसंधान सम्बाओं जीजनिक संगठनों में क्या के अनुसव तथा इन वर्षों में से कम से कम से कम से वर्षों का 7 वर्षों का अनुसव तथा इन वर्षों में से कम से कम से वर्षों का अनुसव तुप लीहर अथवा प्रवेशवण पर पर हो और खाछ विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संविद्यत कार्य की कार्यक्रमों से संविद्यत कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समस्वया कार कार्य शामिल हो, और (ए)संविध्यत क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकारित करार्य हो हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुसोग्य उम्मीदवारों के सामले में योगखताओं में साक्षम प्राक्रिकारों में साक्षम प्राक्रिकारों के विवेशवानुगर हृद दी जा सकती है। टिप्पणी 2 चयन के किसी स्वर पर सथम प्राक्रिकारों ने यह विश्ववा हो जाने पर कि				वर्ष का अनभव ग्रप	
पद पर हो तथा खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संविदित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समस्ययन का कार्य शामिल हो। अथवा (प)(ा) उपर्युक्त विषयों से से किसी विषय में इंक्टरेट की उपाधि लख्य याद्य विज्ञान, सानकस्या के अंबों में प्रयोगशालाओं अनुस्थान संस्थाओं देवानिक संस्थाओं देवानिक संस्थाओं देवानिक संस्थाओं देवानिक व्या तीहर अथवा प्रवेद अथवा प्रव					
विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्यक किया हो, कियमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो। अवया (घ)() उपर्युक्त विषयों में ने किसी विषय में डॉक्टरे की उपाधि लाश खाद्य विज्ञान/ सानकमुखा के अंदों में प्रयोगशालाओं/अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संस्यानों में कार्य का 7 वर्षों का अनुभव तथा इत वर्षों में से कम से काम 4 वर्षों का अनुभव सुण लीडर अवया प्रविक्षण पद पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों का संस्थाओं/वैज्ञानिक तक्ष्य विज्ञान संवधी कार्यक्रमों के सम से काम 4 वर्षों का अनुभव सुण लीडर अवया प्रविक्षण पद पर हो और खाद्य विज्ञान संबधी कार्यक्रमों किस हो और साम विज्ञान, विकास आयोजना, विकास आयोजना, विकास आयोजना, विकास सम्बयन का कार्य शामिल हो; और (प)संविद्य केल में अनुसंविद्य काम में अनुसंविद्य काम में स्वाप उम्मिद्यारों स्वाप उम्मिद्यारों स्वाप उम्मिद्यारों स्वाप अन्वया सुणोप उम्मिद्यारों से संविक्त काम में विकानुसार कुट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी के यह विश्वमा हो जाने पर कि					
से संबंधित कार्य किया हो, जियमें कार्याजना, विकास और मान्यवम का कार्य शामिल हो। अथवा (च()) उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में डॉक्टर की उपाधि तथा खाद्य खाद्य खाद्य वार्य के जिया हो जिया न सानक/मुखा के क्षेत्रों में प्रयोगशालां की अलुम्य न सानक/मुखा के क्षेत्रों में प्रयोगशालां की अलुम्य न स्था इन वर्षों में कार्य का 7 वर्षों का अनुमय तथा इन वर्षों में कार्य का 7 वर्षों का अनुमय तथा इन वर्षों में कार्य का अनुमय पूप लीडर अथवा पर्यवेद्याण पद पर हो और दाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, विषमें आयोजना, विकास और समत्रयन का कार्य शामिल हो; और (इ) मंद्रिया प्रविचित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सूचीय उम्मिद्रात हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सूचीय उम्मिद्रात हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सूचीय उम्मिद्रात है। टिप्पणी 2: चयन के विवकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी के यह विवकार हो जा पर कि					
हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो। अथवा (अ)(1) उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि तथा खाद्य विज्ञान/ सानक/सुरक्षा के क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं/अनुर्पधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में कार्य का 7 वर्षों का अनुभव तथा इन वर्षों में से कम से कम 4 वर्षों का अनुभव सुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो और खाद्य विज्ञान नर्वशी कार्यक्रमों से संविधित कार्य विज्ञा हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (अ)स्वेधित केत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित करावा हो। टिप्पणी 1: अन्वथा सुयोग्य उस्मीदवानों के सामकों में योगदाताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छुट दी जा सक्षम सक्षम प्राधिकारी को विवेकानुसार छुट दी जा सक्षम सक्षम प्राधिकारी को विवेकानुसार छुट दी जा					
विकास और समन्ययन का कार्यशासिल हो। शयवा (घ)()) उपर्युक्त विषयों में ने किसी विषय में डॉक्टरेट की उपधितथ वा खाद्य विज्ञान/ सानकत्पुरुवा के क्षेत्रों में प्रयोगशावाती/अनुसंधान संस्थाओ/वीजानिक संगठनों में कार्य का 7 वर्षों का अनुस्य तथा उन वर्षों में से कम से कम 4 वर्षों का अनुस्य पुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो और खाद्य विज्ञान नंबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समस्यन का कार्य शामिल हो; और (घ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा स्वोगत उम्मीदवारों के सामल में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी के यह विश्वास हो जाने पर कि					
विकास और समन्ययन का कार्यशासिल हो। शयवा (घ)()) उपर्युक्त विषयों में ने किसी विषय में डॉक्टरेट की उपधितथ वा खाद्य विज्ञान/ सानकत्पुरुवा के क्षेत्रों में प्रयोगशावाती/अनुसंधान संस्थाओ/वीजानिक संगठनों में कार्य का 7 वर्षों का अनुस्य तथा उन वर्षों में से कम से कम 4 वर्षों का अनुस्य पुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो और खाद्य विज्ञान नंबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समस्यन का कार्य शामिल हो; और (घ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा स्वोगत उम्मीदवारों के सामल में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी के यह विश्वास हो जाने पर कि				हो, जिसमें आयोजना,	
का कार्य थामिल हो। अथवा (भ्()) उपयुंचन विषयों में से किसी विषय में डॉक्टरेट की उमाधि तथा खाख खाख खाख खाख सान के बार के बार में मानक/सूरका के क्षेत्रों में प्रयोगशालाक्षी/अनुसंधान संस्थाओं/कैज़ानिक संस्टतों में कार्य का स्वार्य के अनुसंधान संस्थाओं/कैज़ानिक संस्टतों में कार्य का उत्त वर्षों में त कम से कम 4 वर्षों का अनुस्व पुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पर पर हो और खाख विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (भ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के विसे सत्त पर सक्षम प्राधिकारी के यह विश्वार हो जाने पर कि					
(श)() उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि तथा खाद्य विज्ञान मानकप्रसाकों अंद्रों में प्रयोगगाताओं अनुसंधान संस्थाओं त्रैणानिक संगठनों में कार्य का 7 वर्षों को कन्म तथा इन वर्षों में के कार्य के कम 4 वर्षों का अनुभव पूप लीडर अथवा पर्यवेशका पद पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधी कार्यक्रमों से संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्ययन का कार्य शामिल हो; और (अ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मिदिवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुवार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
(प)(ा) उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि तथा खाखा स्वाचा स्वाचा स्वाचा स्वाचा स्वाचा स्वाचा स्वाचा स्वाचा सामक/स्रक्षा के क्षेत्रों में प्रयोगआपताओं/अत्मधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में कार्य का अनुभव तथा इन वर्षों में से कम से कम 4 वर्षों का अनुभव खुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो और खाख विज्ञान संबंधीत कार्यकर्मों से मंबंधित कार्य किसा हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (घ)संबंधित केत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुमार हुट दी जा सकती है।					
में से किसी विषय में डॉक्टर की उपायि तथा खाद्य विजान/ मानक/मुरक्षा के क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं/अनुसंशाल संस्थां में कार्य का 7 वर्षों का अनुभव तथा इत वर्षों में से कम से कम से कम 4 वर्षों का अनुभव तथा इत वर्षों में से कम से कम 4 वर्षों का अनुभव सुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो और खाद्य विजान मंबधीत कार्यक्रमी कार्यक्रमी कार्यक्रमी आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (प)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विकेतानुमार छूट दी जा मकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
में से किसी विषय में डॉक्टर की उपायि तथा खाद्य विजान/ मानक/मुरक्षा के क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं/अनुसंशाल संस्थां में कार्य का 7 वर्षों का अनुभव तथा इत वर्षों में से कम से कम से कम 4 वर्षों का अनुभव तथा इत वर्षों में से कम से कम 4 वर्षों का अनुभव सुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो और खाद्य विजान मंबधीत कार्यक्रमी कार्यक्रमी कार्यक्रमी आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (प)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विकेतानुमार छूट दी जा मकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि				(घ)(i) उपर्युक्त विषयों	
डॉक्टरेट की उपाधि तथा खाद्य विज्ञान/ मानक-भूतरका के क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं/अनुसंशान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में कार्य का 7 वर्षों का अनुभव तथा इत वर्षों में से कम से कम 4 वर्षों का अनुभव पुप तीडर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (घ)संबंधिन सोहत्य प्रकाशित करावा हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योगदाओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेक्तनुस्तार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकार केय वह विश्वास हो आने पर कि					
खाद्य जिल्लामं मानकस्पाला के क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं अनुसंधान संस्थाओं दिज्ञानिक संगठनों में कार्य का 7 वर्षों का अनुभव तथा इन वर्षों में से कम मे कम 4 वर्षों का अनुभव प्रुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पर पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधी कार्यक्रमों से संबंधीत कार्य केचा हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (इ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित संबंधी कार्यक्रमां हो। िटप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यनाओं में सक्षम प्राधिकारों के विवेकानुस्तर छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास हो जाने पर कि					
मानक/सुरक्षा के क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं/अनुसंधान संस्थाओं/अनिकान संगठनों में कार्य का 7 वर्षों का अनुभव तथा इन वर्षों में से कम से कम 4 वर्षों का अनुभव ग्रुप लीइर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना और समन्ययन का कार्य शामिल हो; और (घ]मंबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यलाओं में सक्षम प्राध्वतारों के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
प्रयोगशालाओं/अनुसंधान सम्याओं/वैज्ञानिक संगठनों में कान का 7 वर्षों का अनुभव तथा इन वर्षों में से कम से कम 4 वर्षों का अनुभव ग्रुप लीडर अथवा पर्यवेकण पद पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (घ)संबधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में कार्य का 7 वर्षों का अनुभव तथा इन वर्षों में से कम से कम 4 वर्षों का अनुभव ग्रुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो, और (प्र)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह					
संगठनों में कार्य का 7 वर्षों का अनुभव तथा इन वर्षों में से कम से कम 4 वर्षों का अनुभव गुग किंडर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (घ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सृथोग्य उम्मिवाओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विथवास हो जाने पर कि				प्रयोगशालाओं/अनुसंधान	
वर्षों का अनुभव तथा इन वर्षों में से कम से कम 4 वर्षों का अनुभव पुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पर पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्यक्रमों से संबंधित कार्यक्रमों से संबंधित कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (घ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुगोत्य उम्मीदवारों के मामले में योज्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि				संस्थाओं/वैज्ञानिक	
वर्षों का अनुभव तथा इन वर्षों में से कम से कम 4 वर्षों का अनुभव ग्रुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यकर्मों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (घ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुत्रोप्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि				संगठनों में कार्य का 7	
इन वर्षों में से कम से कम 4 वर्षों का अनुभव ग्रुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (घ)मंबंधित क्षेत्र में अनुमंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
कम 4 वर्षों का अनुभव ग्रुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (घ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
ग्रुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (घ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
ग्रुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (घ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि				कम 4 वर्षों का अनुभव	
पर्यवेक्षण पद पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (घ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि				=	
खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (घ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (घ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (घ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (घ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (घ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि				कार्य किया हो, जिसमें	
समन्वयन का कार्य शामिल हो; और (घ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
शामिल हो; और (घ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
(घ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
(घ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि				शामिल हो; और	
अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि				(घ)संबंधित क्षेत्र में	
प्रकाशित कराया हो। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि				प्रकाशित कराया हा।	
सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि				टिप्पणी 1: अन्यथा	
मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि				ाववकानुसार छूट दी जा	
किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि				सकती है।	
किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि				A +	
प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि					
विश्वास हो जाने पर कि					
				अनुसूचित जाति/जन	
जाति के लिए आरक्षित				जाति के लिए आरक्षित	
रिक्तियों को भरने के				रिक्तियों को भरने के	
लिए इन समुदायों के					
				ाराए इस समुदाया क	

	1	T T	
			अपेक्षित अनुभव रखने
			वाले उम्मीदवारों की
			पर्याप्त संख्या उपलब्ध
			होने की संभावना नहीं
			है, तो सक्षम प्राधिकारी
			इन समुदायों के
			उम्मीदवारों के लिए
			अनुभव संबंधी
			योग्यताओं में अपने
			विवेकानुसार छूट दे
			सकता है।
			टिप्पणी 3: उपर्युक्त
			शैक्षिक योग्यताओं एवं
			अनुभव के बारे में निर्णय
			पद की कार्यात्मक
			आवश्यकता के अनुसार
			लिया जाएगा, जिसका
			उल्लेख विज्ञापन में हर
			बार किया जाएगा।
			बाराकया जाएगा।
L	l l	l	

9	10	11	12	13
9 2 वर्ष	10 (i) पदोन्नित द्वारा 60%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन द्वारा। (ii) 40% सीधी भर्ती द्वारा	ात्री (क) पदोन्ति के लिए: स्तर10 (रु. 56,100-1,77,500) में सहायक निदेशक/ सहायक निदेशक (तकनीकी)/खाद्य विश्लेषक ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा। टिप्पणी 1: पदोन्ति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपने ग्रेड/पद पर निर्धारित अर्हक सेवा प्राप्त कर लेने की तिथि के सापेक्ष तैयार की जाएगी। टिप्पणी 2: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ अधिकारियों के पदोन्निते हेतु विचार किए जाने पर उनके साथ उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक, अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो,से कम न हो,और उन्होंने अगले उच्च ग्रेड पर पदोन्नित के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो (ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक अनुबंध सहित)/आमेलन के लिए: केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक अथवा स्वायतशासी संगठनों के वे अधिकारी:-	12 चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:- (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई - अध्यक्ष (ii) कार्यकारी निदेशक, एफएसएसएआई - सदस्य (iii) सलाहकार,एफएसएसएआई - सदस्य (iv) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य	नागू नहीं ।

(क)(i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में	
समतुल्य पद पर नियमित आधार	
परकार्यरत हों; अथवा	
(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में	
वेतन स्तर 10 अथवामूल	
संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य	
पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में	
पाँच वर्ष की नियमित सेवा की	
हो;अथवा	
(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में	
वेतन स्तर 8 अथवामूल	
संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य	
पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में	
छह वर्ष की नियमित सेवा की	
हो;	
(ख) जो कॉलम 7 में सीधी भर्ती के	
लिए विहित् शैक्षिक योग्यताएँ और	
अनुभव रखते हों।	

1	2	3	4	5	6	7	8
1 सहायक निदेशक	2 *22 ⁶ (2017)	3 सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह क, गैर- अनु- सचिवीय	4 वेतन स्तर 10 (रु. 56, 100-1,77, 500)	चयन	6 35 वर्ष	(क) किसी मान्यता- प्रदत्त विश्वविद्यालय/ संस्था से स्नातक उपाधि; और पद की अपेक्षानुसार प्रशासन, वित्त, मानव संसाधन विकास अथवा/ और सतर्कता का कार्य देखने का 6 वर्षों का अनुभव। वांछनीय: मान्यता- प्रदत्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एम.बी.ए की उपाधि। अथवा (ख) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से विधि स्नातक की उपाधि तथा विधिक मामले देखने का 3 वर्षों का अनुभव अथवा संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। हिष्मणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में	8 नहीं

⁶वेतन स्तर 10 में सहायक निदेशक के 22 स्वीकृत पदों की जगह सहायक निदेशक के 22 पद।

सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती हैं। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुस्कित जाति जात जाति जा जाति के लिए आरक्षित रिक्तिओं को भरने के लिए कर समुदायों के अपेक्षित अनुस्व रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैचिका से से प्राप्त के वारे में निर्णय पद की कार्यास्मक आवश्वकता के त्राप्त के वारे में निर्णय पद की कार्यास्मक आवश्वकता के बार में निर्णय पद की कार्यास्मक आवश्वकता के आवश्वस्मार लिखा जाएगा, जिसका उल्लेख विजापन में हर बार किया जाएगा		
सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुस्चित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के अपक्षित रिक्तियों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योगस्ताओं में अपने विवेकानुमार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योगस्ताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुभार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख		
सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुस्चित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के अपक्षित रिक्तियों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योगस्ताओं में अपने विवेकानुमार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योगस्ताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुभार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख		विवेकानुसार छूट दी जा
किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुस्चित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तिओं को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्रधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यास्मक ताश्यकता के अनुभार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख		सकती है।
किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुस्चित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तिओं को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्रधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यास्मक ताश्यकता के अनुभार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख		
प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुस्चित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उस्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुमव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार		
विश्वास हो जाने पर कि अनुस्चित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख		
अनुस्चित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपिक्षेत अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख		प्राधिकारी को यह
अनुस्चित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपिक्षेत अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख		विश्वास हो जाने पर कि
जाति के लिए आरक्षित िप्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख		
रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार		जाति के लिए आरक्षित
लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार		
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख		
वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख		। लिए इन समुदाया क
पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख		अपाक्षत अनुभव रखन
होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख		
है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख		
है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख		होने की संभावना नहीं
इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख		
उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख		
अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख		उम्मीदवारों के लिए
योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार		ਕਰਪਰ ਸ਼ਰਕੀ
विवेकानुसार छूट दे सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार		गोरमनाओं में भाने
सकता है। टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख		
टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार		विवकानुसार छूट द
शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार		सकता हा
शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार		टिप्पणी 3: उपर्यक्त
अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार		शैक्षिक योग्यताओं एवं
निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार		अनभव के बारे में
कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार		निर्णाय गर की
के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार		
जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार		
विज्ञापन में हर बार		
विज्ञापन में हर बार		जाएगा, जिसका उल्लेख
		विज्ञापन में हर बार

9	10	11	12	13
2 वर्ष	(i) पदोन्नति द्वारा 50%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन द्वारा। (ii) 50% सीधी भर्ती द्वारा	(क) पदोन्नित के लिए: स्तर8 (रु. 47,600-1,51,100) में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 2 वर्ष की सेवा। (ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक अनुबंध सहित)/आमेलन के लिए: केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक अथवा स्वायतशासी संगठनों के वे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परकार्यरत हों; अथवामूल संवर्ग/विभाग में (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में	चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:- (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई - अध्यक्ष (ii) कार्यकारी निदेशक, एफएसएसएआई - सदस्य (iii) सलाहकार, एफएसएसएआई - सदस्य (iv) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य	लागू नहीं

वेतन स्तर 8 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य	
पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में	
दो वर्ष की नियमित सेवा की हो;	
अथवा	
(iii)जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में	
वेतन स्तर 7 अथवा मूल	
संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य	
पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में	
तीन वर्ष की नियमित सेवा की	
हो;	
(iv)जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में	
वेतन स्तर 6 अथवा उसके	
समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद	
ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित	
सेवा की हो;	
(ख) जो कॉलम 7 में सीधी भर्ती के	
. , लिए विहित शैक्षिक योग्यताएँ और	
अनुभव रखते हों।	

1	2	3	4	5	6	7	8
प्रशासनिक अधिकारी	*117 (2017) (नया पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह ख, गैर- अनु- सचिवीय	वेतन स्तर 8 (रु. 47,600- 1,51, 100)	चयन	30 वर्ष	(क)किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उपाधि; और पद की अपेक्षानुसार प्रशासन, वित्त, मानव संसाधन विकास अथवा/और सतर्कता का कार्य देखने का उवर्षों का अनुभव। वांछनीय: मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से कार्मिक/मानव संसाधान प्रबंधन अथवा वित्त में एम.बी.ए उपाधि। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित	न र्ही

⁷वेतन स्तर 9 में वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रयोगशाला) के 04 स्वीकृत पदों और वेतन स्तर 8 में वित्त एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी (अंचल) के 07 स्वीकृत पदों की जगह प्रशासनिक अधिकारी के 11 पद।

रिक्तियों को भरने के
लिए इन समुदायों के
अपेक्षित अनुभव रखने
वाले उम्मीदवारों की
पर्याप्त संख्या उपलब्ध
होने की संभावना नहीं
है, तो सक्षम प्राधिकारी
इन समुदायों के
उम्मीदवारों के लिए
अनुभव संबंधी [°]
योग्यताओं में अपने
विवेकानुसार छूट दे
सकता है।
(13/(11) 6)
टिप्पणी 3: उपर्युक्त
शैक्षिक योग्यताओं एवं
अनुभव के बारे में निर्णय
पद की कार्यात्मक
आवश्यकता के अनुसार
लिया जाएगा, जिसका
उल्लेख विज्ञापन में हर
बार किया जाएगा।

9	10	11	12	13
2 वर्ष	(i) पदोन्नति द्वारा 90%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध	(क) पदोन्नित के लिए: स्तर6 (रु. 35,400-1,12,400) में सहायक ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 6 वर्ष की सेवा	चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:- (i) कार्यकारी निदेशक,	लागू नहीं
		नियुक्ति के बाद 6 वर्ष की सेवा सहित। (ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक अनुबंध सहित)/आमेलन के लिए: केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक अथवा स्वायतशासी संगठनों के वे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा	एफएसएसएआई –अध्यक्ष (ii) सलाहकार, एफएसएसएआई – सदस्य (iii) निदेशक,एफएसएसएआई – सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	
		(v) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 7 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा (vi)जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 6 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; (ख) जो कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएँ और अनुभव रखते हों।		

1	2	3	4	5	6	7	8
	*39 ⁸ (2017) 62 (नए पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह ख, गैर- अनु- सचिवीय	वेतन स्तर 6 (रु. 35,400- 1,12, 400)	चयन	30 वर्ष	किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उपाधि; टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुस्चित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।	नहीं नहीं

9	10	11	12	13
9 2	10 (i) पदोन्नित द्वारा 10%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन द्वारा। (ii) 90% सीधी भर्ती द्वारा	11 (क) पदोन्नित के लिए: स्तर4(रु. 25,500-81,100) में किनिष्ठ सहायक (ग्रेड-1) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 10 वर्ष की सेवा। (ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक अनुबंध सहित)/आमेलन के लिए: केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक अथवा स्वायतशासी संगठनों के वे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परकार्यरत हों; अथवा	चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:-	13 लागू नहीं
		(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में		

-

⁸वेतन स्तर 6 में सहायक के 12 स्वीकृत पदों, पुस्तकाध्यक्ष के 01 स्वीकृत पद, वेतन स्तर 6 में लेखा सहायक के 03 स्वीकृत पदों और वेतन स्तर 3 में प्रयोगशाला सहायक के 23 स्वीकृत पदों की जगह सहायकों के 39 पद।

वेतन स्तर 4 अथवामूल संवर्ग/	
विभाग में उसके समतुल्य पद पर	
नियुक्ति के बाद ग्रेड में दस वर्ष	
की नियमित सेवा की हो;और	
(iii) जिन्हें पद की अपेक्षा के अनुसार	
प्रशासन, मानव संसाधान	
विकास, अथवा/और सतर्कता	
संबंधी मामलों में 3 वर्षों का	
अनुभव हो।	
(ख) जो कॉलम 7 में सीधी भर्ती के	
लिए विहित शैक्षिक योग्यताएँ और	
अनुभव रखते हों।	

1	2	3	4	5	6	7	8
कनिष्ठ	*12 ⁹	सामान्य	वेतन स्तर 04	चयन	25 वर्ष	किसी मान्यता-प्रदत्त	नहीं
सहायक	(2017)	केंद्रीय	(₹. 25,500-			विश्वविद्यालय/संस्था से	
(ग्रेड-∣)	(2011)	सेवा,	81,100)			स्नातक उपाधि;	
		समूह ग,	,,			टिप्पणी 1: अन्यथा	
		गैर- अनु-				ाटप्पणा ।: अन्यया सुयोग्य उम्मीदवारों के	
		सचिवीय				मामले में योग्यताओं में	
						सक्षम प्राधिकारी के	
						विवेकानुसार छूट दी जा	
						सकती है।	
						टिप्पणी 2: चयन के	
						किसी स्तर पर सक्षम	
						प्राधिकारी को यह	
						विश्वास हो जाने पर कि	
						अनुसूचित जाति/जन	
						जाति के लिए आरक्षित	
						रिक्तियों को भरने के	
						लिए इन समुदायों के	
						अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की	
						पर्याप्त संख्या उपलब्ध	
						होने की संभावना नहीं	
						है, तो सक्षम प्राधिकारी	
						इन समुदायों के	
						उम्मीदवारों के लिए	
						अनुभव संबंधी	
						योग्यताओं में अपने	
						विवेकानुसार छूट दे	
						सकता है।	
						-	

9	10	11	12	13
2 वर्ष	(i) पदोन्नति द्वारा 10%,	पदोन्नति के लिए:	चयन समिति में निम्न- लिखित	लागू नहीं
	ऐसा न हो सकने पर	स्तर2(रु.19,900-63,200) में	होंगे:-	
	प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति	किनष्ठ सहायक ग्रेड-।। के रूप में	(i) निदेशक, एफएसएसएआई –	
	(अल्पकालिक अनुबंध	नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद	अध्यक्ष	
	सहित)/आमेलन द्वारा।	8 वर्ष की सेवा।	(ii) संयुक्त निदेशक,	
	(ii) 90% सीधी भर्ती		एफएसएसएआई – सदस्य	
	द्वारा		. , , , ,	

⁹वेतन स्तर5 में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 12 स्वीकृत पदों की जगह वेतन स्तर 4 में कनिष्ठ सहायकों के 12 पद।

.

	(iii) उपनिदेशक,एफएसएसएआई –	
	सदस्य	
	(iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा	
	नामित उपयुक्त स्तर का एक	
	बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7	8
कनिष्ठ सहायक (ग्रेड-Ⅱ)	*13 (2017)	सामान्य केंद्रीय सेवा,	वेतन स्तर 02 (रु. 19,900-	चयन	लागू नहीं	किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उपाधि;	नहीं
	13 (नए पद)	समूह ग, गैर- अनु- सचिवीय	63,200)			टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में	
		। साचवाय 				सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।	
						टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह	
						विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित	
						रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने	
						वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं	
						है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के	
						उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने	
						विवेकानुसार छूट दे सकता है।	

9	10	11	12	13
2 वर्ष	(i) पदोन्नति द्वारा 100%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन द्वारा।	पदोन्नित के लिए: स्तर1(रु. 18,000-56,900) में बहु- कार्य स्टाफ के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 3 वर्ष की सेवा। टिप्पणी 1: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नित हेतु विचार किए जाने पर उनके साथ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक, अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अगले उच्च ग्रेड पर पदोन्नित के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो	चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:- (i) निदेशक, एफएसएसएआई – अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक, एफएसएसएआई – सदस्य (iii) उपनिदेशक,एफएसएसएआई – सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक निदेशक	1 (नया	सामान्य	वेतन स्तर 10	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं
निदेशक	पद)	केंद्रीय सेवा,	(रु. 56,100-				
(राजभाषा)		समूहक	1,77,500)				
		गैर- अनु-	, , ,				
		सचिवीय					

9	10	11	12	13
2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा 100%,	पदोन्नति के लिए:	चयन समिति में निम्न- लिखित	लागू नहीं
	ऐसा न हो सकने पर	स्तर6(रु. 35,400-1,12,400) में	होंगे:-	
	प्रतिनियुक्ति	हिंदी अनुवादक के रूप में नियमित	(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,	
	(अल्पकालिक अनुबंध	आधार पर नियुक्ति के बाद 8 वर्ष की	एफएसएसएआई – अध्यक्ष	
	सहित)/ आमेलन द्वारा।	सेवा।	(ii) कार्यकारी निदेशक,	
		टिप्पणी 1: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी	्र एफएसएसएआई – सदस्य	
		कर चुके कनिष्ठ अधिकारियों के	 (iii) सलाहकार,एफएसएसएआई –	
		पदोन्नति हेतु विचार किए जाने पर उनके साथ उनके वरिष्ठ अधिकारियों	सदस्य	
		पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते	(iv) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त	
		कि उनकी सेवा अपेक्षित	्र स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ –	
		अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक,	,	
		अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से		
		कम न हो, और उन्होंने अगले उच्च		
		ग्रेड पर पदोन्नति के लिए परिवीक्षा		
		अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो		
		(ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक अनुबंध सहित)/आमेलन के लिए:		
		केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/		
		विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्रदत्त		
		अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र		
		के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक		
		अथवा स्वायतशासी संगठनों के वे अधिकारी:-		
		(क)(i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में		
		समतुल्य पद पर नियमित आधार		
		परकार्यरत हों; अथवा		
		(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में		
		वेतन स्तर 8 अथवामूल संवर्ग/		
		विभाग में उसके समतुल्य पद पर		
		नियुक्ति के बाद ग्रेड में 2 वर्ष की		
		नियमित सेवा की हो;अथवा		
		(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में		
		वेतन स्तर 7अथवामूल संवर्ग/		
		विभाग में उसके समतुल्य पद पर		
		नियुक्ति के बाद ग्रेड में 3वर्ष की		
		नियमित सेवा की हो;अथवा		
		(iv) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में		
		वेतन स्तर 6अथवा उसके		
		समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद		
		ग्रेड में 8वर्ष की नियमित सेवा		

की हो;और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों:-

स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा चयनित विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्रदत्त

विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि:

अथवा

स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य अथवा चयनित विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्रदत्त

विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि;

अथवा

स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा चयनित विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्रदत्त

विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि;

स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य अथवा चयनित विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्रदत्त

विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि:

अथवा

स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य अथवा चयनित विषयों के रूप में रखते हुए अथवा इनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरी अनिवार्य अथवा चयनित विषय के रूप में रखते हुए हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी भी अन्य विषय में किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि; और

(ii) केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायतशासी संस्था/संवैधानिक संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्था मेंहिंदी शब्दावली (पारिभाषिक शब्दावली) के उपयोग/ अनुप्रयोग तथा अंग्रेजी से हिंदी में अथवा विलोम अनुवाद कार्य, अधिमानत: तकनीकी और वैज्ञानिक अनुवाद कार्य, का तीन वर्ष का अनुभव।

अथवा	
केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायतशासी	
संस्था/संवैधानिक संगठन/सार्वजनिक	
क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों	
अथवा मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान	
अथवा शैक्षिक संस्था में हिंदी और	
अंग्रेजी अध्यापन अथवा हिंदी या	
अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का	
अनुभव।	

						_	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 वादक	2 5 (नए पद)	3 सामान्य केंद्रीय सेवा,समूह 'ख' गैर-अनु- सचिवीय	4 वेतन स्तर 06 (रु. 35,400- 1,12,400)	5 लागू नहीं	6 30 वर्ष	त्यानिक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा चयनित विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि; अथवा स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य अथवा चयनित विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि; अथवा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि; अथवा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा चयनित विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; अथवा स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्रदत्त विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; अथवा स्नातक स्तर पर हिंदी अथवा व्यन्तित विषयों के रूप में रखते हुए अथवा इनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए अथवा इनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए अथवा इनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए अथवा इनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए अथवा इनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए अथवा इनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए	8 लागू नहीं

		1		
			रूप में रखते हुए हिंदी	
			अथवा अंग्रेजी के अलावा	
			किसी भी अन्य विषय में	
			किसी मान्यता-प्रदत्त	
			विश्वविद्यालय से	
			स्नातकोत्तर उपाधि;	
			और	
			हिंदी से अंग्रेजी अथवा	
			विलोम अनुवाद का	
			मान्यता-प्रदत्त डिप्लोमा	
			अथवा प्रमाण-पत्र	
			पाठ्यक्रम अथवा भारत	
			सरकार के उपक्रम सहित	
			केंद्र या राज्य सरकार के	
			कार्यालय में हिंदी से	
			अंग्रेजी अथवा विलोम	
			अनुवाद कार्य का दो वर्षों	
			का अनुभव।	
			टिप्पणी 1: अन्यथा	
			सुयोग्य उम्मीदवारों के	
			मामले में योग्यताओं में	
			विवेकानुसार छूट दी जा	
			सकती है।	
			टिप्पणी 2: चयन के	
			किसी स्तर पर सक्षम	
			प्राधिकारी को यह	
			विश्वास हो जाने पर कि	
			अनुसूचित जाति/जन	
			जाति के लिए आरक्षित	
			रिक्तियों को भरने के	
			लिए इन समुदायों के	
			अपेक्षित अनुभव रखने	
			वाले उम्मीदवारों की	
			पर्याप्त संख्या उपलब्ध	
			होने की संभावना नहीं	
			है, तो सक्षम प्राधिकारी	
			= =	
			उम्मीदवारों के लिए	
			अनुभव संबंधी	
			योग्यताओं में अपने	
			विवेकानुसार छूट दे	
			सकता है।	

9	10	11	12	13
2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	चयन समिति में निम्न- लिखित	लागू नहीं
			होंगे:-	
			(i) कार्यकारी निदेशक,	
			एफएसएसएआई – अध्यक्ष	
			(ii) निदेशक, एफएसएसएआई –	
			सदस्य	
			(iii) संयुक्त	
			निदेशक,एफएसएसएआई –	
			सदस्य	

	(iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा	
	नामित उपयुक्त स्तर का एक	
	बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7	8
वरिष्ठ निजी	*310	सामान्य	वेतन स्तर 08	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	न हीं
सचिव	(2017)	केंद्रीय सेवा,	(रु. 47,600-				
	6 (नए	समूह ख	1,51,100)				
	पद)	गैर- अनु-					
	,	सचिवीय					

9	10	11	12	13
श लागू नहीं	10 100%पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ आमेलन द्वारा	पदोन्नित के लिए: स्तर7(रु. 44,900-1,42,400) में निजी सचिव के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दो वर्ष की सेवा। टिप्पणी 1: पदोन्नित के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपने ग्रेड/पद पर निर्धारित अर्हक सेवा पूरी कर लेने की तिथि के सापेक्ष तैयार की जाएगी। टिप्पणी 2: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नित हेतु विचार किए जाने पर उनके साथ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक, अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अगले उच्च ग्रेड पर पदोन्नित के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो (ख) प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलनके लिए: केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक अथवा स्वायतशासी संगठनों के वे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परकार्यरत हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 6 अथवामूल संवर्ग/ विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो।	12 चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:- (i) कार्यकारी निदेशक, एफएसएसएआई – अध्यक्ष (ii) सलाहकार, एफएसएसएआई – सदस्य (iii) निदेशक,एफएसएसएआई – सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	तागू नहीं

¹ºवेतन स्तर 8 में वरिष्ठ निजी सचिव के 03 स्वीकृत पदों की जगह वरिष्ठ निजी सचिव के 03 पद।

1	2	3	4	5	6	7	8
निजी सचिव	17 (नए पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा,समूह ख गैर- अनु- सचिवीय	वेतन स्तर 07 (रु. 44,900- 1,42,400)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

लागू नहीं पदोल्लित द्वारा 100%, ऐसा न हो सकने पर स्तरिश्त 35, 400-1,12,400) में होंगे:- प्रतिनिश्तिः (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आमेलन द्वारा। टिप्पणी 1: पदोल्लित के लिए पात्रता मुची अधिकारियों द्वारा अपने गेडागड पर विद्वित योग्यता पूरी कर लेने की तिथी के सापेश्व तैयार की जाएगी। टिप्पणी 2: अर्डक/पात्रता सेवा पूरी कर लेने की तिथी के सापेश्व तैयार की जाएगी। टिप्पणी 2: अर्डक/पात्रता सेवा पूरी कर पढ़े के लिए प्रतिक्ष पढ़े पढ़े मान्य होने हे हुं विद्वार किए पात्रता पूरी कर चुके कलिए अधिकारियों के पढ़ोन्ति हे हुं विद्वार किए पात्री पर भी विचार किया जाएगा, वश्रतें कि जनकी सेवा अधिका अर्डक/पात्रता सेवा के साथ उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा, वश्रतें कि जनकी सेवा अपिका अर्डक/पात्रता सेवा के अधिका अर्डक/पात्रता सेवा के अधिका अर्डक/पात्रता सेवा के अधिका अर्डक/पात्रता सेवा के अधिका अर्डक/पात्रता सेवा के कि का स्तर्या के परिष्ठ अधिकारियों पर भी तिवार कि लिए परिवीक्षा अर्विष्ठ सफलतापूर्वक सूरी कर ली हो। (अ) प्रतिनिश्चित्त के लिए: केंद्र सरकार/राज्य सरकारो/लेखा अर्विष्ठ सरकारो/लेखा अर्विष्ठ सरकार/पात्र्य स्विधातिक अथवा स्वायतआधी संस्कारी सेवा में सेवा सिता आधार परकार्यत्र हों, अथवा (॥) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्वर 6 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समसुल्य पर पर नियसिक आधार पर पर नियसिक के बाद ग्रंड में 5	9	10	11	12	13
1	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा 100%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध	पदोन्नित के लिए: स्तर6(रु. 35, 400-1,12,400) में निजी सहायक के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पाँच वर्ष की सेवा। टिप्पणी 1: पदोन्नित के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपने ग्रेड/पद पर विहित योग्यता पूरी कर लेने की तिथि के सापेक्ष तैयार की जाएगी। टिप्पणी 2: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ अधिकारियों के पदोन्नित हेतु विचार किए जाने पर उनके साथ उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा, वशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक, अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अगले उच्च ग्रेड पर पदोन्नित के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो (ख) प्रतिनियुक्ति के लिए: केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक अथवा स्वायतशासी संगठनों के वे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग/विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार परकार्यरत हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 6 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य	चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:- (i) कार्यकारी निदेशक, एफएसएसएआई – अध्यक्ष (ii) सलाहकार, एफएसएसएआई – सदस्य (iii) निदेशक,एफएसएसएआई – सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक	

1	2	3	4	5	6	7	8
निजी	*3311	सामान्य	वेतन स्तर 06	लागू नहीं	30 वर्ष	(i) मान्यता-प्रदत्त	लागू नहीं
सहायक	(2017)	केंद्रीय सेवा,	(হ. 35,400-	•		विश्वविद्यालय/संस्था से	•
		समूह ख	1,12,400)			स्नातक की उपाधि तथा	
	19	गैर-अनु-	1,12,100)			आंशुलिपि में 80 शब्द	
	(नए	सचिवीय				प्रति मिनट और अंग्रेजी	
	पद)					टाइपिंग में 40 शब्द प्रति	
						मिनट और/अथवा हिंदी	
						में 35 शब्द प्रति मिनट	
						की गति की दक्षता।	
						(ii) कंप्यूटर-साक्षर हो	
						तथा एमएस ऑफिस	
						और इंटरनेट इत्यादि पर	
						कार्य करने में दक्ष हो।	
						वांछनीय:	
						किसी मान्यता-प्रदत्त	
						विश्वविद्यालय अथवा	
						प्रतिष्ठित संस्था से	
						कार्यालय प्रबंधन और	
						सचिवालयी प्रक्रिया में डिप्लोमा अथवा प्रमाण-	
						। ।डप्लामा अथवा प्रमाण- । पत्र।	
						टिप्पणी 1: अन्यथा	
						सुयोग्य उम्मीदवारों के	
						मामले में योग्यताओं में	
						सक्षम प्राधिकारी के	
						विवेकानुसार छूट दी जा	
						सकती है।	
						टिप्पणी 2: चयन के	
						किसी स्तर पर सक्षम	
						प्राधिकारी को यह	
	1					विश्वास हो जाने पर कि	
	1					अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित	
	1					रिक्तियों को भरने के	
	1					लिए इन समुदायों के	
	1					अपेक्षित अनुभव रखने	
	1					वाले उम्मीदवारों की	
	1					पर्याप्त संख्या उपलब्ध	
	1					होने की संभावना नहीं	
						है, तो सक्षम प्राधिकारी	
						इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए	
	1					उम्मोदवारा के लिए	
	1					अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने	
	1					विवेकानुसार छूट दे	
	1					। सकता है।	
	1	1			i	6.	i .

9	10	11	12	13
2 वर्ष	100%सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:- (i) कार्यकारी निदेशक,	लागू नहीं

[ी]वेतन स्तर 6 में निजी सहायक के 15 स्वीकृत पदों और वेतन स्तर 6में निजी सचिवों के 18 स्वीकृत पदों की जगह निजी सहायकों के 33 पद।

एफएसएसएआई – अध्यक्ष
(ii) सलाहकार, एफएसएसएआई –
सदस्य
(iii) निदेशक,एफएसएसएआई –
सदस्य
(iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा
नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य

1	2	3	4	5	6	7	8
1 स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड)	2 *7 ¹² (2017) 2 (नए पद)	3 सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह ग, गैर- अनु- सचिवीय	4 वेतन स्तर 02 (रु. 19,900- 63,200)	5 लागू नहीं	6 25 वर्ष	(i) मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविग लाइसेंसधारी; (ii) मोटर कार्य-प्रणाली का ज्ञान (उम्मीदवार वाहन में छोटी-मोटी खराबियाँ दूर करने में सक्षम हो) (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव; (iv) दसवीं कक्षा पास। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं	
						जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध	

-

¹²वेतन स्तर 02 में ड्राइवर के 01 स्वीकृत पद और वेतन स्तर 2 में निम्न श्रेणी लिपिक/स्टोर कीपर/हिंदी टाइपिस्ट/स्टोर क्लर्क के 06 स्वीकृत पदों की जगह स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड) के 07 पद।

9	10	11	12	13
2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन	प्रतिनियुक्ति/आमेलन:	चयन समिति में निम्न- लिखित	लागू नहीं
		किसी भी सरकारी संगठन से वेतन	होंगे:-	
		स्तर-1 में उन नियमित स्टाफ कार		
		ड्राइवरों में से जो कॉलम 7 में		
	के लिए:	उल्लिखित आवश्यक योग्यताएँ रखते	(ii) संयुक्त निदेशक,	
	प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन	हों।	एफएसएसएआई –सदस्य	
			(iii) उप निदेशक,एफएसएसएआई –	
			सदस्य	
			(iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा	
			नामित उपयुक्त स्तर का एक	
			बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7	8
बहु-कार्य	*50 ¹³	सामान्य	वेतन स्तर 01	लागू नहीं	25 वर्ष	मान्यता-प्रदत्त बोर्ड से	लागू नहीं
स्टाफ	(2017)	केंद्रीय सेवा,	(रु. 18,000-			मैट्रिक अथवा समतुल्य।	
(एम.टी.	5 (नए	समूह ग,	56,900)			टिप्पणी 1: अन्यथा	
एस)	पद)	गैर-				सुयोग्य उम्मीदवारों के	
		अनु-				मामले में योग्यताओं में	
		सचिवीय				सक्षम प्राधिकारी के	
						विवेकानुसार छूट दी जा	
						सकती है।	
						टिप्पणी 2: चयन के	
						किसी स्तर पर सक्षम	
						प्राधिकारी को यह	
						विश्वास हो जाने पर कि	
						अनुसूचित जाति/जन	
						जाति के लिए आरक्षित	
						रिक्तियों को भरने के	
						लिए इन समुदायों के	
						अपेक्षित अनुभव रखने	
						वाले उम्मीदवारों की	
						पर्याप्त संख्या उपलब्ध	
						होने की संभावना नहीं	
						है, तो सक्षम प्राधिकारी	
						इन समुदायों के	
						उम्मीदवारों के लिए	
						अनुभव संबंधी	
						योग्यताओं में अपने	
						विवेकानुसार छूट दे	
						सकता है।	

9	10	11	12	13
2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा 100%	नहीं	चयन समिति में निम्न- लिखित	लागू नहीं
			होंगे:-	
			(i) निदेशक, एफएसएसएआई	
			– अध्यक्ष	
			(ii) संयुक्त निदेशक,	
			एफएसएसएआई – सदस्य	
			(iii) उप निदेशक,एफएसएसएआई –	
			सदस्य	
			(iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा	
			नामित उपयुक्त स्तर का एक	
			बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	

¹³वेतन स्तर 1 में चपरासियों के 26 स्वीकृत पदों और वेतन स्तर 1 में प्रयोगशाला परिचर/चपरासी/दरवान/वाचमैन/सफाई कर्मचारी के 24 स्वीकृत पदों की जगह बहु-कार्य स्टाफ (एम.टी.एस) के 50 पद।

1	2	3	4	5	6	7	8
। सहायक	*3114	्र सामान्य	य वेतर स्तर 10	चयन	35 वर्ष	/ मान्यता-प्रदत्त	- ० नहीं
निदेशक		केंद्रीय सेवा,	(रु. 56,100-			विश्वविद्यालय अथवा	1.61
(तकनीकी)	(2017)		•			संस्था से	
	37	समूह क, गैर-	1,77,500)			रासायनिकी/जैव	
	(नए					रासायनिकी/खाद्य	
	पद)	अनु- सचिवीय				प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल	
						प्रौद्योगिकी/ सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेयरी	
						। ।वज्ञान/डयर। प्रैद्योगिकी/ कृषि	
						विज्ञान/पशु विज्ञान/ जैव	
						प्रौद्योगिकी/पोषण/	
						आविष विज्ञान/नैनो	
						प्रौद्योगिकी/फल और	
						सब्जी प्रौद्योगिकी/खाद्य	
						सुरक्षा और गुणता	
						आश्वासन/जीवन	
						विज्ञान/ जन स्वास्थ्य/औषध अथवा	
						किसी अन्य सम्बद्ध क्षेत्र	
						में स्नातकोत्तर अथवा	
						समकक्ष।	
						वांछनीय योग्यताएँ	
						उपर्युक्त विषयों में से	
						किसी एक विषय पर डाक्टरेट की उपाधि।	
						टिप्पणी 1: अन्यथा	
						सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में	
						सक्षम प्राधिकारी के	
						विवेकानुसार छूट दी जा	
						सकती हैं।	
						टिप्पणी 2: चयन के	
						किसी स्तर पर सक्षम	
						प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि	
						ावश्वास हा जान पर कि अनुसूचित जाति/जन	
						जाति के लिए आरक्षित	
						रिक्तियों को भरने के	
						लिए इन समुदायों के	
						अपेक्षित अनुभव रखने	
						वाले उम्मीदवारों की	
						पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं	
						हान का समायना नहां है, तो सक्षम प्राधिकारी	
						इन समुदायों के	
						उम्मीदवारों के लिए	
						अनुभव संबंधी	
						योग्यताओं में अपने	
						विवेकानुसार छूट दे सकता है।	
						4 6/11 61	

-

¹⁴वेतन स्तर 10 में सहायक निदेशक के 07 स्वीकृत पदों, वेतन स्तर 10 में वरिष्ठ विश्लेषक के 12 स्वीकृत पदों और वेतन स्तर 10 में वैज्ञानिक समूह IV (1) के 12 स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदनाम में परिवर्तन करके सहायक निदेशक (तकनीकी) के 31 पद।

9	10	11	12	13
<i>ड</i> 2 वर्ष	(i) पदोन्नति द्वारा 60%,	पदोन्नति के लिए:	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:-	ाउ लागू नहीं
2 79	ऐसा न हो सकने पर	स्तर7(रु. 44,900-1,42,400) में	(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,	11.7.161
1	प्रतिनियुक्ति	नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद	एफएसएसएआई – अध्यक्ष	
1	(अल्पकालिक अनुबंध	तीन वर्ष की सेवा वाले तकनीकी	(ii) कार्यकारी निदेशक,	
	सहित)/ आमेलन द्वारा	अधिकारियों में से 80%;और	एफएसएसएआई – सदस्य	
	(ii) 40% सीधी भर्ती	स्तर7(रु. 44,900-1,42,400) में	(iii) सलाहकार,एफएसएसएआई	
	द्वारा	नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद	- सदस्य	
	~· "	तीन वर्ष की सेवा वाले केंद्रीय खाद्य	(iv) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त	
		सुरक्षा अधिकारियों में से 20%;	स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ	
		टिप्पणी 1: पदोन्नति के लिए पात्रता	– सदस्य	
		सूची अधिकारियों द्वारा अपने		
		ग्रेड/पद पर विहित योग्यता पूरी कर		
		लेने की तिथि के सापेक्ष तैयार की		
		जाएगी।		
		टिप्पणी 2: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी		
		कर चुके कनिष्ठ कर्मचारियों के		
		पदोन्नति हेतु विचार किए जाने पर		
		उनके साथ उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों		
		पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते		
		कि उनकी सेवा में कमी अपेक्षित		
		अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक,		
		अथवा दो वर्ष से, जो भी कम हो,से		
		कम न हो और उन्होंने अगले उच्च		
		ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा		
		अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
		(ख) प्रतिनियुक्ति के लिए:		
		केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ		
		शासित क्षेत्रों की सरकारों/		
		विश्वद्यालयों/मान्यता-प्रदत्त		
		अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र		
		के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक		
		अथवा स्वायतशासी संगठनों के वे		
		अधिकारी:-		
		(क)(i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में		
		समतुल्य पद पर नियमित आधार		
		पर कार्यरत हों; अथवा (;;) जिल्लोंने एक संदर्ग/जिल्ला में		
		(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 8 अथवा मूल		
		वतन स्तर 8 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य		
		सवग्रावमाग म उसक समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 2		
		यद पर ।नयुक्ति केबाद ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो;		
		यथ का नियामत संवा का हा, अथवा		
		जपपा (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में		
		वेतन स्तर 7अथवा उसके मूल		
		संवर्ग/विभाग में समतुल्य पद पर		
		नियुक्ति के बाद ग्रेड में 3 वर्ष की		
		नियमित सेवा की हो;		
		अथवा		
		(iv) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में		
		वेतन स्तर 6 अथवा मूल		
		संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य		
		पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में		
		8वर्ष की नियमित सेवा की हो।		
		(ख) जो कॉलम 7 में सीधी भर्ती के		
		े लिए विहित शैक्षिक योग्यताएँ		
		और अनुभव रखते हों।		

1	2	3	4	5	6	7	8
<u> </u>	10	सामान्य	वेतन स्तर 10	लागू नहीं	35 वर्ष	भारत में विधि द्वारा	नहीं
विश्लेषक	. च (नए	केंद्रीय सेवा,	(रु. 56,100-	6	•	स्थापित किसी	
	पद)		1,77,500)			विश्वविद्यालय से	
		समूह क, गैर-	1,11,300)			रासायनिकी अथवा जैव	
						रासायनिकी अथवा	
		अनु- सचिवीय				सूक्ष्म जैव विज्ञान अथवा	
						डेयरी रासायनिकी	
						अथवा खाद्य प्रौद्योगिकी,खाद्य और	
						पोषण में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा डेयरी/तेल	
						प्रौद्योगिकी में बी.टेक	
						उपाधि अथवा पशु	
						विज्ञान में स्नातक	
						उपाधि अथवा	
						इंस्टीट्यूशन ऑफ	
						केमिस्ट्स (इंडिया) द्वारा	
						संचालित खाद्य	
						विश्लेषक खंड में परीक्षा	
						देकर इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट्स (इंडिया) के	
						कामस्ट्स (इाडया) क एसोशिएट अथवा ऐसे	
						प्रयोजन के लिए केंद्रीय	
						सरकार द्वारा मान्यता-	
						प्रदत्त और अधिसृचित	
						अन्य कोई समतुल्य	
						योग्यता तथा खाद्य	
						विश्लेषण का अन्यून	
						तीन वर्ष का अनुभव;	
						और	
						(ii) प्राधिकरण द्वारा	
						नियुक्त और अधिसूचित	
						बोर्ड द्वारा खाद्य	
						विश्लेषक के रूप में	
						योग्य घोषित हो।	
						टिप्पणी 1: अन्यथा	
						सुयोग्य उम्मीदवारों के	
						मामले में योग्यताओं में	
						सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा	
						। ।ववकानुसार छूट दा जा सकती है।	
						टिप्पणी 2: चयन के	
						ाटप्पणा 2: चयन क किसी स्तर पर सक्षम	
						प्राधिकारी को यह	
						विश्वास हो जाने पर कि	
						अनुसूचित जाति/जन	
						जाति के लिए आरक्षित	
						रिक्तियों को भरने के	
						लिए इन समुदायों के	
						अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की	
						पर्याप्त संख्या उपलब्ध	
						होने की संभावना नहीं	
						है, तो सक्षम प्राधिकारी	
						इन समुदायों के	
L	1	l .				1	1

			उम्मीदवारों के लिए	
			उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी	
			योग्यताओं में अपने	
			विवेकानुसार छूट दे	
			सकता है।	

9	10	11	12	13
2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं
			(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,	
			एफएसएसएआई – अध्यक्ष	
			(ii) सलाहकार, एफएसएसएआई –	
			सदस्य	
			(iii) कार्यकारी	
			निदेशक,एफएसएसएआई –	
			सदस्य	
			(iv) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त	
			स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ –	
			सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7	8
तकनीकी	*62 ¹⁵	सामान्य	वेतन स्तर 07	लागू नहीं	30 वर्ष	मान्यता-प्रदत्त	नहीं
अधिकारी	(2017)	केंद्रीय सेवा,	(₹. 44,900-			विश्वविद्यालय अथवा	
	219	समूह ख	1,42,400)			संस्था से	
	(नए	गैर- 	तकनीकी			रासायनिकी/जैव	
	पद)	अनु- सचिवीय	अधिकारियों			रासायनिकी/खाद्य	
		सायपाय	को तीन वर्ष			प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल	
			और छह वर्ष पूरे कर लेने			प्रौद्योगिकी/ सूक्ष्म जीव	
			पर सतर्कता			विज्ञान/डेयरी	
			अनुमति			प्रद्याग/डयरा प्रैद्योगिकी/ कृषि	
			मिलने के बाद				
			क्रमश∶ वेतन			इंजीनियरी/पशु विज्ञान/	
			स्तर 8 और 9 में गैर-			जैव प्रौद्योगिकी/पोषण/	
			म गर- कार्यकारी			आविष विज्ञान/जन	
			अपग्रेडेशन			स्वास्थ्य/फल और सब्जी	
			दिया जा			प्रौद्योगिकी/खाद्य सुरक्षा	
			सकता है।			और गुणता	
						आश्वासन/जीवन	
						विज्ञान/ जन	
						स्वास्थ्य/औषध अथवा	
						किसी अन्य सम्बद्ध क्षेत्र	
						में स्नातकोत्तर अथवा	
						समकक्ष।	
						<u>अथवा</u>	
						खाद्य प्रौद्योगिकी अथवा	
						डेयरी प्रौद्योगिकी अथवा	
L	<u> </u>					इ.स. आजातिल श्रीमा	

¹⁵तकनीकी अधिकारियों के 20 स्वीकृत पदों और तकनीकी अधिकारी/प्रवक्ता, कनिष्ठ विश्लेषक, कनिष्ठ विश्लेषक (सूक्ष्म जीव विज्ञानी) के 42 स्वीकृत पदों की जगह नाम में परिवर्तन करके तकनीकी अधिकारियों के 62 पद।

	जैव प्रौद्योगिकी अथवा
	तेल प्रौद्योगिकी अथवा
	कृषि विज्ञान अथवा पशु विज्ञान अथवा जैव
	विज्ञान अथवा जैव
	रासायनिकी अथवा
	सूक्ष्म जीव विज्ञान में बी.ई/बी.टेक।
	बी.ई/बी.टेक।

9	10	11	12	13
	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं
			(i कार्यकारी निदेशक,	
			एफएसएसएआई – अध्यक्ष	
			(ii) सलाहकार, एफएसएसएआई –	
			सदस्य	
			(iii) निदेशक,एफएसएसएआई –	
			सदस्य	
			(iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा	
			नामित उपयुक्त स्तर का एक	
			बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7	8
केंद्रीय खाद्य 7 सुरक्षा (2 74 (तए पद)	3 सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह ख, गैर- अनु- सचिवीय	4 वेतन स्तर 07 (रु. 44,900- 1,42,400) केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तीन वर्ष और छह वर्ष पर सतर्कता अनुमति मिलने के बाद क्रमश: वेतन स्तर 8 और 9 में गैर- कार्यकारी अपग्रेडेशन दिया जा सकता है।		6 30 वर्ष	7 (i) किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी अथवा डेयरी प्रौद्योगिकी अथवा जेव प्रौद्योगिकी अथवा कृषि विज्ञान अथवा पश विज्ञान अथवा पश विज्ञान अथवा जेव रासायनिकी अथवा सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा रासायनिकी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा औषध में स्नातक उपाधि, अथवा (ii) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई समतुल्य/मान्यता-प्रदत्त योग्यता। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुस्चित जाति/जन	8 नहीं

	जाति के लिए आरक्षित
	रिक्तियों को भरने के
	लिए इन समुदायों के
	अपेक्षित अनुभव रखने
	वाले उम्मीदवारों की
	पर्याप्त संख्या उपलब्ध
	होने की संभावना नहीं
	है, तो सक्षम प्राधिकारी
	इन समुदायों के
	उम्मीदवारों के लिए
	अनुभव संबंधी
	योग्यताओं में अपने
	विवेकानुसार छूट दे
	सकता है।
	समारा हा

9	10	11	12	13
2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं
(परिवीक्षा			(i कार्यकारी निदेशक,	
अवधि के			एफएसएसएआई – अध्यक्ष	
दौरान सीधी				
भर्ती वाले			(ii) सलाहकार, एफएसएसएआई –	
अधिकारियों को			सदस्य	
पक्का होने के			(iii) निदेशक,एफएसएसएआई –	
लिए किसी			सदस्य	
मान्यता-प्रदत्त			(iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा	
संस्था अथवा			नामित उपयुक्त स्तर का एक	
इस प्रयोजन के			बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	
लिए अनुमोदित				
संस्था से खाद्य				
प्राधिकरण द्वारा				
विहित प्रशिक्षण				
सफलतापूर्वक				
पूरा करना होगा)				

^{*}कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।

टिप्पणी –नए पद बनने तक एफ.एस.एस.ए.आई 356 स्वीकृत पदों से कार्य करती रहेगी।

सूचना प्रौघोगिकी एवं विशेषीकृत सेवायें

पद का नाम	पदों की	पद का	वेतन मैट्रिक्स	चयन पद या गैर	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक	सीधी भर्ती के लिए
	संख्या	वर्गीकरण	में स्तर	चयन पद	हेतु आयु सीमा	एवं अन्य योग्यताएं	निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता क्या पदोन्नती के मामले में लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7	8
वरिष्ठ प्रबंधक (सूप्रौ)	4 (नये पद)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह क, गैर- अनुसचिवीय	वेतन स्तर 12 (रु.78,800- 2,09,200) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.110000- रु.275000 की श्रेणी में	चयन	50वर्ष	(i)कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक / एम.टेक या किसी अन्य इंजीनियरिंग विधा/ एमसीए/प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातक की डिग्री। (ii) कुल अनुभव के 10 से 29 वर्ष (iii) प्रासंगिक क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का	लागू नहीं

1 1 1		
	समेकित	अनु भव।
	पारिश्रमिक	नोट 1: विशेष
		योग्यताधारी अभ्यर्थियों
		के मामले में सक्षम
		प्राधिकारी के
		विवेकानुसार छूट दी जा
		सकती हैं।
		नोट 2: चयन के किसी
		भी स्तर पर यदि
		अनुसूचित जाति या
		अनुसूचित जनजाति के
		उम्मीदवारों के मामले में
		सक्षम प्राधिकारी के
		विवेकानुसार अनुभव
		और योग्यता में इन
		आरक्षित पदों को भरने
		के लिए छूट दी जा
		सकती है। अगर सक्षम
		प्राधिकारी इन समुदाय
		के अभ्यर्थियों में उक्त
		अनुभव रखने वाले
		उम्मीदवारों की
		संभावना कम है।
		नोट 3: उपरोक्त शैक्षिक
		योग्यता और अनुभव
		केवल सूचक है और इनमें
		कार्यात्मेक आधार पर
		बदलाव हो सकता है,
		जिसे यदि कोई होगी,
		प्रत्येक अवसर पर
		विज्ञापन में उल्लिखित
		की जाऐंगी।

परिवीक्षा की	भर्ती प्रक्रिया चाहे सीधी	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / हस्तांतरण	यदि विभागीय पदोन्नती समिति का	ऐसी परिस्थिति यां
अवधि यदि	भर्ती द्वारा या पदोन्नति	द्वारा भर्ती के मामले में, जिस ग्रेड से	गठन किया गया है तो इसका गठन	जिसमें भर्ती करने के
कोई हो?	द्वारा या प्रतिनियुक्ति /	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / हस्तांतरण	कैसे किया गया	लिए संघ लोक सेवा
	हस्तांतरण और रिक्तियों	किया जाना है		आयोग से परामर्श
	का प्रतिशत विभिन्न			किया जाना है
	तरीकों से भरा जाए			
9	10	11	12	13
1 वर्ष	(i) पदोन्नति से 25%, के	पदोन्न्ती के लिए:	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं ।
	अभाव में प्रतिनियुक्ति	स्तर 11 (रु.67700-208700) में	(i)मुo काo अo-अध्यक्ष	
	(अल्पावधि अनुबंध सहित) / आमेलनः	प्रबंधक (सूप्रौ) नियमितआधार पर	(ii)कार्यपालक निदेशक,	
	(ii) सीधी भर्ती द्वारा	नियुक्ति के बाद 5 साल की सेवा	एफएसएसएआई- सदस्य	
	75%	सहित। नोट 1: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर	(iii) मुख्य तकनीकि अधिकारी,	
		चुके कनिष्ठ कर्मचारियों के	एफएसएसएआई सदस्य	
		पदोन्नती हेतु विचार किये जाने पर		
		उनके साथ उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों	(iv) अध्यक्ष महोदय द्वारा नामांकित	
		पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते	उपयुक्त स्तर का एक बाहरी	
		कि उनकी सेवा में कमी अपेक्षित	विशेषज्ञ-सदस्य	
		अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक,		
		अथवादो वर्ष से कम न हो, जो भी		
		कम होसे कम न होऔर उन्होंने अगले		

उच्च ग्रेड में पदोन्न्ती के लिए	
परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी	
करली हो।	
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन:	
केंद्र सरकार / राज्य सरकारों / संघ	
राज्य क्षेत्रों / विश्वविद्यालयों /	
मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान /	
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / अर्ध-	
सरकारी, वैधानिक या स्वायत्त	
संगठन के अधिकारी: -(क)(i)	
मूलसंवर्ग / विभाग में नियमित	
आधार पर समतुल्य पद धारण करते	
हों; या	
(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में	
वेतन स्तर 11 अथवा मूल	
संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद	
पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 5 वर्ष की	
नियमित सेवा की हो; तथा	
(ख) स्तंभ 7 के तहत सीधी भर्ती के	
लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और	
अनुभव रखते हों।	

1	2	3	4	5	6	7	8
प्रबंधक	4(नये	सामान्य	वेतन स्तर 11	चयन	40 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं
(सूप्रौ)	पद)	केन्द्रीय सेवा,	(रु.67,700-				
		समूह क,	2,08,700)				
		गैर- अनुसचिवीय	या अनुभव के				
		913(114414	वर्षों के आधार पर				
			रु.95000-				
			रु.270000				
			की श्रेणी में				
			समेकित				
			पारिश्रमिक				

9	10	11	12	13
2 वर्ष	100% पदोन्नति द्वारा, के	पदोन्नती के लिए :	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं ।
	अभाव में प्रतिनियुक्ति	स्तर 10 (रु 56,100-1,77,500) में	1. मुo काo अo(ii)कार्यपालक	
	(अल्पावधि अनुबंध सहित) / आमेलन/अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती।	उप प्रबंधक (सूप्रौ)नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 साल की सेवा।	निदेशक, एफएसएसएआई सदस्य	
	भ जावार पर सावा मता।		 (iii) मुख्य तकनीकि अधिकारी,	
		नोट 1: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर	एफएसएसएआई सदस्य	
		चुके कनिष्ठ कर्मचारियों के		
		पदोन्नती हेतु विचार किये जाने पर उनके साथ उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों	(iv) अध्यक्ष महोदय द्वारा नामांकित	
			उपयुक्त स्तर का एक बाहरी	
		पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी सेवा में कमी अपेक्षित	विशेषज्ञ-सदस्य	
		अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक,		

अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से	
कम न हो और उन्होंने अगले उच्च	
ग्रेड में पदोन्न्ती के लिए परिवीक्षा	
अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली	
हो।	
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन:	
केंद्र सरकार / राज्य सरकारों / संघ	
राज्य क्षेत्रों / विश्वविद्यालयों /	
मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / अर्ध-	
सरकारी, वैधानिक या स्वायत्त	
संगठन के अधिकारी: -(i) मूलसंवर्ग /	
विभाग में नियमित आधार पर	
समतुल्य पद धारण करते हों; या	
(ii)जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में	
वेतन स्तर 7 अथवा मूल संवर्ग/	
विभाग में उसके समतुल्य पद पर	
नियुक्ति के बाद ग्रेड में 3वर्ष की	
नियमित सेवा की हो; तथा	
(ख) निम्न लिखित शैक्षिक योग्यता	
और अनुभव रखते हों:-	
(i)कम्प्यूटर विज्ञान विषय में बीटेक /	
एम.टेक या किसी अन्य शाखा में	
इंजीनियरिंग / एमसीए / प्रासंगिक	
क्षेत्र में स्नातक डिग्री	
(ii) 7 वर्षां का कुल अनुभव	
(iii) निम्नतम 5 वर्षों का संबंधित	
क्षेत्र में अनुभव	
नोट:- उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और	
अनुभव बुनियादी पात्रता मानदंड है।	
कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त	
आवश्यकताएं, यदि कोई होगी,	
प्रत्येक अवसर पर विज्ञापन में	
उल्लिखित की जाऐंगी।	

1	2	3	4	5	6	7	8
उप प्रबंधक	9	सामान्य	वेतन स्तर 10	चयन	35वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं
(सूप्रौ)	नये पद	केन्द्रीय सेवा,	(रु.56,100-				
		समूह क,	1,77,500)				
		गैर- अनुसचिवीय	या अनुभव के				
		अनुसचिवीय	वर्षों के				
			आधार पर				
			रु. 80000-				
			रु.234000				
			की श्रेणी में				
			समेकित				
			पारिश्रमिक				

9	10	11	12	13
2 वर्ष	100% पदोन्नति द्वारा, के	पदोन्नती के लिए :	चयन समिति में निम्न लिखितहोंगे:	लागू नहीं ।
	अभाव में प्रतिनियुक्ति	 स्तर 7(रु. 44,900-1,42,400) में	1.मुकाअ -अध्यक्ष	
	(अल्पावधि अनुबंध	सहायक प्रबंधक (सूप्रौ)		
	सहित) / आमेलन/अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती।	नियमितआधार पर नियुक्ति के बाद	(ii) कार्यपालक निदेशक,	
	क जावार पर सावा मता।	3साल की सेवा।	एफएसएसएआई -सदस्य	
		नोट 1: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर		
		चुके कनिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नती हेतू विचार किये जाने पर	(iii) मुख्य तकनीकि अधिकारी,	
		उनके साथ उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों	एफएसएसएआई -सदस्य	
		पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते		
			(iv) अध्यक्ष महोदय द्वारा नामांकित	
		अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक,	उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-	
			सदस्य	
		कम न हो और उन्होंने अगले उच्च		
		ग्रेड में पदोन्न्ती के लिए परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली		
		हो।		
		केंद्र सरकार / राज्य सरकारों / संघ		
		राज्य क्षेत्रों / विश्वविद्यालयों /		
		मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / अर्ध-		
		सरकारी, वैधानिक या स्वायत्त		
		संगठन के अधिकारी: -		
		(i) मूलसंवर्ग / विभाग में नियमित		
		आधार पर समतुल्य पद धारण करते		
		हों; या		
		(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में		
		वेतन स्तर 7 अथवामूल संवर्ग/विभाग		
		में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के		
		बाद ग्रेड में 3वर्ष की नियमित सेवा		
		की हो; तथा		
		(ख) निम्न लिखित शैक्षिक योग्यता		
		और अनुभव रखते हों:-		
		(i) कम्प्यूटर विज्ञान विषय में बीटेक		
		/ एम.टेक या किसी अन्य शाखा में		
		इंजीनियरिंग / एमसीए / प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातक डिग्री		
		(ii) 7 वर्षों का कुल अनुभव		
		(iii) निम्नतम 5 वर्षों का संबंधित		
		क्षेत्र में अनुभव		
		नोट:- उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और		
		अनुभव बुनियादी पात्रता मानदंड है।		
		कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त		
		आवश्यकताएं, यदि कोई होगी,		
		प्रत्येक अवसर पर विज्ञापन में उल्लिखित की जाऐंगी।		
		ारणाखत का जाएगा।	1]

सहायक प्रबंधक (नये केन्द्रीय सेवा, समूह ख 1,42,400) या अनुभव के बार पर का अनुभव के अधार पर का 1,86000 की श्रेणी में समेकित पारिश्रमिक	1	2	3	4	5	6	7	8
में छूट दी जा सकती हैं। नोट 2: चयन के किसी भी स्तर पर यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जातति के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव और योग्यता में इन आरक्षित पदों को भरने के लिए छूट दी जा सकती है। अगर सक्षम प्राधिकारी इन समुदाय के अभ्यर्थियों में उक्त अनुभव रखने वाल उम्मीदवारों की संभावना कम है। नोट 3: उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव केवल सूचक है और इनमें कार्यात्मक आधार पर बदलाव हो सकता है, जिसे यदि कोई होगी, प्रत्येक अवसर पर	सहायक 2 प्रबंधक (सप्रौ)	25 (नये पद)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ख गैर-	वेतन स्तर 07 (रु.44,900- 1,42,400) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु. रु.60000- रु.186000 की श्रेणी में समेकित			(i) कम्प्यूटर विज्ञान विषय में बीटेक / एम.टेक या किसी अन्य शाखा में इंजीनियरिंग विधा / एमसीए / प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातक डिग्री (ii) 5 वर्षों का कुल अनुभव (iii) निम्नतम 3वर्षों का संबंधित क्षेत्र में अनुभव नोट 1: सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती हैं। नोट 2: चयन के किसी भी स्तर पर यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति वा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव और योग्यता में इन आरक्षित पदों को भरने के लिए छूट दी जा सकती है। अगर सक्षम प्राधिकारी इन समुदाय के अभ्यर्थियों में उक्त अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की संभावना कम है। नोट 3: उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव केवल सूचक है और इनमें कार्यात्मक आधार पर बदलाव हो सकता है, जिसे यदि कोई होगी, प्रत्येक अवसर पर	

9	10	11	12	13
2 वर्ष	95%- सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नती के लिए :	चयन समिति में निम्न लिखित होंगे:	लागू नहीं
	5%- पदोन्नती के द्वारा,	स्तर 6(रु.35400-112400) में	(i)कार्यपालक निदेशक,	
	के अभाव में प्रतिनियुक्ति	सूप्रौ_सहायक नियमित आधार पर	एफएसएसएआई- अध्यक्ष	
		नियुक्ति के बाद 5 साल की सेवा।	(ii) मुख्य तकनीकि अधिकारी,	
	सहित) / आमेलन ।	नोट 1: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर	एफएसएसएआई सदस्य	
		चुके कनिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नती हेतू विचार किये जाने पर	, , , , ,	
		उनके साथ उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों	(iii)निदेशक-एफएसएसएआई	
		पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते		
		कि उनकी सेवा में कमी अपेक्षित	(iv) मु.का.अ.महोदय द्वारा नामांकित	
			उपयुक्त स्तर का एक बाहरी	

	1	
अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक,	विशेषज्ञ-सदस्य	
अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से		
कम न हो और उन्होंने अगले उच्च		
ग्रेड में पदोन्न्ती के लिए परिवीक्षा		
अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली		
हो। प्रतिनियुक्ति		
(आईएसटीसी)/आमेलन:		
केंद्र सरकार / राज्य सरकारों / संघ		
राज्य क्षेत्रों / विश्वविद्यालयों /		
मान्यताप्राप्त्र अनुसंधान संस्थान /		
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / अर्ध-		
सरकारी, वैधानिक या स्वायत्त		
संगठन के अधिकारी:-		
(i) मूलसंवर्ग / विभाग में नियमित		
आधार पर समतुल्य पद धारण करते		
हों; या		
(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में		
वेतन स्तर 6 अथवा मूल संवर्ग/		
विभाग में उसके समतुल्य पद पर		
नियुक्ति के बाद ग्रेड में 5 वर्ष की		
नियमित सेवा की हो; तथा		
ख) स्तंभ 7 के तहत सीधी भर्ती के		
लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और		
अनुभव रखते हों।		

1	2	3	4	5	6	7	8
सूप्रो सहायक	6	सामान्य	वेतन स्तर 06	लागू नहीं	30वर्ष	(i) स्नातक	
	(नये	केन्द्रीय सेवा,	(रु.35400-			(ii) संबंधित क्षेत्र में दो	
	पद)	समूह ग	112400)			वर्षों का अनुभव	
	,		या अनुभव के			नोट:- उपरोक्त शैक्षिक	
		गैर-	वर्षों के			योग्यता और अनुभव	
		अनुसचिवीय	आधार पर			केवल सूचक है और इनमें	
			रु. 50000-			कार्यात्मक आधार पर	
			150000 की			बदलाव हो सकता है,	
			श्रेणी में			जिसे यदि कोई होगी,	
			समेकित			प्रत्येक अवसर पर	
			पारिश्रमिक			विज्ञापन में उल्लिखित	
						की जाऐंगी।	

9	10	11	12	13
2 वर्ष	100%-सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	चयन समिति में निम्न लिखित होंगे:	लागू नहीं ।
			(i) निदेशक-एफएसएसएआई-	
			अध्यक्ष	
			(ii) मुख्य सूचना तकनीकि	
			अधिकारी, एफएसएसएआई सदस्य	
			(iii) उप निदेशक, सदस्य	
			(iv) मु.का.अ.महोदय द्वारा नामांकित	
			उपयुक्त स्तर का एक बाहरी	
			विशेषज्ञ-सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7	8
प्रधान	 1 (नया	सामान्य	वेतन स्तर 13	लागू नहीं	50वर्ष	मान्यता प्राप्त	-
प्रबंधक		केन्द्रीय सेवा,				विश्वविद्यालय या	
	पद)		(₹.1,23,100-			संस्थान से पत्रकारिता /	
		समूह क, गैर-	2,15,900)			जन संचार / सार्वजनिक	
			या अनुभव के			संबंध में स्नातकोत्तर	
		अनुसचिवीय	वर्षों के आधार			डिग्री /डिप्लोमा	
			पर			(पूर्णकालिक पाठ्यक्रम)	
			रु.165000-			या विपणन में	
			रु.280000की			विशेषज्ञता के साथ	
			श्रेणी में			एमबीए अथवा	
			समेकित			किसी मान्यता प्राप्त	
			पारिश्रमिक			विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक	
						कार्य / मनोविज्ञान / श्रम	
						और समाज कल्याण में	
						स्नातकोत्तर डिग्री	
						/डिप्लोमा।	
						नोट 1:सुयोग्यअभ्यर्थियों	
						के मामले में सक्षम	
						प्राधिकारी के	
						विवेकानुसार योग्यताओं	
						में छूट दी जा सकती हैं।	
						नोट 2: चयन के किसी	
						भी स्तर पर यदि	
						अनुसूचित जाति या	
						अनुसूचित जनजाति के	
						उम्मीदवारों के मामले में	
						सक्षम प्राधिकारी के	
						विवेकानुसार अनुभव	
						और योग्यता में इन	
						आरक्षित पदों को भरने	
						के लिए छूट दी जा	
						सकती है। अगर सक्षम	
						प्राधिकारी इन समुदाय	
						के अभ्यर्थियों में उक्त	
						अनुभव रखने वाले	
						उम्मीदवारों की	
						संभावना कम है।	
						नोट-3:- उपरोक्त	
						शैक्षिक योग्यता और	
						अनुभव केवल सूचक हैं	
						और कार्यात्मक आधार	
						पर इनमें बदलाव हो	
						सकता है जिसे, यदि	
						कोई होगी, प्रत्येक	
						अवसर पर विज्ञापन में	
						उल्लिखित की जाऐंगी।	

9	10	11	12	13
1 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	चयनसमिति में होंगे:	लागू नहीं ।
			(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,	
			एफएसएसएआई -अध्यक्ष	
			(ii)कार्यपालक निदेशक,	

	एफएसएसएआई सदस्य	
	(iii) सलाहकार, एफएसएसएआई	
	सदस्य	
	(iv) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
	मंत्रालय से एक प्रतिनिधि (v) अध्यक्ष महोदय द्वारा नामांकित	
	उपयुक्त स्तर का एक बाहरी	
	विशेषज्ञ-सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7	8
वरिष्ठ प्रबंधक	3 (नये पद)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह क गैर- अनुसचिवीय	वेतन स्तर 12 (रु.78,800- 2,09,200) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.110000- रु.275000 की श्रेणी में समेकित पारिश्रमिक	चयन	50वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता / जन संचार / सार्वजनिक संबंध में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम) या विपणन में विशेषज्ञता के साथ एमबीए अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य / मनोविज्ञान / श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री /डिप्लोमा। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य / मनोविज्ञान / श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री /डिप्लोमा। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य / मनोविज्ञान / श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री /डिप्लोमा। नोट 1: सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती हैं। नोट 2: चयन के किसी भी स्तर पर यदि अनुसूचित जाति या	

	अनुसूचित जनजाति के
	उम्मीदवारों के मामले में
	सक्षम प्राधिकारी के
	विवेकानुसार अनुभव
	और योग्यता में इन
	आरक्षित पदों को भरने
	के लिए छूट दी जा
	सकती है। अगर सक्षम
	प्राधिकारी इन समुदाय
	के अभ्यर्थियों में उक्त
	अनुभव रखने वाले
	उम्मीदवारों की
	संभावना कम है।
	नोट-3:- उपरोक्त
	शैक्षिक योग्यता और
	अनुभव केवल सूचक है
	और इनमें कार्योत्मक
	आधार पर बदलाव हो
	सकता है, जिसे यदि कोई
	होगी, प्रत्येक अवसर पर
	विज्ञापन में उल्लिखित
	की जाऐंगी।
	का जाएगा।

9	10	11	12	13
1 वर्ष	(i) 75% सीधी भर्ती	पदोन्नती के लिए :	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं
	द्वारा	स्तर 11(रु. 67,700-2,08,700) में	(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
	(ii) 25% पदोन्नती	प्रबंधक नियमितआधार पर नियुक्ति	एफएसएसएआई अध्यक्ष	
	द्वारा, के, अभाव में	के बाद5 साल की सेवा।	(ii) कार्यपालक निदेशक,	
	प्रतिनियुक्ति द्वारा	नोट 1: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर	एफएसएसएआई सदस्य	
	(अल्पकालिक अनुबंध	चुके कनिष्ठ कर्मचारियों के		
	सहित)/आमेलन।	पदोन्नती हेतू विचार किये जाने पर	(iii) सलाहकार, एफएसएसएआई	
		उनके साथ उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों	सदस्य	
		पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते		
		कि उनकी सेवा में कमी अपेक्षित	(iii)निदेशक-एफएसएसएआई	
		अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक,		
		अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से	(iv) अध्यक्ष-एफएसएसएआई द्वारा	
		कम न हो और उन्होंने अगले उच्च	नामांकित उपयुक्त स्तर का एक	
		ग्रेड में पदोन्न्ती के लिए परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली	बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य	
		हो। <u>प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी)/</u>		
		<u>आमेलन</u>		
		केंद्र सरकार / राज्य सरकारों / संघ		
		राज्य क्षेत्रों / विश्वविद्यालयों /		
		मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / अर्ध-		
		सरकारी, वैधानिक या स्वायत्त		
		संगठन के अधिकारी:-		
		संगठन के आवकारा (i) मूलसंवर्ग / विभाग में नियमित		
		आधार पर समतुल्य पद धारण करते		
		जावार पर सम्पुल्य पद वारण फरत हों; या		
		्हा, पा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में		
		वेतन स्तर 11अथवामूल		
		संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद		

	पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 5वर्ष की	
	नियमित सेवा की हो; तथा	
	ख) स्तंभ 7 के तहत सीधी भर्ती के	
	लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और	
	अनुभव रखते हों।	

1	2	3	4	5	6	7	8
प्रबंधक	2 8 (नये पद)	3 सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह क गैर- अनुसचिवीय	4 वेतन स्तर 11 (रु.67,700- 2,08,700) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.95000- रु.270000 की श्रेणी में समेकित पारिश्रमिक	5 चयन	6 40वर्ष	ग मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता / जन संचार / सार्वजनिक संबंध में स्नातकोत्तर डिग्री /डिप्लोमा (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम) या विपणन में विशेषज्ञता के साथ एमबीएअथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य / मनोविज्ञान / श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री /डिप्लोमा। अथवा (ग) (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय विज्ञान ये पुस्तकालय विज्ञान ये पुस्तकालय विज्ञान में स्नात्कोतर डिग्री (iii) केन्द्रीय / राज्य सरकार / स्वशासीया सांविधिक संगठन / सार्वजनिक उपक्रम / विश्वविद्यालय के तहत पुस्तकालय में पांच वर्ष का व्यावसायिक अनुभव नोट 1:सुयोग्यअभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती हैं। नोट 2: चयन के किसी भी स्तर पर यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव और योग्यता में इन आरक्षित पदों को भरने के लिए छूट दी जा	8

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
			अनुभव रखने वाले	
			उम्मीदवारों की	
			संभावना कम है।	
			नोट-3 उपरोक्त शैक्षिक	
			योग्यता और अनुभव	
			केवल सूचक है और इनमें	
			कार्यात्मक आधार पर	
			बदलाव हो सकता है,	
			जिसे यदि कोई होगी,	
			प्रत्येक अवसर पर	
			विज्ञापन में उल्लिखित	
			की जाऐंगी।	
1				

9	10	11	12	13
2 वर्ष	i) 75% सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नती के लिए :	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं
	(ii) 25% पदोन्नती	स्तर 10(रु. 56,100-1,77,500)में	(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
	द्वारा, के, अभाव में	उप प्रबंधक नियमितआधार पर	एफएसएसएआई अध्यक्ष	
	प्रतिनियुक्ति द्वारा	नियुक्ति के बाद5 साल की सेवा।नोट	(ii) कार्यपालक निदेशक,	
	(अल्पकालिक अनुबंध	1: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके	एफएसएसएआई सदस्य	
	सहित)/आमेलन।	कनिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नती हेतू		
		विचार किये जाने पर उनके साथ	(iii) सलाहकार, एफएसएसएआई	
		उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी	सदस्य	
		विचार किया जाएगा, बशर्ते कि		
		उनकी सेवा में कमी अपेक्षित	(iii)निदेशक-एफएसएसएआई	
		अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक,		
		अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से	(iv) अध्यक्ष महोदय द्वारा नामांकित	
		कम न हो और उन्होंने अगले उच्च	उपयुक्त स्तर का एक बाहरी	
		ग्रेड में पदोन्न्ती के लिए परिवीक्षा	विशेषज्ञ-सदस्य	
		अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।		
		्र <u>ए।</u> प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी)/		
		<u>आमेलन</u>		
		केंद्र सरकार / राज्य सरकारों / संघ		
		राज्य क्षेत्रों / विश्वविद्यालयों /		
		मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / अर्ध-		
		सरकारी, वैधानिक या स्वायत्त		
		संगठन के अधिकारी:-		
		(i)मूलसंवर्ग / विभाग में नियमित		
		आधार पर समतुल्य पद धारण करते		
		हों; या		
		(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में		
		वेतन स्तर 10अथवामूल		
		संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 5वर्ष की		
		•		
		नियमित सेवा की हो; तथा		
		ख) स्तंभ 7 के तहत सीधी भर्ती के		
		लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और		
		अनुभव रखते हों।		

1	2	3	4	5	6	7	8
उप प्रबंधक	17	सामान्य	वेतन स्तर 10	लागू नहीं	<u> </u>	मान्यता प्राप्त	लागू
	ा / (नये	केन्द्रीय सेवा,	(रु.56,100-	6 %	55 4 7	विश्वविद्यालय या	
		समूह क				संस्थान से पत्रकारिता /	
	पद)		1,77,500)			जन संचार / सार्वजनिक	
		गैर-	या अनुभव के वर्षों के			संबंध में स्नातकोत्तर	
		अनुसचिवीय	वषा क आधार पर			डिग्री /डिप्लोमा (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम)	
			जाबार पर रु.80000-			(पूर्णकातिक पाठ्यक्रम) या विपणन में	
						विशेषज्ञता के साथ	
			रु.234000 की श्रेणी में			एमबीएअथवा	
			का श्रणा म समेकित			किसी मान्यता प्राप्त	
			पारिश्रमिक			विश्वविद्यालय या	
						संस्थान से सामाजिक	
						कार्य / मनोविज्ञान / श्रम और समाज कल्याण में	
						स्नातकोत्तर डिग्री	
						/डिप्लोमा।	
						अथवा	
						(ग)(i) मान्यता प्राप्त	
						विश्वविद्यालय या	
						संस्थान से पुस्तकालय	
						विज्ञान या पुस्तकालय	
						और सूचना विज्ञान में	
						स्नातकोत्तर डिग्री	
						(ii) केन्द्रीय/राज्य	
						सरकार / स्वशासीया सांविधिक संगठन /	
						सार्वजनिक उपक्रम /	
						विश्वविद्यालय के तहत	
						पुस्तकालय में पांच वर्ष	
						का व्यावसायिक	
						अनुभव।	
						नोट 1 सुयोग्यअभ्यर्थियों	
						के मामले में सक्षम	
						प्राधिकारी के	
						विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती हैं।	
						नि छूट यो जा सकता है। नोट 2: चयन के किसी	
						भी स्तर पर यदि	
						अनुसूचित जाति या	
						अनुसूचित जनजाति के	
						उम्मीदवारों के मामले में	
						सक्षम प्राधिकारी के	
						विवेकानुसार अनुभव	
						और योग्यता में इन आरक्षित पदों को भरने	
) आराक्षत पदा का भरन केलिए छूट दी जा	
						सकती है। अगर सक्षम	
						प्राधिकारी इन समुदाय	
						के अभ्यर्थियों में उक्त	
						अनुभव रखने वाले	
						उम्मीदवारों की	
						संभावना कम है।	
						नोट-3:- उपरोक्त	
						शैक्षिक योग्यता और	
						अनुभव केवल सूचक है	

			और इनमें कार्यात्मक	
			आधार पर बदलाव हो	
			सकता है, जिसे यदि कोई	
			सकता है, जिसे यदि कोई होगी, प्रत्येक अवसर पर विज्ञापन में उल्लिखित	
			विज्ञापन में उल्लिखित	
			की जाऐंगी।	

9	10	11	12	13
2 वर्ष	100 % सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं
			(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
			एफएसएसएआई अध्यक्ष	
			(ii) कार्यपालक निदेशक,	
			एफएसएसएआई सदस्य	
			(iii) सलाहकार, एफएसएसएआई	
			सदस्य	
			(iii)निदेशक-एफएसएसएआई	
			(iv) अध्यक्ष महोदय द्वारा नामांकित	
			उपयुक्त स्तर का एक बाहरी	
			विशेषज्ञ-सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक प्रबंधक	8 (नये पद)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ख गैर- अनुसचिवीय	बेतन स्तर 07 (रु.44,900- 1,42,400) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.60000- रु.186000 की श्रेणी में समेकित पारिश्रमिक	लागू नहीं	30वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता / जन संचार / सार्वजनिक संबंध में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम) या विपणन में विशेषज्ञता के साथ एमवीएअथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य / मनोविज्ञान / श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री /डिप्लोमा। अथवा (ग)(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (iii) केन्द्रीय/राज्य सरकार / स्वशासीया सांविधिक संगठन / सार्वजनिक उपक्रम / विश्वविद्यालय के तहत	लागू नहीं

			पुस्तकालय में दो वर्ष	
			का व्यावसायिक	
			अनुभव।	
			नोट 1:सुयोग्यअभ्यर्थियों	
			के मामले में सक्षम	
			प्राधिकारी के	
			विवेकानुसार योग्यताओं	
			में छूट दी जा सकती हैं।	
			नोट 2: चयन के किसी	
			भी स्तर पर यदि	
			अनुसूचित जाति या	
			अनुसूचित जनजाति के	
			उम्मीदवारों के मामले में	
			सक्षम प्राधिकारी के	
			विवेकानुसार अनुभव	
			और योग्यता में इन	
			आरक्षित पदों को भरने	
			केलिए छूटदी जा	
			सकती है। अगर सक्षम	
			प्राधिकारी इन समुदाय	
			के अभ्यर्थियों में उक्त	
			अनुभव रखने वाले	
			उम्मीदवारों की	
			संभावना कम है। नोट-	
			3:- उपरोक्त शैक्षिक	
			योग्यता और अनुभव	
			केवल सूचक है और इनमें	
			कार्यात्मक आधार पर	
			बदलाव हो सकता है,	
			जिसे यदि कोई होगी,	
			प्रत्येक अवसर पर	
			विज्ञापन में उल्लिखित	
			की जाऐंगी।	
 		l	,	l .

10	11	12	13
100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं
		(i) कार्यपालक निदेशक,	
		एफएसएसएआई अध्यक्ष	
		(ii) निदेशक, एफएसएसएआई-	
		सदस्य	
		(iii)मुo काo अo महोदय द्वारा	
		नामांकित उपयुक्त स्तर का एक	
		बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य	
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	विश्व सिवित में निम्नलिखित होंगे: व्यन सिवित में निम्नलिखित होंगे: (i) कार्यपालक निदेशक, एफएसएसएआई अध्यक्ष (ii) निदेशक, एफएसएसएआई-सदस्य (iii)मुo काo अo महोदय द्वारा नामांकित उपयुक्त स्तर का एक

[विज्ञापन.-III/4/असा./425/17]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2018

No.12/01/2010-Admn.FSSAI.—The following draft regulations, which the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) proposes to make with the previous approval of the Central Government, in exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing this notification are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110002 or send it to the e-mail address of the Food Authority at estt@fssai.gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period specified above shall be considered by the Food Authority.

DRAFT REGULATIONS

CHAPTER I

PRELIMINARY

- 1. Short title and commencement. -(a) These Regulations may be called the Food Safety and Standards Authority of India (Recruitment and Appointment) Regulations, 2018.
- (b) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- (c) They shall apply to posts specified in Schedule to these Regulations.
- 2. Definitions -In these Regulations unless the context otherwise requires, -
- (a) "Act" means the Food Safety and Standards Act, 2006;
- (b) "Central Government" means the Ministry of Health and family Welfare, Government of India;
- (c) "Age" means the upper age limit as specified in Schedule;
- (d) "Appointing and Disciplinary Authority" in relation to any post under the Food Authority means,
 - i. The Chairperson of the Authority in respect of all Group 'A' posts of the level 14(144200-218200); and above but does not include the Chief Executive Officer;
 - ii. The Chief Executive Officer of the Authority in respect of all Group 'A' posts of the level less than 14(Rs.144200-218200);
 - Executive Director (erstwhile Chief Management Services Officer) of the Authority in respect of all Group 'B' posts; and
 - iv. the Director in-charge of establishment at Food Safety and Standards Authority of India Headquarters or Regional Offices or Laboratories of the Authority in respect of all sanctioned posts equivalent to Group-'C' under their respective jurisdiction
- (e) "Chairperson" means the Chairperson of the Food Safety and Standards Authority of India;
- (f) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Food Safety and Standards Authority of India;
- (g) "Candidate" means the person who is eligible for consideration against any of the posts specified in the Schedule of these Regulations;
- (h) "Contract employee" means an employee whose employment is on contract basis for a specific period;
- (i) "Committee" means and includes Search cum Selection Committee, Departmental Promotion Committee, Screening or Expert Committee or Assessment Board as specified in Schedule or specific provisions under these Regulations;

- (j)"Direct Appointment" means any appointment made by the Authority otherwise than by appointment by transfer on deputation including short term contract or on contractual basis in accordance with the provisions of the regulations notified by the Authority.
- (k) "Deputation" means a method of recruitment where officers of Central Government Departments or State/UT Governments are appointed to post(s) in Food Safety and Standards Authority of India.
- (1) "Food Authority" means Food Safety and Standards Authority of India established under sub-section 1 of section 4 of Food Safety and Standards Act, 2006 and in short the 'Authority';
- (m) "Probation" means a person appointed to any post shall be on probation for the period as specified in the schedule.
- (n) "Recognised university or educational board" means any University or Board set up under any law of central or state legislature in India and/or recognised by the University Grants Commission or any institution so authorised by the Central and State Governments for the purpose;
- (o) "Short-term contract" means the method of recruitment of officers belonging to non-government bodies, such as Universities, recognised research institutions, Public Sector Undertakings to the Authority for a specified period.
- (p) Words and expressions used in these Regulations but not defined, shall have the meaning as respectively assigned to them in the Food Safety and Standards Act, 2006(34 of 2006) the rules/ regulations issued by Government of India, General Clauses Act, 1897(10 of 1897) and the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

CHAPTER II

CLASSIFICATION OF POSTS

- 3. Initial constitution. All persons appointed in the service of the Food Authority on regular basis before the commencement of these Regulations shall be deemed to have been appointed under these regulations and the service rendered by them shall be counted for the purpose of benefit of promotion and other service conditions.
- 4. Classification of Posts. The posts in the Food Authority shall be classified as follows: -

Sl No.	Description.	Classification of posts.
110.		
1	Post of the Pay Level 10 or above	Group "A"
2	Post of the Pay Level 6 to Level 9	Group "B"
3	Post of the Pay Level 1 to level 5	Group "C"

- 5. Post, Cadres, classification and scales of pay-
 - (a) There shall be three Cadres in Food Safety and Standards Authority of India, namely, Scientific and Technical cadre; Administrative and Finance Cadre, and IT & other specialized Services cadre.
 - (b) With the approval of the Competent Authority and for reasons to be recorded in writing, posts at levels 11 to 13 can be operated as a common pool across cadres and levels, based on the requirement and availability of eligible candidates.
 - (c) The Cadre management of all Group 'A' and Group 'B' posts in Food Safety and Standards Authority of India shall be undertaken centrally at Headquarters of Food Safety and Standards Authority of India.
 - (d) The cadre management of Group'C' posts shall be managed by Headquarters unless delegated to Regional Offices and Laboratories in respect of the posts under their respective jurisdiction.
 - (e) The classification of posts and the pay scales attached thereto shall be as specified in Schedule of these Regulations.

(6) Creation of Posts:

- (a) The Food Authority shall from time to time determine the number of posts of each description in the service of the Authority.
- (b) The authorities specified in column (a) of the following Table shall be empowered to create new or additional posts in the Authority of the description specified in Column (b) thereof.

TABLE

Authority	Category	
(a)	(b)	
Central Government	All posts carrying Pay Level 10 and above	
Food Authority	All posts carrying Pay Level 1 to Pay Level 9	

- (c) Notwithstanding anything contained in these Regulations when a new post is created, the Authority creating such post shall specify the scale of pay (which shall not be different from the standard scales of pay adopted by the Authority) of the post, the mode or modes of appointment thereto and the qualifications and the age limits, if any, applicable thereto. Thereafter such post shall be deemed to have been included under the appropriate category in the Table set out in Schedule.
- 7. General conditions for appointment in the Food Authority. The general conditions specified in sub regulations (a) to (f) shall apply to all appointments in the Food Authority.
- (a) The Food Authority shall lay down the procedure for appointment and promotion;
- (b) Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard;
- (c) No person shall be eligible for appointment to the service of the Food Authority unless he or she has attained the age of eighteen years. There shall be no maximum age restriction for the departmental candidate for appointment to any post of the Food Authority under Direct Recruitment as specified in Schedule;
- (d) No person shall be qualified for appointment to the service of the Food Authority unless he or she is,-
 - (i) a citizen of India.
 - (ii) is covered by any other category of citizenship notified by the Central Government as eligible for appointment to service under the Government:

Provided that a person shall be treated as other category of citizenship if a certificate of eligibility has been granted by the Government of India in such person's favour.

- (e) No person shall be appointed to the service of the Food Authority unless he or she,-
 - (i) is a person bearing a good moral character and has not been convicted in the past for any offence.
 - (ii) Has been dismissed or removed or compulsorily retired from any Government or Public enterprise or private job or any other organisation on grounds of misconduct involving moral turpitude or otherwise.
- (f) (i) No person, -
 - (i) Who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (ii) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment;

(iii) Every person shall be required to furnish a marriage declaration in the prescribed format before his or her appointment:

Provided that the Competent authority may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

- 8. Relaxation in Appointment Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Competent Authority may approve appointment through deputation/ short term contract/ contract basis till officers in feeder grade become eligible for promotion.
- 9. Recruitment Norms-

- (a) The method of recruitment to the posts , scale of pay, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in Schedule
- (b) The closing date for the receipt of applications from candidates in India (and the not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep) shall be the date for determining the upper age limit of the advertised posts.
- (c) Select list of candidates- On the recommendations of the Selection Committee, a select list of candidates in order of merit alongwith a reserve list will be prepared, as accepted by the Competent Authority which shall remain valid for a period of one year or for such extended period as the Competent Authority may specify.
- (d) Selection of candidates-
 - (a) Offers of appointment to the candidates or the select list shall be issued in the order of merit shown in the select list specifying a time limit within which the candidate must join service, which may be extended at the discretion of the Competent Authority;
 - (b) The letter of Offer of appointment shall specify the conditions to be fulfilled by a candidate, prior to appointment;
 - (c) The Competent Authority may cancel the Offer of appointment if the selected candidate fails to fulfil any of the conditions prescribed prior to appointment or if the candidate fails to join service within the specified period;
 - (d) All appointments by direct recruitment shall be subject to verification of character and antecedents;
 - (e) Where an Offer of appointment is cancelled in the manner prescribed in clause (c) above, the Competent Authority at its discretion may issue offer of appointment to the candidate next below in the order of merit in the select list.
- (e) The employees appointed shall be liable to serve anywhere in India or abroad.
- (f) Every person shall take oath under Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) before his or her appointment.
- 10. Direct Recruitment. -
- (a) (i) The vacancies which are to be filled up shall be widely advertised as per extant government instructions;
 - (ii) Applications not received by the last date mentioned in the advertisement or which are from candidates who do not satisfy the conditions laid down shall be liable to be summarily rejected:

Provided that the Competent Authority may extend the time given for receiving the applications.

- (b) The candidates possessing the educational qualifications and experience as specified in Schedule and other provisions under these regulations shall be eligible for direct recruitment through selection process. The Competent Authority may at its discretion, where it considers desirable, also stipulate whether written examination or interview or both to be a part of the selection process.
- (c) The Competent Authority, at its discretion, may maintain a panel of names of suitable candidates as per recommendations of the Selection Committee. Any such panel of names, if prepared and maintained, shall remain valid for a period not exceeding one year from the date of its approval.
- (d) If a departmental candidate is selected for appointment to any of the posts by Direct Recruitment, the post shall be considered to be filled by Direct Recruitment.
- (e) With the approval of Food Authority, all persons on contract in the services of the Food Authority on the date of notification of these Recruitment regulations may be permitted a relaxation in the upper age limit specified for direct recruitment and may be given weightage in selection for being engaged in the work of Authority.

11. Absorption.-

(a) The candidates from other Ministries or Departments of the Central Government, State Governments, Universities, Public Sector Undertakings and government controlled or funded recognised research Organisations or Institutions may be appointed on absorption basis subject to fulfilment of the following conditions: -

- the candidate possesses minimum educational qualifications and experience as specified in Schedule;
- (ii) the candidate holds a post analogous to the post applied for.
- (b) The Competent Authority may, from time to time, by appropriate order, permanently absorb any person already appointed on deputation in the Food Authority:

Provided that no person shall be absorbed in the Food Authority unless, such person has,-

- (i) Given in writing his option to get permanently absorbed in the Food Authority, on being called to do so by the Food Authority, and
- (ii) Possesses minimum educational qualifications and experience as specified in Schedule to these regulations and has completed at least two years on deputation in the Food Authority.
- (c) The Competent Authority may consider for absorption the persons referred to in sub-regulations (a) & (b) above.-
 - (i) On the recommendation of the Selection Committee and having regard to the suitability and the requirement of such person in the Food Authority; and
 - (ii) In consultation with the parent office of such person;
 - (iii) Such person shall be absorbed in the Authority after he has tendered resignation from his substantive post and accepted by his parent organisation.
 - (iv) Any such possibility of absorption shall be indicated in advertisement.
- 12. Deputation (including Short Term Contract).-
- (a) All appointments made on deputation on Foreign Service Terms including short term contract in the Food Authority under these regulations shall be for a period not exceeding three years in the first instance, which may be extended as per Govt. guidelines at the discretion of the Competent Authority which shall be based on the performance appraisal of the candidate and in consultation with the parent department. The deputation in the Authority on the posts as specified in Schedule are exempted from rule of immediate absorption.
- (b) The candidates from other Ministries or Departments of the Central Government, State Governments, Universities, Public Sector Undertakings and government controlled or funded recognised research Organisations or Institutions may be taken on deputation including on short term contract in the manner as specified in these regulations and subject to fulfilment of the following conditions, namely:-
 - (i) Possessing minimum educational qualifications and experience as specified in Schedule, and
 - (ii) Holding a post analogous to the post applied for or has put in minimum number of years of service rendered in the lower post required for promotion to the level of deputation post or its analogous post.
- (c) The departmental candidates who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre posts for which they are not the feeder grade officers.
- (d) If any employee proceeds on deputation to any Department or Organisation, the terms and conditions of service of such employee shall be governed under extant Government rules.
- 13. Appointment by Promotion.-
- (a) Appointment of regular employees by promotion who fulfil the eligibility criteria as prescribed in Schedule to different grades will be made from the lower or feeder grades to the next higher post in direct line of promotion in the order of their seniority subject to availability of vacancy and on the recommendations of Departmental Promotion Committee. The DPC will be constituted as per the extant instructions of the government on the subject.
- (b) Seniority.- The fixation of seniority shall be in accordance with the general instructions or principles of seniority laid down by the Central Government and the fixation of seniority of a transferee shall not, however, affect any regular promotions to the next higher grade made prior to the date of such absorption;

14. Contract appointment. -

(a) The Competent Authority may appoint employees on contract basis for a specified period to meet interim requirements arising out of failure to fill vacancies through normal mode of recruitment, on entry qualification, as required for equivalent sanctioned posts and terms and conditions as required with the approval of Chairperson of the Authority

Provided that the total number of such appointemnts is within the sanctioned posts and restricted to five percent of the total number of sanctioned posts.

- (b) The Authority may hire services of Consultants from open market for such other disciplines related to the duties entrusted to the Food Authority, where special skills and competencies, not covered in the Recruitment Regulations, are required, on terms and conditions as may be required with the approval of Chairperson of the Authority. Such appointments shall be over and above the sanctioned posts, but shall not exceed at anytime five percent of the overall sanctioned posts.
- (c) The consultants, under sub regulation (a) & (b) above, may be appointed on contract basis for a period not exceeding 3 years with no claims for subsequent permanent employment.
- (d) Procedure and norms for selection of appointment of employees appointed on contract is in sub regulation (a) and (b) will be broadly aligned to these regulation and decided in each case by the Chairperson of the Authority.
- (e) There shall be no provision for lien against the post in which officers have been appointed on contract basis.

15. Selection. -

- (a) Appointment to the posts shall be made through Selection Committees as specified in Schedule.
- (b) The panel recommended by the Selection committee will be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, a fresh Selection committee shall be constituted to prepare a fresh panel. Such a committee may also consider the names of the person in the earlier panel.
- (c) The minimum educational qualifications and experience for candidates recruited through this process shall be as specified in Schedule, but the minimum period of experience may be relaxed in the case of candidates possessing expertise in highly specialised disciplines, provided it is so recorded in writing by the Selection Committee. The provision of relaxation shall be incorporated in the vacancy circular or advertisement.
- 16. Power of relaxation. -The power of relaxation of provison of these Recruitment regulations shall lie with the Central Government.
- 17. Interpretation. -If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it will be referred to the Central Government for examination and the decision of the Central Government shall be final.

SCHEDULE

Name of	Number of	Classification of	Level in Pay	Whether	Age Limit	Educational and	Whether age and
Post	Post	Post	Matrix	Selection	for Direct	other	educational
				Post or Non Selection Post	Recruits	Qualifications required for Direct Recruits	qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in case of promotees
1	2	3	4	5	6	7	8
Executive Director	*2 ¹ (2017)	General Central Service, Group- A,Non-Ministerial	Pay Level 14 (Rs.1,44,200- 2,18,200)	Not Applicable	NA	NA	NA

¹ 02 post of Executive Director against 01 sanctioned post of Chief Management Service Officer in the same Pay Level with change in designation only and 01 against sanctioned post of Scientist Group-IV(5) in Pay Level 13A.

Period of Probation if any?	Method of Recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9 NA	10 Deputation	Officers of the Central	Search- cum- Selection Committee	13 NA
		Governments/ Union Territories/Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations:- (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/departments; or (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay level 13 or equivalent in the parent cadre/department; and (iii) Having 10 years experience of administration, finance or/ and vigilance matters.	shall comprise of:- (i) Chairperson, FSSAI -Chairman (ii) Chief Executive Officer, FSSAI- Member (iii) One representative nominated by MoH&FW - Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson - Member.	

1	2	3	4	5	6	7	8
Advisor	$*4^2(2017)$	General	Pay Level 14	Not	NA	NA	NA
		Central	(Rs.1,44,200	Applicable			
		Service,	-2,18,200)				
		Group-A, Non-					
		Ministerial n-					
		Ministerial					

9	10	11	12	13
NA	Deputation	Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/ Universities/ Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations: (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/departments; or (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay level 13 or equivalent in the parent cadre/department; and (iii) Possessing Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in Chemistry/Bio chemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/ Bio-technology/ Nutrition/ Toxicology/ Nano Technology/ Fruit & Vegetable technology/ Food Safety & Quality Assurance/ Life Science/Public Health/ Medicine or any other related disciplines with eighteen years experience of working in research and development in	Search- cum- Selection Committee shall comprise of:- (i) Chairperson, FSSAI - Chairman (ii) Chief Executive Officer, FSSAI- Member (iii) One representative nominated by MoH&FW - Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson - Member.	NA

²04 posts of Advisor against the 02 sanctioned posts of Chief PAQA Officer& Chief Enforcement Officer in the same Pay level, 01 against sanctioned post of Chief Scientific Advisor in Pay level 15 & 01 against the sanctioned post of Scientist Group-IV(5) in Pay Level 13A with change in name of designation.

Laboratories/ Research Institutions /Scientific	
Organisations in the field of food science/	
E	
standards/safety and out of the aforesaid 18years	
at least 9 years should be in a supervisory	
capacity; or Doctorate Degree in any of the	
aforesaid subjects with 15 years working	
experience in the Laboratories/ research	
institutions/ scientific organisations in the fields	
mentioned above in this para and out of 15 years	
at least 8 years should be in a supervisory	
capacity; and	
(iv) Published research work of high standards in related field.	

1	2	3	4	5	6	7	8
Chief Technology Officer	1 (New Creation)	General Central Service, Group-A, Non- Ministerial	Pay Level 13 (Rs.1,23,100-2,15,900) or Consolidated remuneration in the range of Rs. (160000- 258300) depending upon year of experience	Not Applicable	50 Years	(i) Bachelor's/ Master's Engineering degree in any stream from a reputed university. (ii) Should have a minimum of 16 years in the IT industry with at least 10. years into large application development. (iii) Should have at least 5 years of experience of working with the Government/ Public Sector Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	NA

9	10	11	12	13
1 Year	100% Direct Recruitment	NA	Selection Committee shall comprise of:- (i) Chairperson, FSSAI -Chairman (ii) Chief Executive Officer, FSSAI- Member (iii) One representative nominated by MoH&FW - Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated Chairperson - Member.	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Director	*16 3	General	Pay Level 13	Selection	50	(a) (i) Bachelor's Degree from a	No No
Director	(2017).	Central	(Rs.1,23,100-	Sciection	Years	recognised University/ Institution; and	110
	(2017).	Service,	2,15,900)		1 cars	(ii) Fifteen Years experience in	
		Group-A,	_,13,700)			handling administration, finance,	
		Non-				human resource development or/ and	
		Ministerial				vigilance matters depending on the	
						post requirement.	
						Desirable: Degree of Law or MBA	
						degree or equivalent from a	
						recognised university/Institution	
						OR	
						(b)(i) Masters' Degree or equivalent	
						from a recognised university or	
						institution in Chemistry/Bio	
						chemistry/Food Technology/ Edible	
						Oil Technology/ Microbiology/ Dairy	
						Technology/ Agriculture Sciences/	
						Veterinary Science/ Bio-	
						technology/Nutrition/Toxicology/Nano	
						Technology/ Fruit & Vegetable	
						technology/ Food Safety & Quality Assurance/ Life Science/Public	
						Health/ Medicine or any other related	
						disciplines with fifteen years	
						experience of working in research and	
						development in Laboratory/ Research	
						Institutions /Scientific Organisations in	
						the field of food science/	
						standards/safety out of which at least	
						five years should be as group leader or	
						in a supervisory capacity and should	
						have handled food science related	
						programmes involving planning,	
						development and coordination;	
						OR	
						(c) (i) Doctorate Degree in any of the	
						aforesaid subjects with twelve years	
						experience of working in research and	
						development in Laboratories/ Research Institutions /Scientific Organisations in	
						the field of food science/	
						standards/safety out of which at least	
						five years should be as group leader or	
						in a supervisory capacity and should	
						have handled food science related	
						programmes involving planning,	
						development and coordination; and	
						(c) (ii) Should have published	
						research work in related field.	
						Note 1: Qualifications are relaxable at	
						the discretion of the Competent	
						Authority in the case of candidates	
						otherwise well qualified.	
						Note 2: The qualification(s) regarding	
						experience is relaxable at the	
						discretion of the Competent Authority	
						in the case of candidates belonging to	
						Scheduled Castes or Scheduled Tribes	
						if at any stage of selection, the	
						Competent Authority is of the opinion	
]					that sufficient number of candidates	

³ 16 posts of Director against the sanctioned post of 11 Directors, 01 post of Financial Advisor and 04 posts of Scientist IV(4) all in same Pay Level 13 with partial change in name of designation.

	from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 3: The educational qualification & experience from the above will be
	& experience from the above will be decided as per functional requirement
	of the post which shall be mentioned in the advertisement on each occasion

9	10	11	12	13
1 Year	(i) 60% by Promotion	(a) For Promotion:	Selection Committee shall	NA
	failing which Deputation	Joint Director in Level 12 (Rs.78,800-2,09,200)	consist of –	
	(including short-term	with five years' service in the grade rendered	(i) Chief Executive Officer,	
	contract)/ absorption	after appointment thereto on a regular basis.	FSSAI- Chairman.	
	(ii) 40% by Direct	Note 1: Where juniors who have completed their	(ii) Executive Director,	
	recruitment	qualifying/eligibility service are being	FSSAI- Member	
		considered for promotion, their seniors would	(iii) Advisor, FSSAI-	
		also be considered provided they are not short of	Member.	
		the requisite qualifying/ eligibility service by	(iv) One representative	
		more than half of such qualifying/eligibility	nominated by MoH&FW -	
		service, or two years, whichever is less, and have	Member	
		successfully completed their probation period for	(iv) One representative	
		promotion to the next higher grade along with	nominated by MoH&FW -	
		their juniors who have already completed such	Member	
		qualifying	(v) One outside expert of	
		(b) For Deputation (ISTC)/ Absorption:	appropriate level to be	
		Officers of the Central Government/State	nominated Chairperson -	
		Governments/ Union Territories/Universities/	Member.	
		Recognized Research Institutions/Public Sector		
		Undertakings/Semi-Government, Statutory or		
		Autonomous Organisations:-		
		(a)(i) Holding analogous post on regular basis in		
		the parent cadre/department; or		
		(ii) With five years regular service in the grade		
		rendered after appointment thereto on a regular		
		basis in Pay Level 12 or equivalent in the parent cadre/department; and		
		i ,		
		(b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for Direct Recruitment		
		under column 7.		
	I	under committe /.		

1	2	3	4	5	6	7	8
Joint Director	*18 ⁴ (2017) 22(New Creation)	General Central Service, Group-A, Non- Ministerial	Pay Level 12 (Rs.78,800- 2,09,200)	Selection	50 Years	(a) (i) Bachelor's Degree from a recognised University/Institution; and (ii) Twelve Years experience in handling administration, finance, human resource development or/ and vigilance matters depending on the post requirement. Desirable: MBA degree or equivalent from a recognised university/Institution OR (b) Full time Degree of Law from a recognised University or institution with Twelve years experience of handling legal matters or working experience as Law Officer in a reputed Government/Autonomous body /Research Institutions /Universities/PSUs/Law firms. OR	NO

 $^{^4}$ 18 posts of Joint Director against the sanctioned posts of 12 Joint Director and 06 posts of Scientist IV(3) in same Pay Level 12 with partial change in name of designation.

(c) Masters' Degree or equivalent from a recognised university or Chemistry/Bio institution in chemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/ Bio-technology/ Nutrition/Toxicology/Nano Technology/Fruit Vegetable & technology/ Food Safety & Quality Life Science/Public Assurance/ Health/Medicine or any other related disciplines with Twelve years experience of working in research and development in Laboratory/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/ safety out of which at least Five years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination; OR (d)(i) Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects with Nine Years experience of working in research and development in Laboratories/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/ safety out of which at least Five years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination; and (ii) Should have published research work in related field. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 3: The educational qualification & experience from the above will be decided as per functional requirement of the post which shall be mentioned in the advertisement on each occasion

9	10	11	12	13
1Year	(i) 60% by Promotion failing which Deputation (including short-term contract) / absorption (ii) 40% by Direct recruitment	(a) For Promotion: Deputy Director in Level 11(Rs.67,700-2,08,700) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service (b) For Deputation (ISTC)/ Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Universities/ Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi—Government, Statutory or Autonomous Organisations::- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Level 11 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for Direct Recruitment under column 7.	Selection Committee shall consist of – (i) Chief Executive Officer, FSSAI- Chairman. (ii) Executive Director, FSSAI- Member (iii) Advisor, FSSAI- Member. (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated Chairperson - Member.	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Deputy	*44 ⁵ (2017)	General	Pay Level 11	Selection	40	(a) Bachelor's Degree from a recognised	No
Director	8 (New	Central	(Rs.67,700-		Years	University/ Institution; and Ten Years	
	Creation)	Service,	2,08,700)			experience in handling administration,	
		Group-A,				finance, human resource development	
		Non-				or/ and vigilance matters depending on	
		Ministerial				the post requirement.	
						Desirable: MBA degree or equivalent	
						from a recognised university/Institution	
						OR	
						(b)Full time Degree of Law from a	
						recognised University or institution with	
						Six years experience of handling legal	
						matters or working experience as Law	
						Officer in a reputed Government/	
						Autonomous body /Research Institutions /Universities/ PSUs/ Law firms.	
						OR	
						(c) Masters' Degree or equivalent from	
						a recognised university or institution in	
						Chemistry/Bio chemistry/ Food	
						, ,	
						Technology/Edible Oil Technology/ Microbiology/Dairy Technology/	
						8	
						Science/ Bio-technology/ Nutrition/	
						Toxicology/ Nano Technology/ Fruit &	
						Vegetable technology/ Food Safety	
						&Quality Assurance/ Life Science/	
						Public Health/ Medicine or any other	
						related disciplines with Ten years	

⁵ 44 posts of Deputy Directors against 30 sanctioned posts of Deputy Director, 03 sanctioned post of Chief Technical Officer, 05 sanctioned posts of Microbiologist and 06 posts of Scientist IV(2) all in same Pay Level 11.

			experience of working in research and development in Laboratory/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/ safety out of which at least Four years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination;
			(d)(i) Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects with Seven Years experience of working in research and development in Laboratories/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/ safety out of which at least Four years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination; and (d)(ii) Should have published research work in related field. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 3: The educational qualification & experience from the above will be decided as per functional requirement of the post which shall be mentioned in the
			advertisement on each occasion

9	10	11	12	13
2 Years	(i)60% by Promotion	(a) For Promotion:	Selection Committee shall	NA
	failing which	Assistant Director/Assistant Director (Technical)/	consist of –	
	Deputation	Food Analyst in Level 10 (Rs.56,100-1,77,500) with	(i) Chief Executive Officer,	
	(including short-term	five years' service in the grade rendered after	FSSAI- Chairman.	
	contract)/ absorption	appointment thereto on a regular basis.	(ii) Executive Director,	
	(ii)40% by Direct	Note 1: The eligibility list for promotion shall be	FSSAI- Member	
	recruitment	prepared with reference to the date of completion by		
		the officers of the prescribed qualifying service in	(iii) Advisor, FSSAI-	
		their respective grade/post.	Member.	
		Note 2: Where juniors who have completed their	(iv)One outside expert of	
		qualifying/eligibility service are being considered	appropriate level to be	
		for promotion, their seniors would also be	nominated by Chairperson	
		considered provided they are not short of the	- Member.	
		requisite qualifying/ eligibility service by more than		
		half of such qualifying/eligibility service, or two		
		years, whichever is less, and have successfully		
		completed their probation period for promotion to		
		the next higher grade along with their juniors who		

.	_	
have already completed such qualifying/eligibility		
service		
(b) For Deputation (ISTC)/ Absorption:		
Officers of the Central Government/State		
Governments/ Union Territories/Universities/		
Recognized Research Institutions/Public Sector		
Undertakings/Semi-Government, Statutory or		
Autonomous Organisations :-		
(a)(i) Holding analogous post on regular basis in the		
parent cadre departments; or		
(ii) With five years regular service in the grade		
rendered after appointment thereto on a regular basis		
in Pay Level 10 or equivalent in the parent		
cadre/department; or		
(iii) With six years regular service in the grade		
rendered after appointment thereto on a regular basis		
in Pay Level 8 or equivalent in the parent		
cadre/department; and		
(b) Possessing the educational qualification and		
experience prescribed for Direct Recruitment under		
column 7.		

1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant		General	Pay Level	Selection	35 Years	(a) Bachelor's Degree from a	No
Director	$*22^{6}(2017)$	Central	10			recognised University/	
		Service,	(Rs.56,100-			Institution; and 6 years'	
		Group-A,	1,77,500)			experience in handling	
		Non-				administration, finance, human	
		Ministerial				resource development or/ and	
						vigilance and accounts matters	
						depending on the post	
						requirement.	
						Desirable: MBA degree from a	
						recognised university/Institution	
						OR	
						(b) Degree of Law from a	
						recognised University or	
						institution with three years	
						experience of handling legal	
						matters or working experience	
						as Law Officer in a reputed	
						Government/ Autonomous body	
						/Research Institutions	
						/Universities/ PSUs/Law firms.	
						Note 1: Qualifications are	
						relaxable at the discretion of the	
						Competent Authority in the case	
						of candidates otherwise well	
						qualified.	
						Note 2: The qualification(s)	
						regarding experience is relaxable	
						at the discretion of the	
						Competent Authority in the case	
						of candidates belonging to	
						Scheduled Castes or Scheduled	
						Tribes if at any stage of	
						selection, the Competent	
						Authority is of the opinion that	
						sufficient number of candidates	
						from these communities	
						possessing the requisite	
						experience are not likely to be	
						available to fill up the vacancy	
						reserved for them.	
	l	l .	l .	l .	l .	10001 (00 101 tiloilli	

⁶ 22 posts of Assistant Director against 22 sanctioned posts of Assistant Director in Pay Level 10.

	Note 3: The educational qualification & experience from the above will be decided as per functional requirement of the post which shall be mentioned in	
	the advertisement on each	
	occasion	

0	10	11	12	12
9 2 Vaora	(i) 50% by Promotion	(a) For Promotion	12	13
2 Years	(i) 50% by Promotion	(a) For Promotion:	Selection Committee shall consist	NA
	failing which	Administrative Officer in Level	of –	
	Deputation (including	8(Rs.47,600-1,51,100) with two	(i) Chief Executive Officer, FSSAI-	
	short-term contract)/	years' service in the grade rendered	Chairman.	
	absorption	after appointment thereto on a regular	(ii) Executive Director, FSSAI-	
	(ii) 50% by Direct	basis.	Member	
	recruitment	Note 1: Where juniors who have		
		completed their qualifying/eligibility	(iii) Advisor, FSSAI- Member.	
		service are being considered for	(iv) One outside expert of	
		promotion, their seniors would also	appropriate level to be nominated	
		be considered provided they are not	Chairperson - Member.	
		short of the requisite qualifying/		
		eligibility service by more than half		
		of such qualifying/eligibility service,		
		or two years, whichever is less, and		
		have successfully completed their		
		probation period for promotion to the		
		next higher grade along with their		
		juniors who have already completed		
		such qualifying/eligibility service		
		(b) For Deputation (ISTC)/		
		Absorption:		
		Officers of the Central		
		Government/State Governments/		
		Union Territories/Universities/		
		Recognized Research Institutions/		
		Public Sector Undertakings/Semi-		
		Government, Statutory or		
		Autonomous Organisations :-		
		(a)(i) Holding analogous post on		
		regular basis in the parent		
		cadre/department; or		
		(ii) with two years regular service in		
		the grade rendered after appointment		
		thereto on a regular in pay Level 8 or		
		equivalent in the parent		
		cadre/department; or		
		(iii) With three years regular service		
		in the grade rendered after		
		appointment thereto on a regular in		
		Pay Level 7 or equivalent in the		
		parent cadre/ department; or		
		(iv) With eight years regular service		
		in the grade rendered after		
		appointment thereto on a regular in		
		the Pay Level 6 or equivalent in the		
		parent cadre/department and		
		(b) Possessing the educational		
		qualification and experience		
		prescribed for Direct Recruitment		
		under column 7.		
L	ı		1	

1	2	3	4	5	6	7	8
1 Administrative Officer	2 *11 ⁷ (2017) 18 (New Creation)	General Central Service, Group-B, Non- Ministerial	4 Pay Level 08 (Rs.47,600- 1,51,100)	5 Selection	6 30 Years	Bachelor's Degree from a recognised University/ Institution; and 3 years' experience in handling administration, finance, human resource development or/ and vigilance and accounts matters depending on the post requirement. Desirable: MBA degree from a recognised university/Institution in personnel/human resource management or Finance Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note2:The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 3: The educational qualification & experience from the above will be	8 No
						decided as per functional requirement of the post which shall be mentioned	
						in the advertisement on each occasion	

9	10	11	12	13
2 Years	(i) 90% by Promotion	(a) For Promotion:	Selection Committee shall consists	NA
	failing which Deputation	Assistant in Level 6(Rs.35,400-1,12,400) with	of:-	
	(including short-term	six years' service in the grade rendered after	(i) Executive Director, FSSAI-	
	contract) / absorption	appointment thereto on a regular basis.	Chairman.	
	(ii) 10% by Direct	Note 1: Where juniors who have completed	(ii) Advisor, FSSAI- Member	
	recruitment	their qualifying/eligibility service are being	(iii)Director, FSSAI - Member	
		considered for promotion, their seniors would	(iv)One outside expert of	
		also be considered provided they are not short	appropriate level to be	
		of the requisite qualifying/ eligibility service	nominated Chief Executive	
		by more than half of such qualifying/eligibility	Officer - Member.	

⁷ 11 posts of Administrative Officer against the 04 sanctioned post of Senior Finance & Accounts Officer/ Senior Accounts Officer (Laboratories) in Pay level 9 and 07 sanctioned posts of Finance& Accounts Officer/Admn & Accounts Officer (Zones) in pay Level 8.

service, or two years, whichever is less, and	
have successfully completed their probation	ł
period for promotion to the next higher grade	ł
along with their juniors who have already	ł
completed such qualifying/eligibility service	ł
	ł
(b) For Deputation (ISTC)/ Absorption:	ł
Officers of the Central Government/State	ł
Governments/ Union Territories / Universities	ł
/ Recognized Research Institutions/Public	l
Sector Undertakings/ Semi-Government,	ł
Statutory or Autonomous Organisations :-	ł
(a)(i) Holding analogous post on regular basis	ł
in the parent cadre/department; or	ł
(ii) with two years regular service in the grade	ł
rendered after appointment thereto on a	ł
regular basis in the pay level 7 or equivalent in	ł
the parent cadre/department; or	ł
(iii) with Six years regular service in the grade	ł
rendered after appointment thereto on a	ł
regular basis in the Pay Level 6 or equivalent	1
in the parent cadre/department and	1
(b) Possessing the educational qualification	1
and experience prescribed for Direct	1
Recruitment under column 7.	l
	1

1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant	*39 ⁸ (2017)	General Central	Pay Level 06	Selection	30	Bachelor's Degree from a	No
	62(New	Service, Group-	(Rs.35,400-		Years	recognised University/	
	Creation)	В	1,12,400)			Institution	
						Note 1: Qualifications are	
		Non-Ministerial				relaxable at the discretion	
						of the Competent	
						Authority in the case of	
						candidates otherwise well	
						qualified.	
						Note 2: The	
						qualification(s) regarding	
						experience is relaxable at	
						the discretion of the	
						Competent Authority in	
						the case of candidates	
						belonging to Scheduled	
						Castes or Scheduled	
						Tribes if at any stage of	
						selection, the Competent	
						Authority is of the opinion	
						that sufficient number of	
						candidates from these	
						communities possessing	
						the requisite experience	
						are not likely to be	
						available to fill up the	
						vacancy reserved for	
						them.	

⁸ 39 posts of Assistants against the 12 sanctioned post of Assistant in pay level 6, 01 sanctioned post of Librarian, 03 against sanctioned posts of Account Assistant in Pay Level 6 and 23 posts against sanctioned post of Laboratory Assistant in Pay level 3.

9	10	11	12	13
2 Years	(i) 10% by Promotion failing which Deputation (including short-term contract) / absorption (ii) 90% by Direct recruitment	(a) For Promotion: Junior Assistant (Grade-I) in Level 4(Rs.25,500-81,100) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service (b) For Deputation (ISTC)/Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi—Government, Statutory or Autonomous Organisations: (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre; or (ii) with Ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 4 or equivalent in the parent cadre/department and (iii) Possessing three years' experience in administration, human resource development, or / and vigilance matters depending on the post requirement. (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for Direct Recruitment under column 7.	Selection Committee shall consists of:- (i) Executive Director, FSSAI- Chairman. (ii) Advisor, FSSAI- Member (iii) Director, FSSAI - Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer - Member.	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Junior Assistant (Grade-I)	*12 ⁹ (2017)	General Central Service, Group-C Non- Ministerial	Pay Level 04 (Rs.25,500- 81,100)	Selection	25 Years	Bachelor's Degree from a recognised University /Institution Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes	No

⁹ 12 posts of Junior Assistant in Pay Level 4 against 12 sanctioned posts of Senior Laboratory Assistant in pay level 5.

	if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that
	sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience
	are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

9	10	11	12	13
2 Years	(i) 10% by Promotion failing which Deputation (including short-term contract) / absorption (ii) 90% by Direct recruitment	For Promotion: Junior Assistant Grade-II in Level 2 (Rs.19900-63200) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service	Selection Committee shall consists of: (i)Director, FSSAI- Chairman. (ii)Joint Director FSSAI - Member (iii) Deputy Director- Member (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated Chief Executive Officer - Member.	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Junior	*13	General	Pay Level	Non-	NA	Bachelor's Degree from a	No
Assistant	(2017)	Central	02	Selection		recognised University /Institution	
(Grade-II)	13 (New	Service, Group-	(Rs.19900-			Note 1: Qualifications are relaxable	
	Creation)	C	63200)			at the discretion of the Competent	
						Authority in the case of candidates	
		Non-				otherwise well qualified.	
		Ministerial				Note 2: The qualification(s)	
						regarding experience is relaxable at	
						the discretion of the Competent	
						Authority in the case of candidates	
						belonging to Scheduled Castes or	
						Scheduled Tribes if at any stage of	
						selection, the Competent Authority	
						is of the opinion that sufficient	
						number of candidates from these	
						communities possessing the	
						requisite experience are not likely to	
						be available to fill up the vacancy	
						reserved for them.	

9	10	11	12	13
2 Years	(i) 100% Promotion	For Promotion:	Selection Committee shall	NA
	failing which	MTS in Level 1 (Rs.18,000-56,900) with	consists of:	
	Deputation (including	three years' service in the grade rendered	(i)Director, FSSAI-	
	short-term contract) /	after appointment thereto on a regular basis.	Chairman.	
	absorption	Note 1: Where juniors who have completed		
		their qualifying/eligibility service are being	(ii)Joint Director FSSAI -	
		considered for promotion, their seniors	Member	
		would also be considered provided they are		
		not short of the requisite qualifying/	(iii) Deputy Director-	
		eligibility service by more than half of such	Member	
		qualifying/eligibility service, or two years,	(iv)One outside expert of	
		whichever is less, and have successfully	appropriate level to be	

	completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service		
--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant Director (OL)	1 (New Creation)	General Central Service, Group-A Non- Ministerial	Pay Level 10 (Rs.56,100- 1,77,500)	Selection	NA	NA	NO

9	10	11	12	13
2 Years	100% by promotion	(a) For Promotion:	Selection Committee shall	NA
	failing which	Hindi Translator in Level 6(Rs.35,400-1,12,400)	consist of –	
	deputation	with eight years' service in the grade rendered	(i) Chief Executive Officer,	
	(including short-	after appointment thereto on a regular basis.	FSSAI- Chairman.	
	term contract) /	Note 1: Where juniors who have completed their	(ii) Executive Director,	
	absorption	qualifying/eligibility service are being considered	FSSAI - Member	
		for promotion, their seniors would also be		
		considered provided they are not short of the	(iii) Advisor, FSSAI-	
		requisite qualifying/ eligibility service by more	Member.	
		than half of such qualifying/eligibility service, or	(iv)One outside expert of	
		two years, whichever is less, and have successfully	appropriate level to be	
		completed their probation period for promotion to	nominated Chairperson	
		the next higher grade along with their juniors who	- Member.	
		have already completed such qualifying/eligibility		
		service		
		(b) For Deputation (ISTC)/ Absorption:		
		Officers of the Central Government/State		
		Governments/ Union Territories/Universities/		
		Recognized Research Institutions/Public Sector		
		Undertakings/Semi–Government, Statutory or		
		Autonomous Organisations:		
		(a)(i) Holding analogous post on regular basis in		
		the parent cadre/department; or (i) with 2 years regular service in the grade		
		rendered after appointment thereto on a regular		
		basis in the pay Level 8 or equivalent in the parent		
		cadre/department; or		
		(i) With three years regular service in the grade		
		rendered after appointment thereto on a regular		
		basis in the Pay Level 7 or equivalent in the		
		parent cadre/department; or		
		(i) With eight years regular service in the grade		
		rendered after appointment thereto on a regular		
		basis in the Pay Level 6 or equivalent in the		
		parent cadre/department and		
		(b) Possessing the following educational		
		qualification and experience :-		
		Masters degree of a recognized University in		
		Hindi with English as a compulsory or elective		
		subject or as the medium of examination at the		
		degree level;		
		OR		
		Master's degree of a recognized University in		
		English with Hindi as a compulsory or elective		
		subject or as the medium of examination at the		
		degree level;		
		OR		
		Master's degree of a recognized University in any		
		subject other than Hindi or English, with Hindi		
		medium and English as a compulsory or elective		
		subject or as the medium of examination at the		
		degree level;		

OR		
medium and Hindi as a compulsory or elective		
subject or as the medium of examination at the		
degree level;		
OR		
Master's Degree of a recognized University in any		
subject other than Hindi or English, with Hindi		
and English as compulsory or elective subjects or		
either of the two as a medium of examination and		
the other as a compulsory or elective subject at		
degree level; and		
(ii) Three years's experience of using/applying		
terminology (terminological work) in Hindi and		
translation work from English to Hindi or vice-		
versa, preferably of technical or scientific		
literature under Central/State Government/		
Autonomous Body/Statutory Organization/		
PSU/Universities or educational institutaions		
OR		
Three years experience of teaching in Hindi and		
English or research in Hindi or English under		
Central/State Governments/ Autonomous Body/		
Statutory Organization/ PSUs/ Universities or		
recognized research or educational institutions		
	Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and (ii) Three years's experience of using/applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or viceversa, preferably of technical or scientific literature under Central/State Government/ Autonomous Body/Statutory Organization/ PSU/Universities or educational institutaions OR Three years experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central/State Governments/ Autonomous Body/ Statutory Organization/ PSUs/ Universities or	Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and (ii) Three years's experience of using/applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or viceversa, preferably of technical or scientific literature under Central/State Government/ Autonomous Body/Statutory Organization/ PSU/Universities or educational institutaions OR Three years experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central/State Governments/ Autonomous Body/ Statutory Organization/ PSUs/ Universities or

1	2	3	4	5	6	7	8
Hindi	5 (New	Group-'B'	Pay Level	Not	30 Years	Masters degree of a recognized	
Translator	creation)	Non-	06	Applicable		University in Hindi with	
		Ministerial	(Rs.35,400-			English as a compulsory or	
			1,12,400)			elective subject or as the	
			1,12,100)			medium of examination at the	
						degree level;	
						OR	
						Master's degree of a	
						recognized University in	
						English with Hindi as a	
						compulsory or elective subject	
						or as the medium of	
						examination at the degree level;	
						OR	
						Master's degree of a	
						recognized University in any	
						subject other than Hindi or	
						English, with Hindi medium	
						and English as a compulsory or	
						elective subject or as the	
						medium of examination at the	
						degree level;	
						OR	
						Master's degree of a	
						recognized University in any	
						subject other than Hindi or	
						English, with English medium	
						and Hindi as a compulsory or	
						elective subject or as the	
						medium of examination at the	
						degree level;	
						OR	
						Master's Degree of a	
						recognized University in any	
						subject other than Hindi or	
						English, with Hindi and	
						English as compulsory or	
						elective subjects or either of the	
	l					two as a medium of	

			examination and the compulsory or electivat degree level; AND Recognized Diplot Certificate course in from Hindi to English versa or two years' of translation work fit to English and vice Central or State Gooffice, including Goof India Undertaking. Note 1: Qualificate relaxable at the distinct the Competent Author case of candidates well qualified. Note 2: The qualificate relaxable at the distinct the Competent Author case of candidates well qualified. Note 2: The qualified regarding experience relaxable at the distinct the Competent Author case of candidates be Scheduled Castes or	oma or translation sh & vice experience rom Hindi versa in overnment overnment tions are cretion of rity in the otherwise fication(s) ence is cretion of rity in the longing to Scheduled
			regarding experie relaxable at the disc	nce is cretion of
			case of candidates be	longing to
			Tribes if at any selection, the	stage of Competent
			Authority is of the op sufficient number of of from these con	
			possessing the experience are not lii available to fill up th	
			reserved for them.	c vacancy
9 2 Years	10 100% by direct	NA	12 Selection Committee shall consist of:	13 NA
	recruitment		(i) Executive Director, FSSAI- Chairman. (ii) Director, FSSAI - Member	

9	10	11	12	13
2 Years	100% by direct	NA	Selection Committee shall consist of:	NA
	recruitment		(i) Executive Director, FSSAI- Chairman.	
			(ii) Director, FSSAI - Member	
			(iii) Joint Director, FSSAI- Member	
			(iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by	
			Chief Executive Officer - Member	

1	2	3	4	5	6	7	8
Senior Private	*3 ¹⁰ (2017)	General	Pay Level	Selection	NA	NA	NO
Secretary	6(New	Central	08				
	Creation)	Service,	(Rs.47,600-				
		Group-B	1,51,100)				
		Non-					
		Ministerial					

9	10	11	12	13
NA	100% by promotion	(a) For Promotion:	Selection Committee shall	NA
	failing which	Personal Secretary in Level 7(Rs.44,900-	consists of:-	
	deputation (including	1,42,400) with two years' service in the grade	(i) Executive Director, FSSAI-	
	short-term contract) /	rendered after appointment thereto on a regular	Chairman.	
	absorption	basis.	(ii) Advisor, FSSAI- Member	
		Note 1: The eligibility list for promotion shall be	(iii) Director, FSSAI- Member	
		prepared with reference to the date of completion	(iv) One outside expert of	
		by the officers of the prescribed qualifying	appropriate level to be	
		service in their respective grade/post.	nominated by Chief	
		Note 2: Where juniors who have completed their	Executive Officer - Member	

¹⁰ 03 posts of Senior Private Secretary against 03 sanctioned post of Senior Private Secretary in Pay Level 8.

1	
qualifying/eligibility service are being considered	l
for promotion, their seniors would also be	l
considered provided they are not short of the	l
requisite qualifying/ eligibility service by more	l
	l
than half of such qualifying/eligibility service, or	l
two years, whichever is less, and have	l
successfully completed their probation period for	l
promotion to the next higher grade along with	l
their juniors who have already completed such	l
qualifying/eligibility service	l
1 1 2 2 3	l
(b) For Deputation (ISTC)/ Absorption:	l
Officers of the Central Government/State	l
Governments/ Union	l
Territories/Universities/Recognized Research	l
Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-	l
6	l
Government, Statutory or Autonomous	l
Organisations :-	l
(i) Holding analogous post on regular basis in the	l
parent cadre/department; or	I
(i) with two years regular service in the grade	l
rendered after appointment thereto on a regular	I
basis in Pay Level 6 or equivalent in the parent	I
1 1	l
cadre/department.	I

1	2	3	4	5	6	7	8
Personal	17 (New	Group-B	Pay Level 07 (Rs.44,900-	Selection	NA	NA	NO
Secretary	Creation)		1,42,400)				
		Ministerial					

9	10	11	12	13
NA	100% by promotion failing which deputation (including short-term contract) / absorption	(c) For Promotion: Personal Assistant in Level 6(Rs. 35,400-1,12,400) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective grade/post. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service (d) For Deputation Officers of the Central Government/State Governments/ Governments/ Covernment, Statutory or Autonomous Organisations: (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 6 or equivalent in the parent cadre/department.	Selection Committee shall consists of:- (i) Executive Director, FSSAI- Chairman. (ii) Advisor, FSSAI - Member (iii) Director, FSSAI - Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer - Member	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Personal Assistant	*33 ¹¹ (2017) 19 (New Creation)	General Central Service,Group- B Non- Ministerial	Pay Level 06 (Rs.35,400- 1,12,400)	Not Applicable	30 Years	(i) Bachelor's Degree from a recognised University/ institution with proficiency in shorthand (80 WPM) and typing (40 WPM - English) and/ or (35 WPM- Hindi)	NA
						(ii) Should be computer literate and proficient in using MS Office and internet etc.	
						Desirable:	
						Diploma or certificate in office management and secretarial procedure or equivalent from a recognised or reputed institution.	
						Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.	
						Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is	
						of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	

9	10	11	12	13
2 Years	recruitment		Selection Committee shall consist of:-	NA
			(i) Executive Director, FSSAI- Chairman.	
			(ii) Advisor, FSSAI- Member	
			(iii)Director, FSSAI- Member	
			(iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer - Member	

¹¹ 33 posts of Personal Assistant against 15 sanctioned post of Personal Assistant in Pay Level 6 and 18 sanctioned post of Private Secretary in Pay Level 6.

1	2	3	4	5	6	7	8
Staff Car	*7 ¹² (2017)	General	Pay Level	Not Applicable	25	(i) Possession of a valid driving	NA
Driver	2 (New	Central	02		Years	license for motor cars;	
(Ordinary	Creation)	Service,	(Rs.19,900-			(ii) Knowledge of motor	
Grade)		Group-C	63,200)			mechanism (The candidate	
		_				should be able to remove	
		Non-				minor defects in vehicle)	
		Ministerial				(iii)Experience of driving a motor	
						car for atleast 3 years; and	
						(iv) Pass in 10 th Standard	
						Note 1: Qualifications are	
						relaxable at the discretion of the	
						Competent Authority in the case	
						of candidates otherwise well	
						qualified.	
						Note 2: The qualification(s)	
						regarding experience is relaxable	
						at the discretion of the	
						Competent Authority in the case	
						of candidates belonging to	
						Scheduled Castes or Scheduled	
						Tribes if at any stage of	
						selection, the Competent	
						Authority is of the opinion that	
						sufficient number of candidates	
						from these communities	
						possessing the requisite	
						experience are not likely to be	
						available to fill up the vacancy	
						reserved for them.	

Deputation/ Absorption failing which by Direct Recruitment. For armed forces Personnel: Deputation/ Reemployment. Deputation/ Absorption: From amongst the regular Staff Car Driver in Pay Level -1 in any Government Organization and who fulfill the necessary qualification as mentioned in column 7 (ii) Director, FSSAI- Chairman. Selection Committee consists of:- (i) Director, FSSAI- Chairman. Member (iii) Deputy Director- Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer - Member	JA.

1	2	3	4	5	6	7	8
Multi Tasking	*50 ¹³ (2017)	General	Pay Level	Not Applicable	25	Matriculation or equivalent	
Staff (MTS)	5 (New	Central	01		Years	from recognised board	
	Creation)	Service,	(Rs.18,000-			Note 1: Qualifications are	
		Group-C	56,900)			relaxable at the discretion of	
		_				the Competent Authority in	
		Non-				the case of candidates	
		Ministerial				otherwise well qualified.	

¹² 07 posts of Staff Car Driver (Ordinary Grade) 01 sanctioned post of Driver in Pay Level 02 and 06 sanctioned post of LDC/Store Keeper/Hindi Typist/Store Clerk in Pay Level 2.

¹³ 50 posts of Multi Tasking Staff (MTS) against 26 sanctioned posts of Peons in pay Level 1 and against 24 sanctioned posts of Laboratory Attendant/Peon/Durwan/Watchman/Sweeper in Pay Level 1.

			Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	
--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
2 Years	100% by direct	NA	Selection Committee consists of: -	NA
	recruitment		(i) Director, FSSAI- Chairman.	
			(ii) Joint Director FSSAI - Member	
			(iii)Deputy Director, FSSAI- Member	
			(iv)One outside expert of appropriate level to be	
			nominated by Chief Executive Officer – Member	

1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant	*31 ¹⁴ (2017)	General	Pay Level	Selection	35	Masters' Degree or equivalent from a	NO
Director	37(New	Central	10		Years	recognised university or institution in	
(Technical)	Creation)	Service,	(Rs.56,100-			field of Chemistry/Bio	
		Group-A	1,77,500)			chemistry/Food Technology/ Edible	
		Non-				Oil Technology/ Microbiology/ Dairy	
		Ministerial				Technology/ Agriculture Sciences/	
						Veterinary Science/ Bio-technology/	
						Nutrition/Toxicology/Nano	
						Technology/Fruit & Vegetable	
						technology/ Food Safety & Quality	
						Assurance/ Life	
						Science/Medicine/Public Health or	
						any other related disciplines.	
						Desirable qualification:-	
						Doctorate Degree in any of the	
						aforesaid subjects	
						Note 1: Qualifications are relaxable at	
						the discretion of the Competent	
						Authority in the case of candidates	
						otherwise well qualified.	
						Note 2: The qualification(s) regarding	
						experience is relaxable at the	
						discretion of the Competent Authority	
						in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes	
						if at any stage of selection, the	
						Competent Authority is of the opinion	
						that sufficient number of candidates	
						from these communities possessing	
						the requisite experience are not likely	
						to be available to fill up the vacancy	
						reserved for them.	

^{14 31} posts of Assistant Director (Technical) against 07 sanctioned posts of Assistant Director in pay Level 10, against 12 sanctioned post of Senior Analyst in Pay Level 10 and against 12 sanctioned posts of Scientist Group IV (1) in Pay Level 10 with change in name of designation.

9	10	11	12	13
2 Years	(i) 60% by Promotion	For Promotion:	Selection Committee shall	NA
	failing which Deputation	80% from Technical Officer in Level	consist of –	
	(including short-term	7(Rs.44,900-1,42,400) with three years' service	(i) Chief Executive Officer,	
	contract)/ absorption	in the grade rendered after appointment thereto	FSSAI- Chairman.	
	r	on a regular basis and	(ii) Executive Director,	
	(ii) 40% by Direct	20% from CFSO in Level 7 (Rs.44,900-	FSSAI- Member	
	recruitment	1,42,400) with three years' service in the grade	(iii) Advisor, FSSAI- Member.	
		rendered after appointment thereto on a regular	(iv)One expert of appropriate	
		basis.	level to be nominated	
		Note 1: The eligibility list for promotion shall be	Chairperson - Member.	
		prepared with reference to the date of completion		
		by the officers of the prescribed qualifying		
		service in their respective grade/post.		
		Note 2: Where juniors who have completed their		
		qualifying/eligibility service are being		
		considered for promotion, their seniors would		
		also be considered provided they are not short of		
		the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility		
		service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for		
		promotion to the next higher grade along with		
		their juniors who have already completed such		
		qualifying/eligibility service		
		For Deputation (ISTC)/ Absorption:		
		Officers of the Central Government/State		
		Governments/ Union		
		Territories/Universities/Recognized Research		
		Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-		
		Government, Statutory or Autonomous		
		Organisations:		
		(a)(i) Holding analogous post on regular basis in		
		the parent cadre/department; or		
		(ii) with two years regular service in the grade		
		rendered after appointment thereto on a regular		
		basis in the Pay Level 8 or equivalent in the		
		parent cadre/department; or		
		(ii) With three years regular service in the grade		
		rendered after appointment thereto on a regular		
		basis in the Pay Level 7 or equivalent in the parent cadre/department; or		
		(iii) With eight years regular service in the grade		
		rendered after appointment thereto on a regular		
		basis in the Pay Level 6 or equivalent in the		
		parent cadre/department and		
		(b) Possessing the educational qualification and		
1		experience prescribed for Direct Recruitment		
		under column 7.		
	l	under commit /.		l

1	2	3	4	5	6	7	8
Food Analyst	10 (New	General	Pay Level 10	Not	35	(i) Master's degree in Chemistry	No
	Creation)	Central	(Rs.56,100-	Applicable	Years	or Biochemistry or microbiology	
		Service,	1,77,500)			or Dairy Chemistry or Food	
		Group-A				Technology, Food and Nutrition	
		Non-				or Bachelor of Technology in	
		Ministerial				Dairy/Oil or degree in Veterinary	
						Sciences from a university	
						established in India by law or is	
						an associate of the Institution of	
						Chemists (India) by examination	
						in the section of Food Analysts	
						conducted by the Institution of	
						Chemists (India) or any other	
						equivalent qualification	
						recognized and notified by the	

Central government for such	
purposes and has not less than	
three years experience in the	
analysis of food; and	
(ii) Has been declared qualified	
for appointment as a Food	
Analyst by a board appointed and	
notified by the Authority	
Note 1: Qualifications are	
relaxable at the discretion of the	
Competent Authority in the case	
of candidates otherwise well	
qualified.	
Note 2: The qualification(s)	
regarding experience is relaxable	
at the discretion of the	
Competent Authority in the case	
of candidates belonging to	
Scheduled Castes or Scheduled	
Tribes if at any stage of	
selection, the Competent	
Authority is of the opinion that	
sufficient number of candidates	
from these communities	
possessing the requisite	
experience are not likely to be	
available to fill up the vacancy	
reserved for them.	
reserved for them.	

9	10	11	12	13
2 Years	100% by direct	NA	Selection Committee consists of :-	NA
	recruitment		(i) Chief Executive Officer, FSSAI- Chairman.	
			(ii) Advisor, FSSAI- Member	
			(iii) Executive Director, FSSAI- Member.	
			(iv) One outside expert of appropriate level to be nominated	
			by Chairperson – Member	

1	2	3	4	5	6	7	8
Technical Officer	*62 ¹⁵ (2017)	General	Pay Level	Not Applicable	30	Masters' Degree from a	No
	219(New	Central	07		Years	recognised university or	
	Creation)	Service,	(Rs.44,900-			institution in Chemistry/Bio	
		Group-B	1,42,400)			chemistry/Food Technology/	
						Edible Oil Technology/	
		Non-	The			Microbiology/ Dairy	
		Ministerial	Technical			Technology/ Agriculture	
			Officer on			Engineering/ Veterinary	
			completion			Science/ Bio-teochnlogy/	
			of 3 rd Year			Nutrition/Toxicology/ Public	
			and 6 th			Health/ Fruit & Vegetable	
			Year may			technology/ Food Safety &	
			be granted			Quality Assurance/ Life	
			non-			Science/Medicine or any other	
			functional			related disciplines	
			upgradation			<u>OR</u>	
			in pay			BE/B.Tech in Food	
			Level 8 and			Technology or Dairy	
			9			Technology or Biotechnology	
			respectively			or Oil Technology or	
			subject to			Agricultural Science or	
			their			Veterinary Sciences or Bio-	
			vigilance			Chemistry or Microbiology	
			clearance.			Note 1: Qualifications are	

¹⁵ 62 posts of Technical Officers against 20 sanctioned posts of Technical Officer and against 42 sanctioned posts of Technical Officer/ Lecturer, Junior Analyst, Junior Analyst (Microbiologist) with change in name of designation.

	1	
		relaxable at the discretion of
		the Competent Authority in
		the case of candidates
		otherwise well qualified.
		Note 2: The qualification(s)
		regarding experience is
		relaxable at the discretion of
		the Competent Authority in
		the case of candidates
		belonging to Scheduled Castes
		or Scheduled Tribes if at any
		stage of selection, the
		Competent Authority is of the
		opinion that sufficient number
		of candidates from these
		communities possessing the
		requisite experience are not
		likely to be available to fill up
		the vacancy reserved for them.
		the vacancy reserved for them.

9	10	11	12	13
	100% by direct	NA	Selection Committee shall consists of:	NA
	recruitment		(i) Executive Director, FSSAI – Chairman	
			(ii) Advisor, FSSAI- Member	
			(iii)Director, FSSAI- Member	
			(iv)One outside expert of appropriate level to be nominated	
			by Chief Executive Officer - Member	

1	2	3	4	5	6	7	8
Central Food Safety Officer	74 (New Creation)	General Central Service, Group-B Non- Ministerial	Pay Level 07 (Rs.44,900- 1,42,400) The Central Food Safety Officer on completion of 3 rd Year and 6 th Year of may be granted non- functional pay Level 8 and 9 respectively subject to their vigilance clearance.	Not Applicable	30 Years	(i) Degree in Food Technology or Dairy Technology or Oil Technology or Oil Technology or Agricultural Science or Veterinary Sciences or Bio-Chemistry or Microbiology or Masters Degree in Chemistry or degree in medicine from a recognized University, or (ii)any other equivalent/recognized qualification notified by the Central Government. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	No No

9	10	11	12	13
2 Years	100% by	NA	Selection Committee shall consists of:	NA
(During the period of probation	direct		(i) Executive Director, FSSAI – Chairman	
Direct Recruits shall have to	recruitment		(ii) Advisor, FSSAI- Member	
successfully complete training as			(iii)Director, FSSAI- Member	
specified by the Food Authority			(iv)One outside expert of appropriate level to be nominated	
in a recognized institute or			by Chief Executive Officer - Member	
Institution approved for the				
purpose for confirmation)				

				nology & Special			
	umber f Post	Classification of Post	Level in Pay Matrix	Whether Selection Post or Non Selection Post	Age Limit for Direct Recruits	Educational and other Qualifications required for Direct Recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in case of promotees
1	2	3	4	5	6	7	8
	(New reation)	General Central Service, Group-A, Non- Ministerial	Pay Level 12 (Rs.78,800- 2,09,200) or Consolidated remuneration in the range of Rs.110000- Rs.275000 depending upon years of experience	Selection	50 Years	(i) B. Tech/ M. Tech in Computer Science or any other Engineering Discipline/ MCA/Bachelors Degree in Relevant field. (ii) 10 to 29 years of total experience (iii) minimum 5 years' experience in relevant field. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 3: The aforesaid educational qualification &	NA

						basic crite requ func any, ment adve		
Period of Probation if any?	whether be Recruitmed Promotion Deputation percentage	ent or by n or by on/ transfer and e of the to be filled by	deputat promotio	e of recruitment by ion/ transfer, grade on/deputation/trans	s from which		a departmental Promotion ommittee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
1 Year	(including	which deputates short to absorption. by different to the different short to the different	manager 208700) grade rener a regular Note 1: V their qual considere would als not shor eligibility qualifying whicheve completed promotion with the completed service For Deput Officers Government Territorie Research Undertaki Statutory (a)(i) Ho basis in the properties of the promotion with the completed service for Deput Officers Government Territorie Research Undertaki Statutory (a)(i) Ho basis in the properties of the	(IT) in Level with five years' dered after appoint pasis. There juniors who ifying/eligibility set of the requision service by more the desired after appoint of the requision of the less, and had their probation to the next high in juniors who had such qualification (ISTC)/ Absoff the Central Gents/ Softmieresties/Rec Institutions/Pungs/Semi—Govern or Autonomous Or defined analogous proportion of the parent cadre/defive years regular dered after appoint basis in the Pa	service in the ment thereto on have completed rvice are being their seniors ovided they are the qualifying/han half of such, or two years, we successfully in period for er grade along have already fying/eligibility orption: wernment/State Union organized blic Sector ment, ganisations:-oost on regular artment; or service in the ment thereto on well all qualification d for Direct	Cc sha (i) (iii Di Mo (iiv ex app to by Mo	lection mmittee for all consists of: Chief Executive Officer, FSSAI- Chairman. D) Executive rector, FSSAI- ember D) CTO, FSSAI- ember. D) One outside pert of propriate level be nominated Chairperson - ember	NA
1	2	3	4	5	6		7	8
Manager	4(New	General	Pay Level 11	Selection	40 Year	·c	NA	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Manager	4(New	General	Pay Level 11	Selection	40 Years	NA	NA
(IT)	Creation)	Central	(Rs.67,700-				
		Service,	2,08,700)				
		Group-A,	or				
		Non-	Consolidated				
		Ministerial	remuneration in				
			the range of				
			Rs.95000-				
			Rs.270000				
			depending upon				
			years of				
			experience				

9	10	11	12	13
2 Years	By 100% promotion failing which deputation(including short term contract) / absorption / Direct Recruitment on contract basis	For Promotion: Deputy Manager (IT) in Level 10(Rs. 56,100-1,77,500) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service For Deputation (ISTC)/ Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations: (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department; or (i) With three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 7 or equivalent; and (b) Possessing the following educational qualification and experience: (i) B. Tech/ M. Tech in Computer Science or any other Engineering Discipline/ MCA/Bachelors Degree in Revelant field (ii) 7 Years of total experience (iii) minimum 5 years' experience in relevant field. Note:- The aforesaid educational qualification & experience is the basic eligibility criteria. Additional requirements on functional basis, if any, shall be mentioned in the advertisement on each occasion.	Selection Committee for shall consists of: (i) Chief Executive Officer, FSSAI- Chairman. (ii) Executive Director, FSSAI- Member (iii)CTO, FSSAI- Member. (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson - Member	NA NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Deputy Manager (IT)	9(New Creation)	General Central Service, Group-A, Non- Ministerial	Pay Level 10 (Rs.56,100- 1,77,500) or Consolidated remuneration in the range of Rs.80000- Rs.234000 depending upon years of experience	Selection	35 Years	NA	NA

9	10	11	12	13
9 2 Years	By 100% promotion failing which deputation (including short term contract) / absorption / Direct Recruitment on contract basis	For Promotion: Assistant Manager (IT) in Level 7(Rs. 44,900-1,42,400) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service For Deputation (ISTC)/ Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Territories/Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi—Government, Statutory or Autonomous Organisations:- (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department; or (i) With three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 7 or equivalent; and (b) Possessing the following educational qualification and experience:-	Selection Committee for shall consists of: (ii) Chief Executive Officer, FSSAI-Chairman. (ii) Executive Director, FSSAI-Member (iii)CTO, FSSAI-Member. (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson - Member	NA NA
		in the parent cadre/ department; or (i) With three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 7 or equivalent; and (b) Possessing the following educational qualification and experience:- (i) B. Tech/ M. Tech in Computer Science		
		or any other Engineering Discipline/ MCA/Bachelors Degree in Revelant field (ii) 7 Years of total experience (iii) minimum 5 years' experience in relevant field. Note:- The aforesaid educational qualification & experience is the basic eligibility criteria. Additional requirements on functional basis, if any, shall be mentioned in the advertisement on each occasion.		

1	2	3	4	5	6	7		8
Assistant	25(New	General	Pay Level 07	Selection	30 Years	(i) B. Tech/ M.	NA	
Manager	Creation)	Central	(Rs.44,900-			Tech in Computer		
(IT)		Service,	1,42,400)			Science or any		
		Group-B	or			other Engineering		
			Consolidated			Discipline/		
		Non-	remuneration in			MCA/Bachelors		
		Ministerial	the range of			Degree in Relevant		
			Rs.60000-			field.		
			Rs.186000			(ii) 5 Years of total		
			depending upon			experience		
			years of			(iii) minimum 3 years' experience		
			experience			in relevant field		
						Note 1:		
						Qualifications are		
						relaxable at the		
						discretion of the		
						Competent		
1						Authority in the		
						case of candidates		
						otherwise well		
						qualified.		
						Note 2: The		
						qualification(s)		
						regarding		
						experience is relaxable at the		
						discretion of the		
						Competent		
						Authority in the		
						case of candidates		
						belonging to		
						Scheduled Castes		
						or Scheduled		
						Tribes if at any		
						stage of selection,		
						the Competent		
						Authority is of the		
						opinion that		
1						sufficient number of candidates from		
1						these communities		
1						possessing the		
						requisite		
						experience are not		
						likely to be		
1						available to fill up		
						the vacancy		
						reserved for them.		
						N . 2		
						Note 3: The		
						aforesaid educational		
						qualification &		
						experience is the		
						basic eligibility		
						criteria. Additional		
						requirements on		
						functional basis, if		
						any, shall be		
						mentioned in the		
1						advertisement on		
						each occasion.		

9	10	11	12	13
2 Years	95%- Direct Recruitment 5%- Promotion failing which deputation(including short term contract) / absorption	For Promotion: IT Assistant in Level 6(Rs. 35400-112400) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service For Deputation (ISTC)/ Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi–Government, Statutory or Autonomous Organisations:- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basisin the Pay Level 6 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for Direct Recruitment under column 7.	Selection Committee shall consists of: (i) Executive Director, FSSAI – Chairman (ii) CTO, FSSAI- Member (iii) Director, FSSAI- Member (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer - Member	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
IT Assistant	6(New	General	Pay Level 06	Not	30 Years	(i) Bachelor's Degree.	
	Creation)	Central	(Rs.35400-	Applicable		(ii) 2 Years of experience	
		Service,	112400)			in relevant area.	
		Group-C	or Consolidated			Note:- The aforesaid	
		Non-	remuneration in			educational qualification	
		Ministerial	the range of Rs.			& experience is the basic	
			50000-150000			eligibility criteria.	
			depending upon			Additional requirements	
			years of			on functional basis, if any,	
			experience			shall be mentioned in the	
						advertisement on each	
						occasion.	

9	10	11	12	13
2 Years	100%-Direct Recruitment	NA	Selection Committee shall consists of:	NA
			(i)Director, FSSAI- Chairman.	
			(ii) CTO, FSSAI - Member	
			(iii)Deputy Director- Member	
			(iv)One outside expert of appropriate level to be	
			nominated by Chief Executive Officer - Member	

Principal Manager Creation) Creation Non- Non- Non- Rs. 165000- Rs. 280000 depending upon year of experience Compendent university or lastitute OR Post Graduate communication in Marketing from a recognized university or lastitute OR Post Graduate Degree/Diploma in Marketing from a recognized university or lastitute OR Post Graduate Degree/Diploma in Social Work/psychology/Labour and Social Welfare from a recognized university or Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 3: The aforesaid educational requirement which shall be mentioned in the advertisement on each occasion.	1	2	3	4	5	6	7	8
	Principal	1(New	General Central Service, Group-A, Non-	Pay Level 13 (Rs.1,23,100- 2,15,900) or Consolidated remuneration in the range of Rs.165000- Rs.280000 depending upon year of	Not		Post Graduate Degree/Diploma (Full Time courses) in journalism/ Mass communication/ Public Relation or MBA with specialization in Marketing from a recognized university or Institute OR Post Graduate Degree/Diploma in Social Work/psychology/Labour and Social Welfare from a recognized university or Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 3: The aforesaid educational qualification & experience is indicative and may undergo change as per functional requirement which shall be mentioned	8

9	10	11	12	13
1 Year	100% Direct Recruitment	NA	Selection Committee for shall consists of: (i) Chief Executive Officer, FSSAI- Chairman. (ii) Executive Director, FSSAI- Member (iii)Advisor, FSSAI- Member. (iv) Representative of Ministry of Health and Family Welfare (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson - Member	NA

Senior Manager Creation) Manager Creation Creation	1	2	3	4	5	6	7	8
anah aggeran	Senior	3(New	General Central Service, Group-A	Pay Level 12 (Rs.78,800- 2,09,200) or Consolidated remuneration in the range of Rs.110000- Rs.275000 depending upon years of			Post Graduate Degree/Diploma (Full Time courses) in journalism/ Mass communication/ Public Relation or MBA with specialization in Marketing from a recognized university or Institute OR Post Graduate Degree/ Diploma in Social Work/psychology/Labour and Social Welfare from a recognized university or Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualification of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 3: The aforesaid educational qualification & experience is indicative and may undergo change as per functional requirement which shall be mentioned in the advertisement on	

9	10	11	12	13
1 Year	(i) 75% Direct Recruitment (ii) 25% Promotion failing which by deputation (including short term contract) / absorption.	For Promotion: Manager in Level 11 (Rs. 67,700-2,08,700) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully	Selection Committee for shall consists of: (i) Chief Executive Officer, FSSAI- Chairman. (ii) Executive Director, FSSAI- Member (iii)Advisor, FSSAI-	NA

	completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service For Deputation (ISTC)/ Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/ Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi—Government, Statutory or Autonomous Organisations:- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (i) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 11 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for Direct Recruitment under column 7.	Member. (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson - Member	
--	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1 Manager	8(New Creation)	General Central Service, Group-A Non- Ministerial	Pay Level 11 (Rs.67,700- 2,08,700) or Consolidated remuneration in the range of Rs.95000- Rs.270000 depending upon years of experience	Selection	6 40 Years	Post Graduate Degree/Diploma (Full Time courses) in journalism/ Mass communication/ Public Relation or MBA with specialization in Marketing from a recognized university or Institute OR Post Graduate Degree/Diploma in Social Work/psychology/Labour and Social Welfare from a recognized university or Institute (c)(i)Master's degree in Library Sciences or Library and Information Science of a recognized University or Institute (ii) Five years professional experience in a Library under Central/State Govt./Autonomous or Statutory Organisation/ PSU/ University. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates	NA NA

	Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 3: The aforesaid educational qualification & experience is indicative and may undergo change as per functional requirement which shall be mentioned in the advertisement on each occasion.
--	--

9	10	11	12	13
2 Years	(i) 75% Direct Recruitment (ii) 25% Promotion failing which by deputation(including short term contract) / absorption	For Promotion: Deputy Manager in Level 10 (Rs. 56,100-1,77,500) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service For Deputation (ISTC)/ Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi—Government, Statutory or Autonomous Organisations: (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (i) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 10 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for Direct Recruitment under column 7.	Selection Committee for shall consists of: (i) Chief Executive Officer, FSSAI-Chairman. (ii) Executive Director, FSSAI-Member (iii)Advisor, FSSAI-Member. (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson - Member	NA NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Deputy	17(New	General	Pay Level 10	Not	35 Years	(a)Post Graduate	NA
Manager	Creation)	Central	(Rs.56,100-	Applicable		Degree/Diploma (Full	
		Service,	1,77,500)			Time courses) in	
		Group-A	or			journalism/ Mass	
		Non-	Consolidated			communication/ Public	
		Ministerial	remuneration			Relation or MBA with	
			in the range of			specialization in	

Rs.80000-	Marketing from a
Rs.234000	recognized university or
depending	Institute
upon years of	OR
	(b)Post Graduate
experience	
	Degree/Diploma in
	Social
	Work/psychology/Labour
	and Social Welfare from
	a recognized university
	or Institute
	OR
	(c)(i)Master's degree in
	Library Sciences or
	Library and Information
	Science of a recognized
	University or Institute
	(ii)three years
	professional experience
	Central/State
	Govt./Autonomous or
	Statutory Organisation/
	PSU/ University.
	Note 1: Qualifications
	are relaxable at the
	discretion of the
	Competent Authority in
	the case of candidates
	otherwise well qualified.
	Note 2: The
	qualification(s) regarding
	experience is relaxable at
	the discretion of the
	Competent Authority in
	the case of candidates
	belonging to Scheduled
	Castes or Scheduled
	Tribes if at any stage of
	selection, the Competent
	Authority is of the
	opinion that sufficient
	number of candidates
	from these communities
	possessing the requisite
	experience are not likely
	to be available to fill up
	the vacancy reserved for
	them.
	Note 3: The aforesaid
	educational qualification
	& experience is
	indicative and may
	undergo change as per
	functional requirement
	which shall be mentioned
	in the advertisement on
	each occasion.

9	10	11	12	13
2 Years	100 % Direct Recruitment	NA	Selection Committee for shall consists of: (i) Chief Executive Officer, FSSAI- Chairman. (ii) Executive Director, FSSAI- Member (iii)Advisor, FSSAI- Member. (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson - Member	NA

1
1 Assistant Manager

9	10	11	12	13
2 Years	100% direct recruitment NA		Selection Committee shall consists of: (i) Executive Director, FSSAI – Chairman	
			(ii) Director, FSSAI- Member (iii) One outside expert of appropriate level to be	
			nominated by Chief Executive Officer- Member	

ISTC – Including Short Term Contract

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer [ADVT.-III/4/Exty./425/17]